लोक-सभा वाद-विवाद

गुरुवार,
२४ नवंबर, १९५५

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . . . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५. ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६ . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ . ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बर्मा में भारतीय

*१४८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने बर्मा की नागरिकता के लिये अभी तक प्रार्थना-पत्र दिये हैं; और

(ख) अब तक कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए हैं अथवा अस्वीकृत हुए हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा : (क) और (ख). इसके आकड़े नहीं मिले हैं। कुछ समय हुआ, हमने बर्मा की सरकार से पूछा था कि वह उन भारतीयों की संख्या बताये जिन्हें बर्मा की नागरिकता दे दी गई है और जिन्होंने दरख्वास्तें दी थीं, लेकिन तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली थी। हमें अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। तो भी, हमारी इत्तिला है कि करीब ४०,००० भारतीयों ने फरवरी, १९५५ तक बर्मा की नागरिकता पाने के लिये दरख्वास्तें दी थीं ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि साधारणतया दरख्वास्तें किन-किन कारणों से नामंजूर की जाती हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : संविधान अधिनियम और बर्मा के देशीयकरण अधिनियम के कुछ उपबन्धों के अनुसार प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाता है ।

श्री श्रीनारायण दास : अब तक सरकार की यह नीति रही है कि जिस देश में भारतीय उद्भव के लोग जा कर बसते हैं वे वहीं की नागरिकता को स्वीकार कर लें और इस चीज को प्रोत्साहन दिया जाये । क्या मैं जान सकता हूँ कि यह नीति किस हद तक बर्मा में सफल हुई ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बात का फैसला हमने उन्हीं पर छोड़ दिया है कि जैसा वह उचित समझें करें। चाहें वह भारत के नैशनल्ज रहें या वहां के हो जायें अगर उनको कानून के मुताबिक वहां का नैशनल बनने का अधिकार है । उन पर कोई दबाव भी नहीं डाला गया है और न ही वहां पर कोई कठिनाई ही खड़ी हुई है और न कोई शिकायत ही आई है ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या लंका की तरह वहां पर कोई अड़चनें तो नहीं हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही तो अर्ज किया है कि नहीं हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय : आजकल बर्मा में कुल कितने भारतीय हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या लगभग ७ लाख है, परन्तु हमारे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं।

सामान संबंधी रियायत नियत

*१४९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में प्रख्यापित हुए सामान संबंधी रियायत नियमों के अधीन पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये प्रव्रजकों को सामान संबंधी रियायत उदारतापूर्ण दी गई है; और

(ख) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् कितने लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां। भारत सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रव्रजकों को यह रियायत नहीं दी गई है ।

(ख) १ से ३१ अक्टूबर १९५५ तक पूर्वी पाकिस्तान से १६,१४४ प्रव्रजक भारत आये हैं। तत्पश्चात् के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बी० के० दास : विद्यमान नियमों के अधीन प्रव्रजक अपने साथ व्यक्तिगत वस्तु के रूप में केवल ५० रुपये ला सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति की विक्रय आगम के संबंध में, जो वह अपने साथ लाना चाहते हैं, कठिनाई उत्पन्न हो गई है। क्या वह विषय बदल दिया गया है या क्या सरकार नये नियमों के साथ उस नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : नियमों में कुछ परिवर्तन हो गया है । अब वयस्क, प्रव्रजक के साथ अधिक से अधिक १५० रुपये और बाल प्रव्रजक के साथ अधिक से अधिक ७५ रुपये, उनके माता पिता चाहे भारतीय हों या पाकिस्तानी, लाये जा सकते हैं।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार का ध्यान इस कठिनाई की ओर, जिसका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, आकर्षित किया गया है, और यदि हो तो, कठिनाई के निवारण के लि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हाल में बने इन नियमों को पर्याप्त उदार बना दिया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इन रियायतों संबंधी नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखूंगा ।

भाखड़ा नंगल परियोजना के इंजिनियर

*१५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नंगल में काम करने वाले तीन सौ इंजिनियरों को दूसरा काम खोजने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अगली पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये बहुत से विशेषज्ञों और इंजिनियरों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान इंजिनियरों को उपयुक्त काम दिलाने में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि जब दूसरी जगहों पर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काम चल रहा है और वहां के लिए यह इंजीनियर अपनी दरख्वास्तें भेजना चाहते हैं तो उनको अपनी दरख्वास्तें भेजने की इजाजत नहीं दी जाती जिससे कि दूसरी जगहों में काम का हर्ज होता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दो चार दिन

हुए मैं भाखड़ा नंगल गया था और मैंने पूछा कि अब जब वहां काम बन्द हो रहा है तो इन इंजीनियर्ज के बारे में क्या नीति होगी। मुझे वहां पर बताया गया कि साल दो साल यह सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि अलावा इसके कि भाखड़ा नंगल का काम भी बढ़ रहा है, वहां पर दूसरे कारखाने भी जैसे फर्टिलाइजर्ज हैवी वाटर वगैरह शुरू हो रहे हैं। चुनाचे यह सवाल वहां अभी उठता नहीं है। फिर भी मैंने उनसे कह दिया है कि यह बात नहीं होनी चाहिये कि इंजीनियर बेकार रहें।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कि जैसे जैसे जहां-जहां पर काम पूरे होते जायें और वहां के विशेषज्ञ खाली होते जायें उनको दूसरी जगहों पर काम दिया जाए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, ज़ाहिर है।

शाहदरा बन्ध

*१५१. **श्री राधा रमण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर मास में दिल्ली में जो भयंकर बाढ़ आई थी उसकी दृष्टि से क्या सरकार ने शाहदरा बन्ध निर्माण में शीघ्रता करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अब तक इस कार्य को स्थगित रखने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली राज्य सरकार के पास कार्य के संबंध से टैंडर आ चुके हैं और उन्होंने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर से प्रार्थना की है कि वह इस बात को सुनिश्चित करलें कि कार्य इस मास के अन्त तक या दिसम्बर १९५५ के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हो जाये तथा आगामी वर्षा ऋतु से पहिले समाप्त हो जाये।

(ग) अनेकों टेक्नीकल बातें जैसे विस्तृत प्राक्कलनों तथा डिजाइन का बनाना, टेक्नीकल अनुमति आदि, अप्रैल १९५५ के आरम्भ तक पूर्ण हो गई थीं। यदि कार्य उस समय आरम्भ हो जाता तो वह १९५५ की बाढ़ से पहिले पूर्ण न हो पाता। बन्ध के अपूर्ण होने के कारण बाढ़ से महान हानि होती। अतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कार्य को वर्तमान शीत ऋतु तक स्थगित कर दिया था।

श्री राधा रमण : शाहदरा नगर और पड़ौसी गावों को बाढ़ से बचाने के लिए यह शाहदरा बन्ध का निश्चय किया गया था ? इस देश में बाढ़ों के बारे में हमने हाल में जो अनुभव प्राप्त किया है उसकी दृष्टि से और उस अनुभव की दृष्टि से, जो हमारे पदाधिकारियों ने अन्य देशों में जाकर प्राप्त किया है, क्या सम्पत्ति तथा फसल के विनाश और हानि से बचाव का केवल बन्ध ही एक प्रभावी उपाय है ?

श्री हाथी : अन्तिम प्राक्कलन जुलाई १९५४ में प्राप्त हुए थे परन्तु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उनका परीक्षण अक्टूबर १९५४ में किया था। तदोपरान्त यह पता लगा कि वर्तमान डिजाइन सर्वथा उपयुक्त होगा।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को विदित है कि शाहदरा और पड़ौसी गांवों के लोगों में एक बड़ी कट्टर भावना है कि शाहदरा के इस निर्माण कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ है और यदि यह यथा समय आरम्भ किया जाता और प्राथमिकता दी जाती तो १९५५ की बाढ़ की स्थिति कुछ और ही होती।

श्री हाथी : सरकार इससे अवगत है। परन्तु टेक्नीकल कठिनाइयां थीं, और उत्तर प्रदेश के इंजीनियर पहिले बनाये गये डिजाइन से असहमत थे। अनेकों इंजीनियरों

से मन्त्रणा करने पर भी अन्तिम प्राक्कलन तैयार किये जा सकें हैं और इस मास के अन्त तक या दिसम्बर के आरम्भ में कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि शाहदरा बांध बनाने में कितना समय लगेगा और कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री हाथी : एक वर्ष लगेगा और १७ लाख पया खर्च होगा ।

खालें और चमड़ा

*१५२. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों द्वारा प्रमाप से घटिया किस्म की खालें और चमड़े के निर्यात को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी, नहीं । इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं जिन में यह कहा गया हो कि यहां के व्यापारियों द्वारा जो सेम्पल भेजे जाते हैं वह एक किस्म के होते हैं और उसके बाद जब माल भेजा जाता है तो वह उससे निम्न कोटि का होता है ?

श्री करमरकर : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि सेम्पल के मुताबिक नहीं माल आता है । वार टाइम में कुछ ऐसी बात हुई थी कि इंगलैंड में और कुछ दूसरे देशों में प्राइस कंट्रोल हो गया और उस कीमत पर माल भेजना एफोर्ड नहीं हो सकता था जिस का नतीजा यह हुआ कि कुछ एडलट्रेशन हो जाता था । इस चीज को खत्म करने के लिये हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रयत्न इस विषय में चल रहे हैं ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : क्या सरकार का विचार केवल खाल और चमड़ा की एक निर्यात मन्त्रणा समिति बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, एक निर्यात वृद्धि परिषद् बनाने का विचार है

जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना

*१५३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **उत्पादन मंत्री** नौवहन सम्बन्धी संकल्प पर रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री के २३ सितम्बर, १९५५ के भाषण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिये कितने तटीय क्षेत्रों का परिमाप किया गया है ;

(ख) क्या पहले कोई परिमाप किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किसके द्वारा, कब और कहां कहां; और

(घ) क्या सरकार का विचार बंगाल की खाड़ी के पास हुगली नदी के तट पर ग्योन-खाली का परिमाप करने का है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ). जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर प्रारम्भिक विचार हो रहा है । स्थान का निश्चय या परिमाप करने का प्रश्न दृढ़ निश्चय करने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस उद्देश्य से किसी विदेशी टोली ने लगभग दो या तीन वर्ष पूर्व कुछ तटीय स्थानों का परिमाप किया था ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार ने कोई परिमाप टोली नियुक्त नहीं की । वर्तमान कारखाना स्थापित होने के पूर्व, सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी ने अपने टैक्नीकल परामर्शदाता की सहायता से कतिपय स्थानों का परिमाप किया था । यह बहुत पहिले की बात है ; लगभग १९४१ की ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्योंकि सरकार जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना बनाने का विचार कर रही है, अतः क्या कोई गैर-सरकारी उपक्रम ने इस कार्य को करने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्री सतीश चन्द्र : अब भी जहाज़ बनाने के कुछ और सरकारी कारखाने हैं परन्तु छोटे छोटे हैं । मैं नहीं समझता कि जहाज़ बनाने का बड़ा कारखाना स्थापित करने के लिये इस समय किसी गैर-सरकारी उपक्रम का प्रस्ताव है ।

श्री बी० के० दास : इस विषय पर अन्तिम निश्चय करने में किन किन विशेष बातों पर विचार किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां पर जहाज़ बनाने का कारखाना स्थापित करने के औचित्य का प्रश्न है; यह सर्वथा प्रत्यक्ष है, धन के बटवारे के लिये यह अब सापेक्ष प्राथमिकता का प्रश्न है। आज कल योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है ।

श्री अच्युतन : जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम निश्चय में सरकार को कितना समय लगेगा और क्या इस दृष्टि से कि पूर्वी तट पर जहाज बनाने का एक पक्का कारखाना हैं, क्या पश्चिमी तट पर जहाज बनाने का दूसरा कारखाना बनाना वांछनीय होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : निश्चय होने के पश्चात् इन सब बातों पर विचार करना होगा । मैं ने बताया है कि यह आज कल योजना आयोग के विचाराधीन है ।

बिजली का भारी सामान

*१५४. **श्री बर्मन** : क्या उत्पादन मंत्री १६ अगस्त १९५५ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली का भारी सामान बनाने के लिये सरकारी कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इस परियोजना के लिये सरकार ने इंगलिस्तान के मैसर्स एसोसियेटेड् इलैक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज़ लि० को टेक्नीकल परामर्शदाता के रूप में चुना है। सरकार और फर्म के बीच १७ नवम्बर १९५५ को एक करार हो गया है ।

श्री बर्मन : इस संयन्त्र का कुल व्यय कितना है और हमें तैयार माल कब तक प्राप्त हो सकेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस परियोजना के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उसका निश्चित अनुमान देना अभी असम्भव है । परियोजना के बारे में हमारे परामर्श-दाताओं का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निश्चित प्राक्कलन उपलब्ध होंगे । लगभग अनुमान २० से २५ करोड़ रुपये का हो सकता है। उत्पादन में कितना समय लगेगा इस बारे में हमारे टेक्नीकल परामर्शदाताओं का कथन है कि पांच वर्ष लगेंगे ।

श्री बर्मन : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने उस गलती से बचने की दृष्ठि से, जो उसने मशीनी औजार कारखाना के मामले में की थी, उत्पादन संयन्त्र के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहिले भाव में गैर-सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरिंग क्षमता और देश की आवश्यकता पर भी विचार किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना के मामले में किसी भी प्रकार की कोई गलती, जैसा कि [redacted]

उल्लेख किया है ; नहीं की गई। माननीय सदस्य द्वारा कही गई अन्य बातों के बारे में, बिजली के सामान के बनाने वाले विद्यमान उपक्रमों की क्षमता का और देश की आवश्यकताओं का, इस परियोजना की योजना बनाने पर पर्याप्त विचार किया गया है ।

श्री कासलीवाल : एसोसियेटेड् इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लि० को परार्श देने के लिये कुल कितना पारिश्रमिक देने का विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : करार की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में पहिले ही रख दी गई है और मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । इस के साथ ही, जहां तक शुल्कों का सम्बन्ध है, कारखाने की योजना बनाने, संस्थापनाओं, संयन्त्रों आदि के बनाने के लिये कारखाने की रूपरेखा एंव आयोजन पर लगभग चार लाख पौंड अर्थात् लगभग ५३ लाख रुपये खर्च होंगे इस पर आयकर लगेगा ।

भारत सेवक समाज

*१५५. **डा० सत्यावादी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिये पंजाब में भारत सेवक समाज को १९५४–५५ में कुल कितनी धनराशि दी गई है ; और

(क) १९५५–५६ के लिये यदि कोई धनराशि निर्धारित की गई है तो वह कितनी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). किसी राज्य में भारत सेवक समाज के लिये कोई निश्चित धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। उस संस्था से प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है । १९५४–५५ में पंजाब की भारत सेवक समाज स्वीकृत निर्माण-कार्यों के लिये १०,५०० रुपये की धनराशि दी जाने की स्वीकृति दी गई थी।

श्री बंसी लाल : क्या में जान सकता हूं कि भारत सेवक समाज के जरिये से जो पैसा राज्यों को दिया जाता है उसका उपयोग भी वहां करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा और स्कीमों के बारे में तरीका अख्तियार करते हैं वही तरीका भारत सेवक समाज के बारे में भी अख्तियार किया जाता है ।

डा० सत्यवादी : पंजाब में सन् ५४-५५ में जो काम हुआ है उसको भारत सेवक समाज ने स्वयं किया है या किन्हीं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा यह काम किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : कुछ स्कीमें दूसरी संस्थाओं द्वारा भी प्रस्तावित होती हैं, लेकिन उसमें भारत सेवक समाज का भी सहयोग रहता है मेरे पास अभी उसकी पूरी तफसीलात नहीं हैं कि किन किन स्कीमों में कैसे क्या हुआ है।

श्री बी० के० दास : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा अथवा अन्यथा कुछ निधियां भारत सेवक समाज के पास, प्रवक शिविर प्रारंभ करने के लिये, तथा अन्य कार्यों के लिये रखी जाती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : राज्य सरकारों द्वारा इस तरह का कोई कोष भारत सेवक समाज के पास नहीं रखा जाता। भारत सेवक समाज जो केम्पों का आयोजन करता है उसमें उसको केन्द्रीय सरकार से मदद मिलती है। हम नहीं समझते कि राज्य सरकारें उनको कहां तक मदद देती हैं ।

होन्नेमराडू परियोजना

*१५६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या योजना मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, होन्नेमराडू परियोजना की प्रथमावस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना

में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में तब से कोई निणय हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख), मामला विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : गत अगस्त मास में एक प्रश्न के उत्तर में परियोजना की क्षमता, व्यय होने वाली धनराशि, तथा परियोजना की प्राक्कलित लागत बतायी गयी थी । ये प्राक्कलन किस समिति द्वारा बनाये गये थे? ये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये थे अथवा योजना आयोग की प्रविधिक मंत्रणा समिति द्वारा दिये गये थे ?

श्री हाथी : प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये थे तथा योजना आयोग द्वारा नियुक्त उप-समिति ने इनका परिनिरीक्षण किया था । वास्तव में, इनकी जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने की थी ।

कोरिया के संग्राम कैदी

*१५७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने कोरिया के संग्राम कैदी दूसरे देशों को चले गये या भेजे गये ; और

(ख) क्या उन पर किये गये खर्च का हिसाब तय हो गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) कोई नहीं ।

(ख) इन पर जो पिछले १२ महीनों में खर्च हुआ है उसका आधा हिसाब उत्तरी कोरिया और चीन ने हमें दे दिया है । बकाया आधे के देने का इक़रार संयुक्त राष्ट्र की कमान्ड ने किया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कोरियन लोगों में से कितने लोगों ने हिन्दुस्तान में बराबर रहने के लिये दरख्वास्त की है या अपनी इच्छा जाहिर की है ।

श्री सादत अली खां : जी हां, मैं बतला सकता हूं । उनमें से लगभग १२ व्यक्तियों ने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन बीस पच्चीस ने ऐसा किया है । अक्सर वह लोग राय बदलते रहते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बाहर जाने के लिये अपनी राय दी है, तो जिन देशों में वह जाना चाहते हैं क्या उन देशों ने उन्हें स्वीकार किया है या कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां । साउथ अमेरिका के दो देशों ने उनको लेना स्वीकार कर लिया है । पर वह बात अभी १६ आने पक्की नहीं हुई है लेकिन आम तौर से उनकी स्वीकृति आगयी है ।

श्री कामत : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने निश्चित धनराशि को देने से मना कर दिया है, अथवा वे विषय पर विचार कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कामत : पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने जवाब में कहा था कि 'ऐतराज किया है' ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: इक़रार किया है। उन्होंने उनका दायित्व स्वीकार कर लिया है ।

भूमि सुधार तालिका

*१५८. **श्री डाभी** : क्या **योजना मंत्री** भूमि सुधार तालिका (योजना आयोग द्वारा

नियुक्त) द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(१) अधिकतम किराये का निर्धारण ;

(२) भू सम्पत्ति की अधिकतम सीमा ;

(३) ज़मीदारों द्वारा, अपने काश्तकारों को अनिवार्य रूप से भूमि विक्रय ;

(४) ज़मीदारों से अनिवार्य रूप से खरीदी गई भूमि का काश्तकारों द्वारा अपने ज़मीदारों को दिया जाने वाला मूल्य; और

(५) काश्तकारों द्वारा अपने ज़मीदारों को दिया जाने वाला किराया ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : भूमि सुधार तालिका द्वारा नियुक्त समितियों भूमि सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही हैं। समितियों ने अभी अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर तालिका सिफारिशें करेगी।

श्री डाभी : क्या सरकार का विचार, राज्य सरकारों को इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर विधान प्रस्तुत करने की सलाह देने का है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस तालिका की स्थापना का यही उद्देश्य है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस समिति को जोतों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत काश्तकारों के अधिकारों के प्रश्न पर विचार करने के अनुदेश दिये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह सभी प्रश्न तालिका तथा उसकी समितियों के विचाराधीन होंगे ।

श्री गोपाल राव : क्या तालिका के निदेश पदों में उस कार्य व्यवस्था की ओर भी निर्देश किया गया है जिसके द्वारा से भूमि विधान लाग हो सकेंगे ।

श्री एस० एन० मिश्र : तालिका सामान्य रूप से सलाह देती है। हम उनको, उनके उत्तर के लिये समस्यायें भेजते हैं । इस प्रकार के कोई ठीक-ठीक निर्देश पद निर्धारित नहीं किय गये हैं ; परन्तु जिस उद्देश्य से इस तालिका की स्थापना की गई वह यह है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में भूमि सुधारों की कार्यान्विति का पुनर्विलोकन करे तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के काल में की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाहियों पर विचार करे ।

'काश्मीर प्रिंसेस' विमान दुर्घटना

*१५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** १६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारावाक में 'काश्मीर प्रिंसेस' विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या फारमूसा के अधिकारियों ने कथित अपराधी को हांगकांग भेज दिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने और क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग) . हांगकांग के अधिकारियों की जांच से कुछ नई बातें पता लगी हैं, परन्तु इस समय उनको बताना लोकहित में नहीं है क्योंकि इससे अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई हो सकती है। भारत सरकार हांगकांग अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किये हुए है तथा उसको सूचना भी मिल रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में जांच के प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण दिया था तथा बताया था कि प्रकाशित होने के पश्चात् पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्य होगा ।

क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है तथा क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य हांगकांग अधिकारियों द्वारा की गई जांच की ओर निर्देश नहीं कर रहे हैं परन्तु वह इस दुर्घटना के सम्बन्ध में इंडोनेशियन सरकार की जांच की ओर निर्देश कर रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। इस विषय में, हम पूर्णतः इंडोनेशियन सरकार के हाथ में हैं। हमने उनको यह सुझाव दिया है कि इसका प्रकाशन होना चाहिये, परन्तु उन्होंने केवल संक्षिप्त रूप ही जारी किया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है तथा यदि हां, तो उसकी कुल कितनी राशि है ?

श्री सादत अली खां : माननीय सदस्य को प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह पता लगेगा कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने उदारता से, मृत व्यक्तियों के वारिसों तथा बचे हुए व्यक्तियों को प्रतिकर दिया था।

श्री एस० वी रामस्वामी : क्या विमान क्षति के प्रतिकर का दावा किया गया है जोकि, एक करोड़ रुपये से भी अधिक है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इससे बड़ा कठिन कानूनी, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामले उत्पन्न होते हैं ; इसलिये कोई दावा नहीं किया गया है।

टायर बनाने वाले समवाय

*१६०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग ने यह कहा है कि सरकार को, भारत में चालू टायर बनाने वाले समवायों में अधिक भारतीय पूंजी लगाये जाने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) : जी हां। सुझाव की कार्यान्विति के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही विचारधीन है।

श्री ईश्वर रेड्डी : सरकार ने टायर के वर्तमान मल्य को कम करन के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही हैं तथा इसके परिणामस्वरूप मूल्य कम होंगे।

श्री ईश्वर रेड्डी : इस उद्योग में कुल कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रतिवेदन पुस्तकालय म मौजूद है तथा मैं माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपियां भिजवाने की आशा करता हूं। इस प्रतिवेदन में यह जानकारी दी गई है।

श्री जोकीम आल्वा : इन तीन बड़े समवायों में भारतीय पूंजी लगाने के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि १९५१ में जबसे मैंने इन तीन समवायों का नाम लिया था तब से इनके आधिशासी उच्चाधिकारियों के भारतीयकरण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य इन समवायों में भारतीयों के सम्बन्ध में सही विवरण जानना चाहते हैं तो उसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये, परन्तु मेरा विचार है इस दिशा में प्रगति संतोषजनक है।

सेंधा नमक

*१६१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१९५५–५६) के अधीन पाकिस्तान से सेंधा नमक के आयात के लिये किस प्रकार का अभिकरण अथवा कार्यव्यवस्था स्थापित की गई है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : पाकिस्तान से सेंधा नमक का आयात सामान्य व्यापार तरीकों से करने की अनुमति देने का विचार नहीं है। समाहार, आयात तथा फुटकर बिक्री की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों की सम्मति से बनाई जा रही है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : किन राज्यों ने सेंधा नमक के आयात के लिये कहा है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना सेंधा नमक आयात हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र : सेंधा नमक का आयात अभी नहीं हुआ है। कुछ दिन पूर्व एक समझौता हुआ है तथा जैसा कि मैंने बताया, व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यतः उत्तर भारतीय राज्य में इसका उपभोग होता है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इस देश में पर्याप्त मात्रा में सेंधा नमक बनाने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : सेंधा नमक प्राकृतिक उत्पाद है; यह बनाया नहीं जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रोक साल्ट पाकिस्तान से आयेगा, उसको भारत सरकार सरकारी लेविल पर मंगायेंगी या पब्लिक को भी दिया जायगा और अगर दिया जायगा तो इसका एलोकेशन किस प्रकार होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इरादा यह है कि जितना रौक साल्ट आये वह पाकिस्तान सरकार से हिन्दुस्तान सरकार ले और उसका वितरण राज्य सरकारों के द्वारा करे।

बाबू रामनारायण सिंह : यह सेंधा नमक किस राज्य को किस हिसाब से मिलना चाहिए, यह कौन निश्चय करेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके बारे में राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे कितना कितना चाहती हैं और उन्होंने जितनी मांग की है, उसके मुताबिक गौर करने के बाद सबका हिस्सा तय कर दिया जायगा।

आकाशवाणी

*१६३. **श्री गिडवानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४–५५ में आकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाओं पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) इसी अवधि में, इन पत्रिकाओं के विक्रय से कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) ; विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]

श्री गिडवानी : इस पत्रिका की कितनी प्रतियां छपती हैं, कितनी बेची जाती हैं तथा कितनी मुफ़्त बांटी जाती हैं ?

श्री करमरकर : मुझे प्रतियों की संख्या की जानकारी तो नहीं हैं। परन्तु मुझे व्यय तथा आय ज्ञात है। प्रतियों की संख्या के सम्बन्ध में, मुझे पूर्व सूचना चाहिये। बहुत कम प्रतियां मुफ़्त बांटी जाती हैं; अधिकांशतः बेची ही जाती हैं।

श्री गिडवानी : क्या सरकार के समक्ष इसे आत्म-निर्भर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री करमरकर : प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है; हम भी इसके इच्छुक हैं तथा हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

रंग-गवेषणा प्रयोगशाला

*१६४. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रंग-गवेषणा-प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को कोई ऐसा रंग का पता मिल गया है जिससे वनस्पति घी और असली घी में फर्क किया जा सके ? मैंने सुना है कि ऐसे किसी एक रंग का पता लग गया है कि जो वनस्पति घी में मिलाया जा सके और जिससे असली घी में और वनस्पति घी में फर्क किया जा सके ।

श्री करमरकर : यह सवाल तो डाई रिसर्च लेबोरेटरी से सबन्ध रखता है। वनस्पति घी के लिए रंग तलाश करने का प्रश्न तो एक अलग सवाल है और उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

*१६७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से उस राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना तथा उनके विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१**]

श्री डी० सी शर्मा : विवरण में १४ मुख्य मद दिये गये है । इनमें से ६ मद ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने इन योजनाओं को छोड़ दिया है। दो अन्य ऐसे मद है जिनके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने इन्हें वापिस ले लिया है । दो अन्य मदों को विचाराधीन बताया गया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं को त्याग देने और वापिस ले लेने के कोई कारण प्रस्तुत किये हैं और क्या केन्द्रीय सरकार उन कारणों को उचित और सन्तोषजनक मानती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तथ्य कोई विवादस्पद नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के मामलों में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकती । यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उन्हें यह बात राज्य सरकार से पूछनी चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : केन्द्रीय सरकार ने योजना सख्या १० और ११, अर्थात् सहकारी समिति बैंकों द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण की प्रत्याभूति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रत्याभूति निधि की रचना, तथा उद्योग निदेशालय के कर्मचारी, के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मद संख्या ११ का सम्बन्ध है, इसका शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा । जहां तक मद संख्या १० का सम्बन्ध है, इस पर कुछ समय लगेगा, क्योंकि यह एक व्यापक प्रक्रिया का मामला

है और एक अभिकरण की स्थापना का प्रश्न है जिसका निर्णय इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकता ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये राज्य सरकार को गत वर्ष कितना ऋण दिया गया था और इस वर्ष कितना दिया गया है और ये दोनों संख्यायें तुलना में कैसी ठहरती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये पंजाब सरकार को १९५५-५६ में दी जाने के लिये मंजूर की गई राशि ३० लाख रुपये है । मैं कह नहीं सकता कि इसम से कितनी राशि दी जा चुकी है ।

शोरा उद्योग

*१६८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के चम्पारन, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में शोरा उद्योग के विकास क लिये सरकार ने कोई योजना बनाई ह; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि चम्पारन, सारन और मुजफ्फरपुर में एक नोनिया जाति होती है जिसकी जीविका शोरा के रोजगार से चलती है ? तो क्या सरकार इस रोजगार को डेवेलप करेगी ताकि नोनिया लोगों की जीविका चल सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) माननीय सदस्य ने चम्पारन के बारे में ज्ञाय कुछ कहा है । जी हां, राजस्थान गवर्नमेंट और यू० पी० गवर्नमेंट के कुछ प्रोपोजल्स हैं जिन पर सोच विचार हो रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : चम्पारन बिहार में है, राजस्थान या यू० पी० में नहीं । वहां शोरा का रोजगार बहुत होता है । अगर इसको सरकार डेवेलप नहीं करती है तो नोनिया जाति का बहुत नुक्सान होगा ।

श्री करमरकर : जी हां, जो उत्तर प्रदेश पंजाब, पेप्सू और बिहार के स्माल और काटेज इन्डस्ट्रीज के डाइरेक्टर हैं उनसे इसके बारे में बातचीत चल रही है ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने बिहार के बारे में पूछा है, माननीय मंत्री बार बार राजस्थान और यू० पी० के बारे में कह रहे हैं ।

श्री करमरकर : मैंने बिहार के बारे में भी कहा ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

इस्पात का आयात

*१६९. **श्री के० सी० सोधिया :** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष कितना इस्पात आयात करने का विचार है और उसका मूल्य कितना होगा; और

(ख) देश में उसके वितरण की क्या योजना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और स्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १६९,०४५ टन जिसका मूल्य लगभग १०,७३ लाख रु० है ।

(ख) इस परिमाण को निम्न प्रकार से बांटने का विचार है —

सरकार की विभिन्न विकास	
	टन
योजनाएं	४४,२००
रेलवे	५४,४००
पुन० ढलाई	३७,०००
औद्योगिक कार्यों के लिए	३३,४४५
योग	१९९,०४५

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसमें से जनता को कुछ भी प्राप्त न होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : 'औद्योगिक प्रयोजन' का अर्थ है जनता के प्रयोजनों के लिये । परन्तु यदि मेरे मित्र यह समझते हैं कि इसका यह आशय है कि वितरण के लिये कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो वह गलत समझे हैं। कई अन्य स्रोत भी हैं जिनके द्वारा लोहा और इस्पात जनता को संभरित किया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : हाल ही में इस्पात पर नियंत्रण लगाया गया है । इससे पूर्व कोई नियंत्रण नहीं था । मैं पूछना चाहता हूं कि इस्पात पर नियंत्रण लगाने के क्या कारण है: क्या इसकी खपत बढ़ गयी है अथवा आयात कम हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्टतया खपत बढ़ गयी है क्योंकि आयात बढ़ गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस्पात पर नियंत्रण लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विशेष मद के सम्बन्ध में जिस पर कुछ समय पूर्व नियंत्रण नहीं था, हमने उस समय यह अनुभव किया कि खपत हमारे उत्पादन से कम थी । अब ऐसा अनुभव किया गया है कि उसकी खपत अब हमारे उत्पादन तथा निर्यात की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी है ।

हीराकुड बांध में दुर्घटना

*१७०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १२ सितम्बर को हीराकुंड बांध में होंने वाली दुर्घटना की जांच करने के लिये स्थापित की गई दुर्घटना जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): हाँ, श्रीमान् ।

श्री भागवत झा आजाद : इस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या उन सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्री हाथी : इस समिति ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिये परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की जाने के लिये कई कार्यवाहियों की सिफारिश की है । इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सभी परियोजना प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस घटना के कारण क्या थे ? इस घटना के कारणों के बारे में समिति ने क्या प्रतिवेदित किया है?

श्री हाथी : जहाँ तक दुर्घटना के कारणों का सम्बन्ध है, पुलिस ने पहले ही इस मामले को स्वतन्त्र रूप से पंजीबद्ध कर लिया है । इस मामले के एक न्यायालय के सम्मुख जाने की संभावना है । विविध मन्त्रालय की ओर से हमें यह परामर्श दिया गया है कि जब तक इसका निर्णय नहीं होता, इस सम्बन्ध में अपनी राय देना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उस 'शिफ्ट' के प्राभारी को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया है अथवा वह अभी तक नौकरी कर रहा है ?

श्री हाथी : यह सारा कार्य एक ठेकेदार का था ।

श्री भागवत झा आजाद : : क्या उस ठेकेदार को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में रख दिया गया है अथवा वह अभी तक ठेकेदारी का काम कर रहा है ?

श्री हाथी : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें विधि मन्त्रालय की ओर से यह बताया गया है कि इस अवस्था में अपनी राय देना उचित न होगा क्योंकि इस मामले के एक न्यायालय के सम्मुख जाने की सम्भावना है।

मुद्रकों, प्रकाशकों और डिजाइनरों को पुरस्कार

*१७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **सूचना और सारण** मंत्री १६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाशनों को छापने, उनका डिजाइन बनाने तथा उन्हें प्रोड्यूस करने सम्बन्धी प्रतियोगिता के लिये निर्धारित समय में कितनी सामग्री आई तथा वह किस प्रकार की है।

वणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]** ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकाशन पुरस्कार प्रतियोगिता में सबसे अधिक पुस्तकें किस प्रान्त से प्राप्त हुई थीं और किसे किस प्रकार के प्रकाशन पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ?

श्री करमरकर : मैं नहीं कह सकता हूं कि किस प्रान्त को ज्यादा प्राइज मिली, लेकिन मैं देखता हूं कि कलकत्ते के सरस्वती प्रेस को ज्यादा प्राइज मिला है। किस प्रान्त को क्या मिला है, इसकी कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है।

प्रश्न के दूसरे भाग को मैं समझा नहीं।

श्री अनिरुद्ध सिंह : सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको किस प्रकार के प्रकाशन पर मिला है?

श्री करमरकर: मैं थोड़ी थोड़ी हिन्दी जानता हूं। उन्होंने इस तरह की केटेगरीज की :

१. बच्चों की पुस्तकें (१० वर्ष तक के बच्चों के लिये)
२. बच्चों की पुस्तकें (१० वर्ष से ऊपर)
३. कला सम्बन्धी पुस्तकें
४. चित्रित पुस्तकें
५. अंग्रेजी में सामान्य पुस्तकें
६. भारतीय भाषाओं की पुस्तकें
७. भारत में बने कागज पर पुस्तकें।

कई ऐसे अलग अलग विभागों को बनाया, और अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं सब डिटेल्स सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूं।

श्री अनिरुद्ध सिंह : इस पर कुल कितना खर्च बैठा ?

श्री करमरकर: मेरे पास इसकी संख्या तो नहीं है कि कुल कितना खर्च बैठा, शायद कुछ खर्च नहीं अलावा चाय वगैरह के।

लकड़ी के शहतीर

*१७४. **श्री हेमराज :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में पंजाब में हुए बाढ़ों के कारण पन्द्रह या बीस लाख रुपये के मूल्य की लकड़ी के शहतीर पाकिस्तान को बह गये हैं।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रतिशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से लकड़ी हासिल करने के लिये थोक व्यापारियों को कोई सहूलियत दिलवायेगी ?

श्री हाथी : अभी तक हमने जो इन्क्वायरी की है उसके अनुसार रेलवे मिनिस्ट्री का कोई स्लीपर नहीं गया है और पंजाब गवर्नमेंट से अभी तक कोई माइती नहीं आई है ।

श्री हेमराज: क्या मैं जान सकता हूं कि जो व्यापारियों की लकड़ी बाढ़ में यहां से चली गई थी, उसको हासिल करने के लिय भारत सरकार कोई प्रयत्न करेगी ?

श्री हाथी : इस बारे में हमने पंजाब सरकार के सुझाव मांगे हैं, लेकिन अभी उनकी कोई माइती नहीं आई है ।

श्री चट्टोपाध्याय : इस जानकारी को एकत्रित करने में इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री हाथी : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध पूर्णरूपेण पंजाब सरकार से है । जहाँ तक रेलवे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, रेलवे का कोई भी शहतीर पानी में नहीं बहा है । यह जानकारी कि क्या वे निजी व्यक्तियों के थे, पंजाब सरकार से प्राप्त करनी है ।

चीन में भारतीय फिल्म समारोह

*१७६. **श्री बहादुर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चीन में हुए भारतीय फिल्म समारोह के सम्बन्ध में हाल ही में भारतीय फिल्म अभिनेताओं और निदेशकों का एक शिष्ट मण्डल वहां गया था; और

(ख) चीन के कितने नगरों में भारतीय प्रलेखीय चलचित्र और भाव-चलचित्र दिखाये गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां । उस शिष्ट मण्डल के नेता श्री पृथ्वीराज कपूर, संसद सदस्य थे ।

(ख) बीस ।

श्री बहादुर सिंह : क्या इस शिष्टमण्डल का चुनाव मन्त्रालय द्वारा किया गया था, अथवा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये किसी विशेष बोर्ड द्वारा किया गया था ?

श्री सादत अली खां : यह कार्य अधिकांश रूप में सूचना मन्त्रालय द्वारा किया गया था ।

श्री बहादुर सिंह : वहां पर हमारे चलचित्रों का कैसा प्रभाव रहा ?

श्री सादत अली खां : भव्य स्वागत हुआ । वहां के प्रैस का महान समर्थन प्राप्त हुआ और उनका स्वागत वास्तव में भव्य था ।

श्री बहादुर सिंह : हमारे चलचित्र और किस किस देश को भेजे गये हैं ?

श्री सादत अली खां : यह शिष्ट मण्डल तो केवल चीन को ही गया था ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सरकार की ओर से भेजा गया था और यदि हां तो क्या शिष्टमण्डल पर हुए खर्च का कुछ भाग सरकार द्वारा वहन किया गया है ?

श्री सादत अली खां : हां श्रीमान् । उस खर्च को हमने कुछ सीमा तक वहन किया है, परन्तु शिष्टमण्डल के चीन में पहुँचते ही, सारा खर्च चीनी सरकार द्वारा वहन किया गया है ।

श्री चट्टोपाध्याय : चीन में कोन-कोन से प्रलेखीय चलचित्र तथा भारतीय चलचित्र दिखाये गये हैं अथवा अब दिखाये जा रहे हैं ।

श्री सादत अली खां : फिल्म-सप्ताह के दौरान में दिखाये गये भारतीय चलचित्र ये थे —अनेकों प्रलेखीय चलचित्रों के अतिरिक्त आवारा , दो बीघा जमीन, राही

और आंधियां। इनके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण प्रलेखीय चलचित्र भी दिखाये गये थे; उनके नाम हैं—अजन्ता भित्ति चित्र और नदी घाटी परियोजनायें।

स्लेग सीमेंट प्लांट

*१७७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलई (मध्य प्रदेश), दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) और रूरकेला (उड़ीसा) में स्लेग सीमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन प्लांटों के स्थापित होने के पश्चात् कितने सीमेंट के उत्पादन होने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) और (ख) यह निश्चय हो चुका है कि एक प्राइवेट कम्पनी को रूरकेला में स्लेग सीमेण्ट का कारखाना स्थापित करने का लायसंस दे दिया जाए जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३६०,००० टन हो। एक प्राइवेट कम्पनी को ऐसा ही एक कारखाना भिलई या उसके पास ही कहां स्थापित करने के लिए लायसंस देने का भी निश्चय किया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता ८५,००० टन स्लेग सीमेण्ट तैयार करने की हो। लेकिन इस लायसंस देने की शर्त यह होगी कि रेल परिवहन दृष्टि से इस पर कोई आपत्ति न हो। यह पहलू विचाराधीन है।

अभी तक हमें ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है जिसमें दुर्गापुर में स्लेग सीमेण्ट का कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी गयी हो। लेकिन एक निजी कम्पनी को कुलटी स्थित आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने से स्लेग लेकर सीमेंट का कारखाना (वार्षिक उत्पादन क्षमता १,७०,००० टन) स्थापित करने की अनुमति दे दी गयी है इस कारखाने के लिए दुर्गापुर में स्थापित होने वाले इस्पात कारखाने से भी स्लेग लिया जा सकता है। लेकिन सीमेण्ट का यह कारखाना तभी स्थापित करने दिया जाएगा, जबकि रेल परिवहन दृष्टि से भी यह योजना सम्भव हो सके।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार का एक कारखाना सिन्दरी में पहले ही स्थापित किया जा चुका है, और यदि हां, तो क्या इस कारखान में उत्पादित सीमेंट की कीमत का हमारे देश में तैयार किये जाने वाले दूसरी प्रकार के सीमेंट से भली प्रकार तुलना की जा सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं जानता हूं कि एक कारखाना सिन्दरी में स्थापित किया गया था पिछले महीने इस में उत्पादन होना आरम्भ हुआ था। परन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने जो अन्य तफ़सील पूछी है वह बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री एम० ल० द्विवेदी : हमारे देश में प्राप्य स्लेग की कुल मात्रा क्या है और हम कब तक इस सारे स्लेग को सीमेंट में परिवर्तन कर सकेंगे और इस सम्बन्ध में आवर्तक अथवा अनावर्तक खर्च कितना होगा ?

श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी : आजकल लोहे और इस्पात के जिन कारखानों में काम हो रहा है उनमें प्राप्य स्लेग की मात्रा का परिगणन नहीं किया गया क्योंकि इसमें किसी ने संजीदगी से दिलचस्पी नहीं ली। जो नए संयन्त्र स्थापित किए जायेंगे उन में जो स्लेग प्राप्य होगा उसके सम्बन्ध में हमने कुछ दिलचस्पी ली है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना का क्या कार्यक्रम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सीमेंट के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारा

कार्यक्रम बहुत विशाल है परन्तु हमने स्लेग सीमेंट के उत्पादन की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है और न ही इस उद्देश्य के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ।

गोआ

*१७८. **श्री श्रीनारायण** दास : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में भारतीय हितों की सुरक्षा और देखभाल के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध का स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). मिस्र ने पुर्तगाल, उसके उपनिवेशों और भारत-स्थित उसकी बस्तियों में हमारे हितों की देखभाल करना स्वीकार कर लिया है । इस प्रबन्ध के लिये पुर्तगाल सरकार की स्वीकृति का इन्तजार है ।

श्री श्रीनारायण दास: क्या सरकार को मालूम है कि गोआ से जो भारतीय निकल आए हैं और जो जायदाद वह वहां छोड़ आए हैं, वह कितनी है और उसका मूल्य क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा: यह इत्तिला हमारे पास नहीं है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार को पता है कि गोआ की सरकार ने भारतीयों की कितनी जायदाद कन्फिस्केट की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसकी कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है ।

श्री कामत : क्या सरकार को गोआ में भारतीय नजरबन्दों के सम्बन्ध में हाल ही में कोई जानकारी प्राप्त हुई है और, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी हाल ही में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है; परन्तु कुछ समय पहले हमें लोगों से, उनके परिवारों के सदस्यों से जिन्होंने उन से भेंट की थी, कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई थी, मुझे मालूम नहीं कि क्या माननीय सदस्य तफसील में जानकारी चाहते हैं । कुछ बातों में उनकी हालत सन्तोषजनक नहीं थी, मेरे विचार में मुख्य शिकायत कोठरियों के भीतर बन्द रखने और बाहर न निकलने देने की थी ।

श्री कामत : हमारे साथी श्री टी० के० चौधरी के बारे में क्या कोई समाचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैं ने कहा है, जहां तक मुझे मालूम है मुख्य शिकायत यही थी कि उन्हें किसी प्रकार के व्यायाम अथवा खुली और ताजा हवा के लिये बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता और काल कोठरियों में बन्द ही रखा जाता है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि पुर्तगाल, गोआ पर अपनी विजय का दिवस मनाने की सोच रहा है जिसकी वर्षगांठ उनके अनुसार कल २५ तारीख को है । और यदि यह सच है तो क्या जिस प्रकार चीन के प्रधान मंत्री श्री चो-एन-लाई ने हाल ही में पुर्तगाली मकाओ के सम्बन्ध में इसी प्रकार के समारोह के विरुद्ध सफलतापूर्वक विरोध प्रकट किया था उसी प्रकार इस साम्राज्यवादी नीचता के विरुद्ध सरकार, ने प्रबलता से अथवा दूसरी प्रकार से कोई विरोध प्रकट किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे स्वंय इस प्रकार के किसी समारोह का ज्ञान नहीं था, लेकिन, हां, मेरी जानकारी सीमित भी हो सकती है । फिर भी ऐसी किसी सरकार के पास किसी प्रकार विरोध प्रकट नहीं कर सकते जिसके साथ हमारे व्यवहार न हों ।

ट्रैक्टर

***१७९. श्री राधा रमण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १४५५ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ट्रैक्टरों की कुल आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, उसके मिलने की कब आशा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रतिवेदन की आशा कब की जा सकती है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि ट्रैक्टर बनाने के लिये फरीदाबाद में जिस कारखाने को स्थाप्ति करने का विचार था क्या उसकी स्थापना हो चुकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, मुझे इस की कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसका सम्बन्ध पुनर्वास मंत्रालय से है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में पुनर्वास मंत्रालय की दृष्टि में इस प्रकार की कोई बात है ।

श्री राधा रमण : जितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है उनकी संख्या के निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार को कब तक प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (ख) भाग के उत्तर में ही मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का उत्तर भी है ।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्ज़ लिमिटेड, देहली

***१८०. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ देहली के हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्ज़ लिमिटेड कारखाने में किस कच्चे माल का उपयोग होता है ; और

(ख) क्या कच्चे माल के संभरण के लिए टैण्डर आमंत्रित किए गये थे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) डी० डी० टी० बनाने के लिये जिस कच्चे माल का मुख्यत: उपयोग होता है वह है अलकोहल, बैन्ज़ीन, गन्धक का तेजाब, ओलियम और क्लोरीन ।

(ख) नहीं, टैण्डर आमंत्रित करने का प्रश्न नहीं उठा था क्योंकि मूल कच्चा माल ओलियम और कलोरीन बहुत ही तीव्र नाशक पदार्थ हैं, उन्हें बहुत दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता और एक नजदीकी स्थान से प्राप्त करना पड़ता है । इसलिये एक ही सम्भव मार्ग यह था कि दिल्ली में कारखाना स्थापित करने का निर्णय करने से पहले उचित दामों के लिये बातचीत की जाये । अलकोहल सरकार द्वारा निश्चित दामों पर खरीदी जाती है । बैन्ज़ीन को सिन्दरी फरटीलाइज़रज़ कम्पनी और रक्षा मंत्रालय से प्राप्त किया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कम्पनी का कोई निदेशक क्या पहले कच्चे सामान का सम्भरण करता भी था ।

श्री सतीश चन्द्र : हां, कम्पनी का एक निदेशक कच्चा सामान देने वाली एक कम्पनी का निदेशक भी है, परन्तु वह करार को अन्तिम रूप देने के काफी समय पीछे निदेशक बने थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह उचित है कि इस कम्पनी का एक निदेशक, सामान देने वाली कम्पनी का भी निदेशक हो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निदेशक प्रतिदिन लगभग पांच टन नमक का तेज़ाब क्या मुफ़्त ले रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इसका ज्ञान नहीं है ।

खादी और ग्रामोद्योग

*१८१. **श्री डाभी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में जो विकास कार्यक्रम बनाया था उसे क्या योजना आयोग ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी और ग्रामोद्योगों के लिये जो विकास कार्यक्रम दूसरी पच वर्षीय योजना के लिये तैयार किया था, कार्वे समिति ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशें तय करने से पहले उस पर सोच विचार किया था । समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग के लिये अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने उत्पादन और रोजगार के क्या लक्ष्य निश्चित किये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : ३१७.०५ करोड़ रुपये के कुल व्यय से उन्हें २९२२.२१ करोड़ रुपये की आमदनी और ७५.४५ लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आशा है ।

श्री डाभी : कार्वे समिति की सिफारिशों पर किसी निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरे विचार में एक और प्रश्न के प्रसंग में, मैं इस बात का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि योजना के मसौदे को अन्तिम रूप देने से पहले हमें कार्वे समिति की सिपारिशों पर कुछ निर्णय करने की आशा है अर्थात् अगले कुछ सप्ताहों के भीतर ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री डाभी : क्या सरकार सभा पटल पर बोर्ड के कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि रखने की कृपा करेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरे विचार में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यक्रम छप चुका है परन्तु मैं ठीक ठीक पता लगाऊंगा और यदि संभव हुआ तो इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कोयला

*१८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाहियों की जांच के सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गई थी क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिश क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और दो सिफारिशें विचाराधीन हैं । एक सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती ।

(ख) जिन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार किया गया है वे हैं :—

(१) कोयले सम्बन्धी राज्य व्यापार का अन्त

(२) कोयले के निर्यात पर श्रेणीबद्ध पाबंदी में छूट;

(३) कोयला खान नियंत्रण आदेश (कोलीयरी कन्ट्रोल आर्डर) में निर्धारित श्रेणियों का कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (कोल ग्रेडिंग बोर्ड) द्वारा स्वीकरण ; और

(४) कलकत्ता बन्दरगाह में प्राप्य सुविधाओं में सुधार करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाहियों का स्वीकरण ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या है और इसमें से कितना देश के भीतर प्रयोग होगा और कितना बाहर भेजा जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं समझता कि यहां यह प्रश्न किस प्रकार उठ सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : बाहर भेजे जाने वाले उस श्रेणी के धातुकर्मिक कोयले की प्रतिशतता क्या है ? क्या समिति ने सुझाव दिया है कि इस प्रकार के कोयले को बाहर नहीं भेजने दिया जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मैं जानता हूं, समिति ने ऐसी सिफारिश नहीं दी । वस्तुतः उसका अभिप्राय यह था कि निर्यात किये जाने वाले कोयले पर श्रेणीवार प्रतिबन्ध ढीले कर दिये जायें । । यदि हमारे पास फालतू धातुकर्मिक कोयला हो तो हम इसका कुछ भाग बाहर भी भेज सकते हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : दक्षिण-पूर्वी एशिया के कौन-कौन से देशों ने भारतीय कोयले के निर्यात के लिये भारत सरकार को लिखा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : भारत सरकार को तो किसी देश ने नहीं लिखा है । हां, कोयला दक्षिण-पूर्वी एशिया के तीन चार स्थानों में—सिंगापुर, हांगकांग और एक दो अन्य देशों में—भेजा जा रहा है ।

रंग द्रव्य संयंत्र

***१८३. श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बम्बई में एक रंग द्रव्य संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

प्रेस संवाददाताओं की मान्यता

***१८५. श्री भक्त दर्शन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रख कर भारतीय और विदेशी पत्र सम्वाददाताओं की मान्यता के बारे में नियमों में कोई संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित रूप में नियमों की प्रतियां सभा की टेबल पर रखी जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस बारे में वर्तमान नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर प्रैस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार मान्यता समिति

बनाई गई है । उस समिति की सलाह से नियमों में सुधार करने का इरादा है ।

(ख) नियमों के बन जाने पर उनकी एक प्रति सभा के टेबल पर रक्खी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसी कि प्रैस आयोग ने सिफारिश की थी कि जो मान्यता समिति हो उसमें आधे प्रतिनिधि सम्पादकों के हों और आधे वर्किंग जर्नलिस्ट्स के, क्या उस नीति का इसमें पालन किया गया है ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पत्रकारों को लिया गया है या नहीं ?

श्री करमरकर : सवाल का जो पहला आधा भाग है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि चार प्रतिनिधि ए० आई० एन० ई० सी० के लिय गये हैं और चार वर्किंग जर्नलिस्ट्स के । लेकिन मेरे पास जो नाम हैं उनसे यह प्रकट नहीं होता कि कौन हिन्दी का है । उनके बारे में मैं सूचना नहीं दे सकता ।

श्री भक्त दर्शन : प्रैस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को हिदायत दी जाये कि वे अपने यहां भी इस प्रकार की मान्यता कमेटियों को कायम करें । क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने इस हिदायत का पालन किया है या नहीं, और यदि पालन नहीं किया है तो क्या उनको कोई स्मरण पत्र भेजे गये हैं ?

श्री करमरकर : हमने तो राज्य सरकारों के पास हिदायत भेज ही हैं । अभी मुझे पता नहीं है कि राज्य सरकारों ने उस पर अमल किया है या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति का कोई समय निरधारित किया गया है कि वह उस समय के अन्दर अपनी सिफारिशें दे ? और उसके बाद क्या यह संशोधित नियम सभा के पटल पर रख जायेंगे ?

श्री करमरकर : जी हां । मैं ने कहा है कि उनकी पहली बैठक २ सितम्बर, १९५५ को हुई थी और दुसरी सभा में जो सजेशन्स देने होंगे उनके बारे में वे विचार कर रहे हैं । काल की मयांदा है या नहीं इसका मुझे पता नहीं है ।

राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

***१८७. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य के लिये अभी तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को किस आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पंजाब सरकार को अभी तक ४.८१ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में और इतनी ही राशि राजकीय सहायता के रूप में दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त ६.६८ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में और ४.६२ लाख रुपये की राशि राजकीय सहायता के रूप में पंजाब के ६ नियोजकों और औद्योगिक कर्मचारियों की एक सहकारी संस्था को दी गयी है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों की सिफारिशों पर औद्योगिक संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे सहायता दी जाती है । सहायता का ३७ १/२ प्रतिशत भाग ऋण और २५ प्रतिशत राजकीय सहायता के रूप में दिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : पंजाब के कितने औद्योगिक व्यवसायों को ऋण दिये गये हैं और वे संस्थायें कहां स्थित हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : विवरण में मैंने इसका वर्णन किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझ खेद है कि मुझे वह विवरण नहीं दिया गया था ।

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक नियोजकों का सम्बन्ध है, ऋण उन संस्थाओं को दिये गये हैं, जो अम्बाला जिले में जमुनानगर, हिसार जिले में भिवानी, अम्बाला खास, हिसार और अमृतसर में स्थित हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस योजना के अन्तर्गत लगभग कितने मकान बनवाये जायेंगे?

सरदार स्वर्ण सिंह : आशा की जाती है कि जो राशियां मंजूर की जा चुकी हैं उनसे १,०५७ मकान बनवाय जायेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त औद्योगिक व्यवसायों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कब तक मकान मिल जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रकार का कोई अनुमान करना बहुत कठिन है क्योंकि अन्य साधनों से भी मकान बनाये जा रहे हैं और यह भी इरादा नहीं है कि इसी योजना के अन्तर्गत सभी मकान बनाये जायें ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली

***१८९. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २० सितम्बर, १९५५ को दिये गये अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली की भावी योजना निश्चित करने के लिये जो विभागीय विशेषज्ञों की विभागीय समिति बनाई गई थी उसने क्या प्रगति की है ;

(ख) उस फैक्टरी में इस समय किस प्रकार का काम किया जा रहा है और किस व्यक्ति की देख रेख में आजकल यह काम हो रहा है ; और

(ग) फैक्टरी में कितने कर्मचारी और श्रमिक हैं और उन पर आजकल मासिक व्यय कितना होता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) समिति की पहली बैठक १२ अक्तूबर, १९५५ को हुई । उसके टेकनिकल सदस्य आजकल ज़रूरी तथा पूरी जांच कर रहे हैं ।

(ख) फैक्टरी के पास पहले दबायी और पहले ढाली गयी कंकरीट (प्री स्ट्रेस्ड एंड प्रीकास्ट कंकरीट) के टुकड़े और लकड़ी के दरवाज़ों, खिड़कियों वग़ैरा की जो मांगें आ चुकी हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है । यह काम फैक्टरी के जनरल मैनेजर की देखभाल में हो रहा है । वे केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ।

(ग) फैक्टरी में आजकल ७० कर्मचारी तथा ४०० श्रमिक काम करते हैं । माहवारी खर्च लगभग ४४,००० रुपये है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि बसाखा सिंह और उनके साथियों ने जो सामान बनाया था वह कितना था, उसका मूल्य क्या था और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब से इस हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का निर्माण हुआ है तब से अब तक सरकार को कितना नुकसान देना पड़ा है और इस पर कुल कितनी लागत लगी है, और अब जो भविष्य के लिये कर्मचारी लगे हुये हैं उनको कितना वेतन वगैरह दिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस फैक्टरी की हिस्ट्री कई दफा हाउस के सामने आ चुकी है और उस पर बहस हो चुकी है । पहले यह हैल्थ मिनिस्ट्री के पास थी, फिर प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के पास रही, थोड़ा समय हुआ कि अब यहां आई है । इसलिये सारी डिटेल (विवरण) की आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं बता सकूं कि कौन कौन सी चीज़ किस किस वक्त बनी और उसका क्या हुआ । यह बड़ी डिटेल्स (विवरण) हैं । इनके लिये नोटिस चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अलमोनियम

*१६५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:**
श्री एस० के० रजमी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अल्मोनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है या करने वाली है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अलमोनियम धातु के पिंडकों के वर्तमान निर्माताओं को अपनी उत्पादन-क्षमता ७,५०० टनसे २०,००० टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ; संयंत्र और मशीनरी आदि के आयात की सुविधा के लिये नियंत्रित वस्तुओं जैसे इस्पात की छूट दी जा रही है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने अभी हाल में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो देश के अलमोनियम की अतिरिक्त क्षमता के स्थान के सम्बन्ध में बौक्साइट, विद्युत् तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, अपना प्रतिवेदन देगी ।

भूमि सुधार संबंधी केन्द्रीय समिति

*१७५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या योजना मंत्री २९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ने पश्चिमी बंगाल में साझे की खेती करने वालों को दिये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में क्या विचार प्रकट किये ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के निश्चय अनौपचारिक और गोपनीय हैं और उन्हें प्रकाशित करना लोकहित में नहीं है ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

*१८४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या प्रधान मंत्री ५ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के विधि-अनुसार हस्तान्तरण की बातचीत प्रारम्भ हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस अवस्था में है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को भारत के हवाले करने का एक प्रारूप संधिपत्र भारत सरकार द्वारा मई, १९५५ में नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी राजदूत को दे दिया गया था । पेरिस स्थित हमारे राजदूत इस मामले में आगे बातचीत कर रहे हैं ।

कम्बोडिया और लाओस में भारतीय कानसुलेट

*१९०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया और लाओस म क्रमश: स्थापित पोलीटीकल मिशन और कानसुलेट -जनरल का दर्जा ऊपर उठाने के प्रश्न पर विचार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निश्चय किया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). २२ अप्रैल, १९५५ से कम्बोडिया में खास मिशन का दर्जा बढ़ा कर दूतावास कर दिया गया था। लाओस में कौनसुलट जनरल का दर्जा बढ़ाने के सवाल पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

ग्रहमंडल की प्रतिकृति का उपहार

*१९२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गण-राज्य सरकार ने भारत सरकार को गृहमंडल की एक प्रतिकृति का उपहार दिया है, जो दिल्ली के औद्योगिक मले में एक प्रदर्शित वस्तु है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कहा स्थापित किया जायेगा?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी हाँ, जब तक कोई अधिक उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता यह ग्रहमंडल की प्रतिकृति वहीं पर रहेगी, जहां है।

मिलान नमूना मेला

*१९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** २९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल १९५५ में हुये मिलान नमूना मले के भारतीय पंडाल के संबंध में मांगी गयी जानकारी इटली स्थित हमारे दूतावास से प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या वह पदाधिकारी जो मिलान नमूना मेले में भारतीय प्रदर्शन-वस्तुओं का प्रभारी था, अभी भी भारतीय दूतावास में वहां काम कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) जी हां, जल्दी ही।

(ग) जी नहीं।

हथकरघा सहकारी समितियां

७१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय हथ करघा सहकारी समितियों के अधीन काम करने वाले हथकरघा बुनकरों की संख्या क्या है ;

(ख) वस्त्र उपकर से इकट्ठा की गयी निधि में से कितनी अंशपूंजी (राज्यवार) अब तक बुनकरों को दी गयी है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों को कुल कितनी कार्यकारी पूंजी दी गयी है; और

(घ) उक्त भाग (ख) और (ग) के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूली किस सीमा तक हो गयी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]** भाग (क) के उत्तर में सहकारी वर्ग के हथकरघों की संख्या दी गयी है बुनकरों की संख्या नहीं दी गयी है।

कोलम्बो में भारतीय दुकानों का लूटा जाना

७२. { **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ अक्तूबर, १९५५ को कोलम्बो के उपद्रवों में भारतीय व्यापारियों की दुकानों के लूटे जाने का कारण क्या है;

(ख) इन उपद्रवों में भारतीयों के जन-धन की कितनी हानि हुई; और

(ग) और कोई विवरण जो सरकार को इस संबंध में प्राप्त हुये हों ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) खबर मिली है कि १२ अक्टूबर, १९५५ की शाम को, कोलम्बो के टाउन हाल में तामिल और सिंहाली भाषाओं को समान दर्जा दिये जाने की मांग करने के लिये, कम्यूनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने पर एक झगड़ा हुआ। तामिल विरोधी लोगों ने पहले कम्यूनिस्ट पार्टी की मीटिंग में गड़बड़ करने की कोशिश की, फिर वे टाउन हाल के पास सड़कों से गुजरते गये और उन्होंने तामिल भारतीयों की कुछ दुकानों पर हमला किया।

(ख) इस घटना का करीब १० दुकानों पर असर पड़ा। दो के अलावा बाकी दुकानों पर कम नुकसान होने की खबर मिली है। ठीक ठीक नुकसान का अभी पता नहीं है। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) यह खबर मिली है कि हमला भारतीयों के खिलाफ न था, बल्कि केवल सीलोनी तामिल लोगों के खिलाफ था। बात यह हुई कि जब दंगा बढ़ा तो सिर्फ भारतीयों की ही दुकानें खुली हुई थीं।

नई दिल्ली में रहने की जगह

७३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस्टेट (सम्पदा) पदाधिकारी की अनुमति से कितने सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश तथाकथित उपकिरायेदारों को बहुत अधिक किराया देना पड़ता है ;

(ग) ऐसे मामलों को कम करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ; और

(घ) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को चाहे उसके परिवार में कितने भी व्यक्ति हों कम से कम दो कमरों का क्वार्टर देने का निम्नतर स्तर कायम रखते हुये क्या इस प्रकार का भी कोई प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार क्वार्टर दिये जायें ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ५०६४।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार नये क्वार्टरों के बनवाने का काम तेजी से कर रही है ताकि १९५८ के अन्त तक सभी सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर मिल जायें।

विदेशों में बसे भारतीय

७४. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न देशों में बसे हुये भारतीय राष्ट्रजन और भारतीय उद्भव के लोगों की संख्या अलग अलग क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी का इकट्ठा करना

बहुत कठिन कार्य है। बर्मा, श्रीलंका, मलाया, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी द्वीपसमूह में बहुत से भारतीय स्थायी या अर्द्ध स्थायी रूप से बसे हुय हैं और उनमें से बहुतों ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि वे भारतीय राष्ट्रजन रहेंगे या जहां रह रहे हैं वहां की नागरिकता स्वीकार करेंगे । इस समय केवल यही कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पास भारतीय परिपत्र हैं या जिन्होंने विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय कार्यालयों में अपना पंजीयन करा लिया है वे निश्चित-रूप से भारतीय राष्ट्रजन मने जायेंगे । यदि इस जानकारी से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो सकें तो इसे उचित समय में इकट्ठा करके सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

अरबी घोड़े का उपहार

७५. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के सरकारी फार्म मंत्रालय ने भारत के प्रधान मंत्री को अरबी नस्ल का एक घोड़ा भेंट किया है ; और

(ख) यदि, हां तो उसे कहां रखा गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के साथ ।

बगदाद का करार

७६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने एशियाई देश बगदाद करार में सम्मिलित हुये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : टर्की और ईराक के अतिरिक्त जो प्रारम्भ के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं , पाकिस्तान और ईरान दो एशियाई देश बगदाद करार में सम्मिलित हो गये हैं ।

गावों में बिजली लगाना

७७. श्री भक्त दर्शन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षत्रों में विद्युत शक्ति की सुविधा अधिकाधिक देने के लिये सरकार ने जो ऋण दिये थे उन में से प्रत्येक राज्य ने अब तक कितने धन का उपयोग किया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चाय

७८. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में उत्तरी और दक्षिणी भारत में चाय की कुल उत्पादित मात्रा कितनी थी ; और

(ख) लन्दन में नीलाम के अभिप्राय से भेजने के लिये निश्चित मात्रा और स्थानीय उपभोग के लिये कितनी मात्रा रखी गई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):

(क) १९५३—

उत्तर भारत—४९१६ लाख पौंड

दक्षिण भारत—१२२९ लाख पौंड

१९५४—उत्तर भारत—५१५८.४ लाख पौंड

दक्षिण भारत—१२८५.३ लाख पौंड

(ख) (i) उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत से १९५३–५४ में निलामी के लिये लन्दन भेजने

के अभिप्राय से निश्चित मात्रायें निम्नलिखित थीं :—

१९५३—उत्तर भारत—२०८८ लाख पौंड
दक्षिण भारत— २२७ लाख पौंड

१९५४—उत्तर भारत—१६६८ लाख पौंड

दक्षिण भारत—२३२ लाख पौंड

(ii) १९५३–५४ में भारत में लगभग १७५० लाख पौंड चाय के खपत का अनुमान किया जाता है ।

हाथ से बने कागज का उद्योग

७९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को १९५२ से सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को कोई ऋण अथा राज्य सहायता स्वीकृत करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई योजना भेजी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) हाथ से बने कागज के उत्पादन के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

बिहार में बसे हुए विस्थापित व्यक्ति

८०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं;

(ख) उनके लिए कितने रहने के मकान और दुकानें अब तक बनाई जा चुकी हैं; और

(ग) आज की तिथि तक कितने ऐसे मकान और दुकान नहीं बन पाए हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) बिहार में विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार से है :

पश्चिमी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान	कुल
१८,३७९	५६,०७८	७४,४५७

(ख) रहने के मकानों और दुकानों की संख्या जो बनाई जा चुकी हैं, निम्नलिखित है।

	पश्चिमी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान	कुल
मकान	५५१	६७२	१,२२३
दुकानें	४२८	कुछ नहीं	४२८

(ग) उन मकानों और दुकानों की संख्या, जो बनाए जा रहे हैं निम्नलिखित हैं:

	पश्चिमी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान	कुल
मकान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दुकानें	कुछ नहीं	२४	२४

वाणिज्यिक सहकारी अधिकारी

८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में सरकार ने वाणिज्यक सहकारी अधिकारियों पर कितना व्यय किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): १९५४–५५ में भारतीय दूतावासों के व्यापारिक विभागों और वाणिज्य प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में २६,३४,१४४ रु० व्यय हुए थे ।

मनीला में भारतीय व्यापार एम्पोरियम

८३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीला में व्यापार एम्पोरियम के संबंध में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इन द्वीपों में किन भारतीय वस्तुओं के लिये नया बाजार पाये जाने की आशा है; और

(ग) वर्ष १९५४–५५ में मुख्य-मुख्य वस्तुएं कितने परिमाण में और कितने मूल्य की फिलीपाइन को निर्यात की गई ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) मनीला में इस सरकार का कोई व्यापार एम्पोरियम नहीं है। व्यापारिक प्रचार कार्य के लिये एक प्रदर्शन केन्द्र है। इस प्रदर्शन केन्द्र पर १९५३ से ५३,८२७ रु० खर्च हुए हैं।

(ख) फिलिपाइन में नया बाजार पाने की जिन भारतीय वस्तुओं की सम्भावना है वे ये हैं : सूतीमाल, चावल, मक्की, और उपयोग की कुछ वस्तुएं जैसे चमड़े का सामान, कागज और उससे बनी वस्तुएं, रंग, रोगन और वारनिशें।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

८४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५५–५६ में राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार मध्यप्रदेश सरकार को कोई ऋण अथवा राज्य सहायता स्वीकृत करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई योजना भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कुल कितने आवास स्थान बनाये जायेंगे और वे किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की योजना स्वीकार कर ली है और उन्हें ४०.५ लाख रुपया की आर्थिक सहायता (subsidy) और उतनी ही रकम कर्ज के रूप में देने की मन्जूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार नीचे लिखी हुई जगहों में कुल मिला कर ३,००० घर बनाये जायेंगे :

नागपुर	२,०००
अकोला	२००
जबलपुर	१००
हिंगन घाट	१००
पुलगांव	१००
बुरहानपुर	२००
बदनेरा	५०
अचलपुर	५०
रायगढ़	१००
राजनन्दगांव	१००

व्यापार प्रदर्शनियां

८५. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ में भारत ने विदेशों में हो रही व्यापारी प्रदर्शनियों में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में भाग लिया; और

(ग) प्रत्येक देश में भाग लेने के लिए लगभग क्या व्यय हुआ ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न किया जाता है।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में स्कूलों की संख्या क्या है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में १९५५ में इन स्कूलों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). उन स्कूलों की संख्या जो इस समय है निम्नलिखित है :—

(१) निम्नतर प्राथमिक विद्यालय	१५२
(२) एम० ई० विद्यालय	१६
(३) एच० ई० विद्यालय	३

एल० पी० विद्यालयों, १६ एम० ई० विद्यालयों और २ एच० ई० विद्यालयों की तुलना में ७ एल० पी० विद्यालयों की वृद्धि से कुल १५२ हो गया है और एक एच-ई० विद्यालय, की वृद्धि से संख्या कुल ३ हो गई । एम० ई० विद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु इस वर्ष में ही ऐसे दो और विद्यालय तथा ४ और एल० पी० स्कूलों के खोलने का विचार है।

आल इंडिया रेडियो ध्वनि परिक्षण समिति

८७. **श्री पुन्नूस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आकाशवाणी के संगीत परीक्षा बोर्ड के उत्तरी और दक्षिणी तालिकाओं के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) ये समितियां किस आधार पर बनाई गई थीं और इन के सदस्य चुने गए थे ; और

(ग) इन समितियों के प्रत्येक सदस्य को भिन्न २ क्या वेतन दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ख) मंत्रालय द्वारा सदस्य उन व्यक्तियों में से जो हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के परीक्षण और वर्गीकरण के कार्य के लिये उपयुक्त होते हैं, संगीत में योग्यता और संगीत की अभिज्ञता के आधार पर चुने जाते हैं।

(ग) तालिकाओं के उन सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता, जो अवैतनिक रूप में उन में काम करते हैं। जब वह अपने कर्त्तव्य के सम्बन्ध में दौरे पर जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता नियमानुसार दिया जाता है।

क्योंकि अखिल भारतीय आकाशवाणी में काम करने वाले सभी कलाकारों के ध्वनि-परीक्षण में दो उपसभापतियों को लगातार एक या दो वर्षों के लिये काम करना पड़ा और सब ध्वनिपरीक्षणों में उपस्थित होना पड़ा, अतः उन को १९५४–५५ में भिन्न रूप से ५०० रुपये दिये गये थे ।

अल्प आय वर्ग आवास योजना

८८. { श्री एस० सी० सामन्त :
श्री ए० बी० चौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल को दिये गये ऋण में कितना धन अब तक बांट दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस योजना-समय के लिये और ऋण मांगा है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी तक २०० लाख रु० के कुल ऋण में से पश्चिमी बंगाल की सरकार को ४० लाख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

कोनार बांध

८९. { ठाकुर जुगलकिशोर सिंह :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोनार बांध के उद्घाटन समारोह के सम्बन्ध में भिन्न मदों पर कितना प्राक्कलित और कितना यथार्थ व्यय हुआ था ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : कोनार बांध के उद्घाटन समारोह पर प्राक्कलित व्यय ४६,८०० रुपये हुआ था । इस का विस्तार निम्नलिखित है :

(१) पंडालों द्वारों के बनाने और शृंगारित करने और सुरक्षा के लिये बाढ़ लगाने पर व्यय .	१२,७००
(२) कुर्सियों और मेजों पर भाड़ा और यातायात व्यय	४,९००
(३) झील में किश्ती चलाने सम्बन्धी व्यय	२,७००
(४) बिजली पर व्यय	१,०००
(५) चाय	६,०००
(६) प्रकीर्ण : कारों के खड़ा करने ; माईकरोफोन व्यवस्था, पाने के नलों पर व्यय	२,७००
(७) रात्रिभोज क्लेवा और बोकारो द्वारा यातायात व्यय	८,०५०
(८) विशेष रेलगाड़ियां चलाने और भोजन व्यवस्था पर व्यय	५,८६४
(९) स्मर्ण पुस्तिका	१,०००
(१०) प्रकीर्ण	१,८८६
कुल	४६,८०० रु०

जो व्यय यथार्थ हुआ उस का अभी तक पता नहीं है । इस विषय की सूचना यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कनाडा बांध

९०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री पीयरसन द्वारा चालू किये गये कनाडा बांध के जल से कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी; और

(ख) इस जल के प्रयोग से कितनी बिजली पैदा की जायगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ७,४५,००० एकड़ ।

(ख) ४,००० किलोवाट ऋतु अनुसार और २,००० किलोवाट स्थायी-रूप से विद्युत पैदा की जाएगी ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३९१७–६१

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१४८	बर्मा में भारतीय	३९१७–१८
१४९	सामान सम्बन्धी रियायत नियम	३९१९–२०
१५०	भाखड़ा नंगल परियोजना के इंजीनियर	३९२०–२१
१५१	शाहदरा बांध	३९२१–२३
१५२	खालें और चमड़ा	३९२३–२४
१५३	जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	३९२४–२५
१५४	बिजली का भारी सामान	३९२६–२७
१५५	भारत सेवक समाज	३९२७–२८
१५६	होन्नेमण्डू परियोजना	३९२८–२९
१५७	कोरिया के संग्राम कैदी	३९२९–३०
१५८	भूमि सुधार तालिका	३९३०–३२
१५९	काश्मीर प्रिंसेस विमान दुर्घटना	३९३२–३३
१६०	टायर बनाने वाले समवाय	३९३३–३४
१६१	सेंधा नमक	३९३४–३६
१६३	आकाशवाणी	३९३६
१६४	रंग गवेषणा प्रयोगशाला	३९३७
१६७	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	३९३७–३९
१६८	शोरा उद्योग	३९३९–४०
१६९	इस्पात का आयात	३९४०–४१
१७०	हीराकुंड बांध में दुर्घटना	३९४२–४३
१७२	मुद्रकों, प्रकाशकों और डिजाइनरों को पुरस्कार	३९४३–४४
१७४	लकड़ी के शहतीर	३९४४–४५
१७६	चीन में भारतीय फिल्म समारोह	३९४५–४७
१७७	स्लेम सीमेंट प्लांट	३९४७–४९
१७८	गोआ	३९४९–५०
१७९	ट्रैक्टर	३९५१
१८०	हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडज लिमिटेड, देहली	३९५२–५३
१८१	खादी और ग्रामोद्योग	३९५३–५४
१८२	कोयला	३९५४–५६
१८३	रंग द्रव्य संयंत्र	३९५६
१८५	प्रेस संवाददाताओं की मान्यता	३९५६–५८
१८७	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना	३९५८–५९
१८९	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली	३९५९–६१

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३९६१–७८

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१६५	अलमोनियम	३९६१
१७५	भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति	३९६१–६२
१८४	भारत में फ्रांसीसी बस्तियां	३९६२
१९०	कम्बोडिया और लाओस में भारतीय कांसूलेट	३९६२–६३
१९२	गृहमंडल की प्रतिकृति का उपहार	३९६३
१९३	मिलान नमूना मेला	३९६३–६४

अ० प्र० संख्या		
७१	हथकरघा सहकारी समितियां	३९६४
७२	कोलम्बो में भारतीय दुकानों का लूटा जाना	३९६५
७३	नई दिल्ली में रहने की जगह	३९६५–६६
७४	विदेशों में बसे भारतीय	३९६६–६७
७५	अरबी घोड़े का उपहार	३९६७
७६	बगदाद करार	३९६७–६८
७७	गांवों में बिजली लगाना	३९६८
७८	चाय	३९६८–६९
७९	हाथ से बने कागज का उद्योग	३९६९
८०	बिहार में बसे विस्थापित व्यक्ति	३९६९–७०
८१	वाणिज्यिक सहकारी अधिकारी	३९७०
८३	मनीला में भारतीय व्यापार एम्पोरियम	३९७१
८४	राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	३९७१–७२
८५	व्यापार प्रदर्शनियां	३९७३
८६	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण	३९७३–७४
८७	आल इंडिया रेडियो ध्वनि परिक्षण समिति	३९७४–७५
८८	अल्प आय-वर्ग आवास योजना	३९७५
८९	कोनार बांध	३९७५–७६
९०	कनाडा बांध	३९७७–७८

लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
२४ नवंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९, ६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा . ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक . . . ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव . ७०१८

खंड २ और १ . . . ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन . ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . . ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका . ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

गुरुवार, २४ नवम्बर, १६५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये--भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत और बर्मा सरकारों के बीच वित्तीय करार

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं वित्त मंत्री की ओर से भारत सरकार और बर्मा संघ की सरकार के बीच हुए वित्तीय करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, [**देखिये परिशिष्टि १७ अनुबन्ध संख्या** ४८] ।

निशास्ता और ग्लूकोज़ उद्योगों के संबंध में प्रशिुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके संबंध में सरकारी संकलप

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १६५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन, प्रत्येक निम्न पत्र का एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) निशास्ता उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६५५) ।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १२(२)/ टी० बी०/ ५५, दिनांक १२ नवम्बर, १६५५ ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस--३६२/५५**]

(३) ग्लूकोज़ उद्योग के लिये रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६५५) ।

(४) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १२ (३)/ टी० बी०/५५, दिनांक २२ नवम्बर, १६५५ ।

(५) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १२ (३)/ टी० बी०/५५ दिनांक २२ नवम्बर, १६५५ ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—३६२/५५**]

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से, चलचित्र अधिनियम, १६५२, की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन, चलचित्र (विनाचन) नियम, १६५१, में कतिपय अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२८१, दिनांक ११ अक्तूबर, १६५५,

[श्री करमरकर]

की एक प्रति सभा-पटल पर रखता [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० ३८९/५५**].

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८, की धारा ४३ कीहुं उपधारा (३) के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि निवनियमन, १९४८ के सामान्य निवनियमनों तथा भारत के औद्योगिक वित्त निगम के औद्योगिक वित्त निगम (बन्ध पत्र जारी करना) निवनियमन, १९४९, में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या १८।५५, दिनांक ११ अक्तूबर, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-३९४ /५५**]

कार्य मंत्रणा समिति

सताईसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० आय्यंगार (तिरुपति) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आकाशवाणी क पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से, निम्न वक्तव्य देता हूं : कुछ मामलों के बारे में जिन पर लोक-सभा के नौवें सत्र में वाद-विवाद के दौरान में चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि वह उन मामलों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप देंगे और तत्संबंधी सूचना सभा पटल पर रख देंगे । तदनुसार इन में से प्रत्येक मामले के बारे में विस्तृत विवरण तैयार किये गये जिन्हें आयोग ने देख लिया है । मैं सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से इन विषयों सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(१) आकाशवाणी में प्रोग्राम असिस्टेंटों की छंटनी;

(२) आकाशवाणी के एक पदाधिकारी का नवीन सेवा विभाग में समाचार संम्पादक के पद के लिये चुनाव ;

(३) असिस्टट इंजनीयरों का अपने पुराने पदों पर भेजा जाना ;

(४) टैक्निकल असिस्टेंटों के पदों के लिये इंटरव्यू किये गये अभ्यर्थियों का असिस्टेंट इंजनीयरों के पदों के लिये चुनाव ।

[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं उद्योग मंत्री की ओर से यह वक्तव्य देता हूं ।

५ सितंबर १९५५ को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के सम्बंध में श्री गिडवानी ने उनसे एक अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए यह जानने की इच्छा की थी कि १९५१ से १९५५ के अन्दर भारत में आयात किये गये डीजल रोड रोलर, पत्थर कूटने वाले इंजन और सड़क बनाने वाली मशीनों का कुल कितना मूल्य था और उन्होंने उत्तर दिया था, "कि १९५२ में रोलरों की संख्या सतसठ थी, १९५३ में बासठ, १९५४ में एक, और १९५५ में शून्य । १९५२ में मूल्य २५,१२,००० रुपये, १९५३ में २३,२४,५०० रुपये और १९५४ में ३७,५०० रुपये थी । किन्तु ठीक स्थिति यह है कि श्री गिडवानी ने आयात के जो आंकड़े पूछे

थे, वे अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं । पहले दिये गये उत्तर में जो गलती हो गई थी उसके लिये वह खेद प्रकट करते हैं और उत्तर का शोधन करने तथा उस के स्थान पर निम्न उत्तर रखने की अनुमति चाहते हैं :

"आयात के जो आंकड़े पूछे गये हैं वे पृथक पृथक उपलब्ध नहीं हैं । सामान्य शीर्षक "मिट्टी खोदने और उठाने की मशीनरी" के अन्तर्गत किये गय आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मूल्य
१९५२–५३	१,४४,०७,७९१ रुपये
१९५३–५४	१,४५,१८,५३२ रुपये
१९५४–५५	१,०५,९२,६१८ रुपये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—(क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब डा० एम० एम० दास द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी २२ नवम्बर, १९५५ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है जिस में समिति ने सिफारिश की है कि इस विधेयक के लिये १३ घंटे आवंटित किये जाये । अब तक ५ घंटे २ मिनट समय उपयोग किया गया है और सभा के पास शेष ७ घंटे ५८ मिनट हैं । इसमें से ४ घंटे खंडवार चर्चा के लिये और १ घंटा तृतीय वाचन के लिये रखा जा सकता है । इस का यह अर्थ है कि वर्तमान प्रस्ताव के विचारार्थ अब तीन घंटे शेष हैं । तत्पश्चात् हम खंडवार विचार और तृतीय वाचन चर्चा आरम्भ करेंगे जिसके लिये समय सीमा क्रमशः ४ घंटे और १ घंटा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : खंड २२(३) में उपाधि की परिभाषा दी गयी है । दूसरे महत्वपूर्ण खंड २० में केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नीति के प्रश्नों पर निदेश दिये जाने की शक्तियों के लिये व्यवस्था की गयी है । कल के वक्ताओं ने केन्द्रीय सरकार को इन शक्तियों के देने के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है । फिर भी "Policy" [नीति] शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों "relating to national purposes" [राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित] पर बहुत कुछ कहा गया था । कुछ वकील सदस्यों ने इन शब्दों की परिभाषा करने की कठिनाइयों का निर्देश किया था । राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित प्रश्नों की सीमायें निर्धारित करने में कुछ कठिनाई होगी । किन्तु संयुक्त समिति द्वारा ये शब्द जोड़े जाने के परिणाम-स्वरूप सरकार को अब भविष्य में प्रत्येक समय इस बात का विचार करना होगा कि उस के निदेश राष्ट्रीय उद्देश्यों से सम्बद्ध नीति के मामलों पर हैं अथवा नहीं । इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होगी क्योंकि अब केन्द्रीय सरकार की शक्ति कुछ हद तक सीमित हो जायेगी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि): योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय प्रतिवेदन में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, जिससे एक विकट समस्या पैदा हो गई है । इसका कारण यह है कि लोक सेवाओं में विश्वविद्यालों की उपाधि को ही महत्व दिया जाता रहा है । इसे दूर करने के लिये विश्वविद्यालयों में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की परीक्षा तथा गैर-सरकारी शिक्षा का प्रचार होना अनिवार्य है । प्रतिवेदन में स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये तथा उन्हें उनकी प्रकृति के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उच्च शिक्षा के निमित्त उन्हें प्राइवेट

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

विद्यार्थी के रूप में शिक्षा की अनुमति प्रदान करने की सुविधा होनी चाहिये ।

पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है । मैंने इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने उत्तर दिया कि यह राज्य का विषय है अतः उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मैं आशा करता हूं कि आयोग को खंड १२ के अधीन जो शक्तियां दी गई हैं उनसे उक्त स्थिति में सुधार होगा । मैं आशा करता हूँ कि स्त्रियों को शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने तथा कालेजों में भीड़ समाप्त करने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी ।

जहां तक शिक्षा के स्तर का सम्बन्ध है बहुत सी संस्थायें तो पढ़ाने के स्थान पर केवल परीक्षक संस्थायें बन गई हैं जिन का एक मात्र कार्य वर्ष में एक बार परीक्षा लेना है । विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि अध्यापक लोग उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते । वे स्वयं उनसे घर में पढ़ने पर जोर देते हैं और स्वयं अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करते हैं । लड़कियों के सम्बन्ध में भी यही समस्या है उन्हें घरों में शिक्षा मिलती है और स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । केन्द्र को इन तथ्यों को संग्रहीत करना चाहिये । यद्यपि अभी तक इस ओर कुछ नहीं किया गया है तथापि मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयत्न से इस स्थिति में सुधार होगा ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी दक्षिण) : मैं आपका ध्यान विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जब यह विधेयक पहिले पहल सभा में रखा गया था, उस समय खंड ३ के साथ साथ खंड २२ तथा खंड २३ का उपबंध भी था । मैंने इस सम्बंध में शिक्षा मंत्री जी से कहा था कि विधेयक में तीनों खंडों को रख कर एक ओर तो आप कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं को विश्वविद्यालय घोषित कर अच्छी बात कर रहे हैं । दूसरी ओर आप खंड २२ के उपबन्ध से उनपर उपाधि देने में प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । इस सम्बन्ध में, मैं १९५४ की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका का निर्देश करूंगा । उसमें दी गई सूची के अनुसार दो प्रकार की शिक्षा संस्थायें हैं । एक प्रकार की संस्था बिल्कुल सरकारी होती हैं दूसरे प्रकार की संस्थायें आंशिक रूप से सरकारी होती हैं । अर्थात भारत में कई संस्थायें आदरणीय तथा प्रभावशाली हैं जिन्हें राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से मान्यता तथा अनुदान प्राप्त है तथा जो बी० एस० सी० तथा एम० एस० सी० की उपाधियां तक प्रदान करती हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आयुर्वैदिक विश्वविद्यालयों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री धुलेकर : ये सरकारी संस्थाएं ह दूसरी श्रेणी में, जो कि अभिज्ञात है और जिसे सहायता मिल चुकी है, संगीत विद्यापीठ, उजैन (गवालियार), बनारस, कलकत्ता और मद्रास के कुईन्ज कालिज, जामिया मिलिया, झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और बहुत दूसरी संस्थाएं हैं जो उपाधियां देती हैं । मैं ने माननीय मंत्री को बताया था कि धारा २२ के अधीन आप ने यह व्यवस्था की है कि कोई ऐसी संस्था जो किसी अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय नहीं है उपाधियां नहीं दे सकती । अतः आप को उन सब टेक्नीकल संस्थाओं को बन्द करना पड़ेगा जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं । माननीय मंत्री ने यह सुझाव मान लिया था और सरकार ने खण्ड २२ में संशोधन जोड़ा था जिस के अनुसार उन संस्थाओं द्वारा, जो किसी अधिनियम के अनतर्गत विश्वविद्यालयों में नहीं आती हैं, यथापूर्व उपाधियां दी जाया करेंगी अतः काशी विद्यापीठ, गुरुकुल कांगड़ी, झांसी आयुर्वैदिक विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थाएं सुरक्षित हैं । संशोधन का अभिप्राय यही है कि सरकार एक अधिसूचना निकालेगी जिस में उन उपाधियों की सूची

दी जायेगी तथा केवल वही उपाधियां दूसरे विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा नहीं दी जा सकेंगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वह कहां लिखा हुआ है ?

श्री धुलेकर : यह खंड संख्या २२ में लिखा हुआ है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या उस का अर्थ यही है ?

श्री धुलेकर : माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था जिसके अनुसार इसका अर्थ यही है कि अब के विश्वविद्यालयों को जो विधिपूर्वक स्थापित हैं आयोग द्वारा अपनी उपाधियों का पंजीयन कराना होगा और राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जायेगी कि ये विशेष विश्वविद्यालय की उपाधियां हैं और दूसरी संस्थाएं ये उपाधियां नहीं दे सकतीं ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : मेरे विचार में खंड संख्या ३ के सम्बन्ध में भ्रान्ति है । खंड संख्या ३ ऐसे है :

"आयोग की मंत्रणा अनुसार केन्द्रीय सरकार सरकारी राज पत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के लिये कोई संस्था इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय समझी जायेगी । ऐसी घोषणा के उपरान्त इस अधिनियम के खंड (च) की धारा २ में दिये गये अर्थ के अनुसार विश्वविद्यालयों की तरह ऐसी संस्था को लाग होंगे ।" कुछ ऐसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो अपने आप को विश्वविद्यालय नहीं कहती और जिन के पास अधिकार पत्र नहीं है परन्तु यह सम्भव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें उच्चतर शिक्षा की उन्नति के लिये अनुदान पाने के योग्य समझे । खंड संख्या ३ का अभिप्राय ऐसी संस्थाओं को सम्मिलित करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शिकायत यह है कि उपाधियां नहीं दी जा सकतीं ।

श्री धुलकर : मैं माननीय उपमंत्री जी से सहमत नहीं हूं । ये सब बातें जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पहले ही लिखकर माननीय मंत्री को प्रस्तुत की गई थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ये संस्थायें उपाधियाँ दे सकें ।

श्री धुलेकर : केवल वही उपाधियां जो सरकारी राज पत्र में अधिसूचित अर्थात प्रकाशित की जाती हैं और किसी संस्था द्वारा नहीं दी जा सकती । वे पुरानी उपाधियां दे सकतीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड संख्या २२(३) के अधीन 'उपाधियों' से वे उपाधियें अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृत हैं ।

श्री धुलेकर : उपखण्ड संख्या ३ के अनुसार उपाधियों का अर्थ आयोग द्वारा निश्चित की गई उपाधियां हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अतः वे केन्द्रीय सरकार से कह सकते हैं कि आचार्य इत्यादि उपाधियों को इस अधिनियम के लिये उपाधियाँ नहीं समझना चाहिये ।

श्री धुलेकर : मैं यह नहीं कहता कि आचार्य की उपाधि नहीं दी जा सकती । दूसरे संस्थायें केवल वे उपाधि नहीं दे सकतीं जो राज पत्र में अधिसूचित की जाएंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह माननीय मंत्री का निर्वचन चाहते हैं ।

श्री धुलकर : माननीय मंत्री जी का निर्वचन कुछ भी नहीं ; यह तो एक विधि का प्रश्न है । विधि बहुत स्पष्ट है । केवल वही उपाधियां नहीं दी जा सकतीं जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती है । अतः ग्वालियार

[श्री धुलेकर]

विद्यापीठ संगीताचार्य की उपाधि दे सकता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि बम्बई विश्वविद्यालय भी संगीताचार्य की उपाधि दे, तो क्या होगा ?

श्री धुलेकर : यह तो अधिकार का प्रश्न है। बम्बई विश्वविद्यालय यह उपाधि नहीं दे सकता। काशी विद्यापीठ को ही लीजिए। उसकी उपाधि को उत्तर प्रदेश सरकार बी० ए० के० बराबर अभिज्ञात करती है। इसी प्रकार जामिया मिलिया की उपाधि भी बी० ए० के बराबर मानी जाती है। इस अधिनियम में ऐसी उपाधियों को अमान्य कैसे किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को स्वयं अधिनियम में तो कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हो रही है। इस अधिनियम का निर्वचन तो उन्हें स्पष्ट है। मंत्री महोदय ने इसका जो अर्थ लगाया है, उसी से वह आशंकित हैं।

श्री धुलेकर : मैं सभा के समक्ष अपना आशय स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने खण्ड २७ के सम्बन्ध में अपने विचार लिखित रूप दे में दिय हैं और इन संस्थाओं के संबंध म जिज्ञासा की है मैं एक सरकारी संस्था—इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टक्नलोजी, खड़गपुर—का उल्लेख करूंगा जो बी० एस० सी० (आनर्स) और एम० एस० सी० (जियोलाजी) की उपाधियां प्रदान करता है। यह पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार की ही एक संस्था है और मेरे विद्वान मत्र यह नहीं कह सकते कि यह उपाधियां प्रदान नहीं कर सकती है। कल यदि इस संस्था कीउपाधियां सूचना पत्र में अधिसूचित न की गयी, अथवा खण्ड (३) के अन्तर्गत यह संस्था विश्वविद्यालय घोषित न की गयी तो यह उपाधि शून्य हो जायेगी।

डा० के० एल० श्रीमाली : क्यों कि यह एक सरकारी संस्था है, इसलिये मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। इस विधेयक के पारित होने के बाद खड़गपुर इंस्टीटयूट बी०एस०सी०तथा अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकेगा। सरकार को एक विधान पुरःस्थापित करना पड़ेगा। खड़गपुर इंस्टीट्यूट के सम्बन्ध में अभी ही हमारा विचार एक विधान पुनःस्थापित करने का है। इस अधिनियम का पूर्ण उद्देश्य यही है कि जिस भी संस्था को किसी विधान सभा से इस आशय का अधिपत्र न मिला हो वह अपने आपको विश्वविद्यालय घोषित न करे। कोई भी संस्था चाहे जैसी उपाधि चाहे प्रदान कर सकती है, परन्तु कुछ उपाधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त होनी ही चाहिये। इस विधेयक का पूर्ण उद्देश्य इतना ही है।

श्री धुलेकर : इसलिये यह स्पष्ट है कि पंजाब विश्वविद्यालय अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई भी संस्था बी.ए की उपाधि नहीं प्रदान कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई संस्था अपने आपको विश्वविद्यालय कहे तो क्या होगा? प्रादेशिक भाषाओं में इसके पर्यावाची शब्दों के प्रयोग पर तो कोई प्रतिबन्ध लगाया नहीं गया है।

श्री धुलेकर : खण्ड २३ के संबंध में भी मैंने माननीय मंत्री से लिखित निवेदन किया था। भारत में ऐसी तीन संस्थायें हैं जिनके नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' शब्द जुड़ा है—झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय और बन्दाबन विश्वविद्यालय। इन तीनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। इन्हें अनुदान मिलते हैं, सरकारी सूचना-पत्रों में इनके नाम प्रकाशित होते हैं। इसीलिये जब यह खण्ड इसमें रखा गया तो मैंने मंत्री महोदय से संपर्क स्थापित किया और शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस खण्ड के साथ यह उपबन्ध भी है कि यदि संस्थायें इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष के भीतर राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मण्डल

में विधान स्वीकार करा कर इस अधिनियम के खण्ड (३) के अन्तर्गत अपने आप को विश्वविद्यालय घोषित करा लेंगी तो यह खण्ड उन पर लागू नहीं होगा।

परन्तु मेरे विद्वान मित्र, उपमंत्री महोदय इससे सहमत नहीं हैं और उन्होंने पुनः खण्ड २३ का गलत निर्वचन किया है। उनका तो कहना है कि यदि केन्द्रीय सरकार खण्ड २३ के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित करके कुछ संस्थाओं को विश्वविद्यालय घोषित कर भी दे तो भी ये संस्थायें अपने नाम के आगे शब्द 'विश्वविद्यालय, लिख नहीं सकतीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे भय है कि खण्ड ३ के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं दी जा सकती है। मेरा निर्वबन यह है कि जहां तक नाम का संबंध है धारा ३ विश्वविद्यालयों की सहायता नहीं कर सकती है। यदि इसका इस प्रकार पंजीयन हो भी जाय तो भी यह दो वर्ष के बाद विश्वविद्यालय नहीं कहला सकती है।

श्री धुलेकर: मेरा निवदन यह है कि इन संस्थाओं को अपने आपको उचित ढंग से निगमित अथवा घोषित संस्थाओं में परिवर्तित कर लेने के लिये दो वर्ष का समय दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: खण्ड २३ के अन्तर्गत घोषणा तो व्यर्थ है। इस से माननीय सदस्य अपने अब तक विश्वविद्यालय कहलाने वाली संस्था को विश्वविद्यालय नहीं कह सकेंगे।

श्री धुलेकर: यह परित्राण खण्ड इस विचार से रखा गया था कि ये संस्थायें इन दो में से कोई एक मार्ग अपनायें: (१) या तो आयोग से यह निवेदन करें कि उन्हें 'विश्वविद्यालय' घोषित किया जाय, अथवा...

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यर्थ है। यदि आयोग माननीय सदस्य के विश्वविद्यालय को 'विश्वविद्यालय' घोषित कर भी दे तो दो वर्ष बाद तो उनको यह नाम छोड़ना ही पड़ेगा।

श्री धुलेकर: मैं तो कहूँगा कि इस परित्राण खण्ड का पूरा उद्देश्य ही विफल हुआ जा रहा है। इसीलिये मैंने आपके सामने सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिये एक संशोधन रखा है ताकि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाये। मैं नहीं चाहता कि अधिनियम के उपबन्धों की किसी भी प्रकार परिवचना अथवा अपवंचना की जायें। जब आयोग और केन्द्रीय सरकार दोनों ने यह निर्णय किया है कि कोई संस्था विशेष ही विश्वविद्यालय मानी जाय, तब यदि धारा ३ के अन्तर्गत एक अधिसूचना निकाली जाय और घोषणा कर दी जाय तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

मैंने ये बातें सभा के सामने इसीलिये रखी हैं जिससे कि सदस्य यह देख सकें कि जब कोई ऐसा उपबन्ध हो, कि देश की राष्ट्रीय संस्थाओं को 'विश्वविद्यालय' घोषित किया जाये, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह प्रभावहीन हो जाये।

श्री अच्युतन: मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रगट किया है कि शिक्षा केवल केन्द्र का ही विषय होनी चाहिये। परन्तु संविधान के अनुसार शिक्षा एक ऐसा विषय है जो केवल राज्यों से ही संबधित है। इस के अतिरिक्त, राज्यों में भी, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार उच्चतर विश्वविद्यालय-शिक्षा का प्रश्न सीधे ही अपने हाथ में नहीं ले लेती। इसलिये मेरे विचार से, इस देश में उच्चतर शिक्षा की उन्नति के लिये अब हम केन्द्रीय और सबंधित राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बना रहे हैं।

[श्री अच्युतन]

अनेक सदस्यों ने यह विचार प्रगट किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार बढ़ा दिये जाने चाहियें। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के संबंध में कोई उपयुक्त निर्णय करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपेक्षा विश्वविद्यालय कहीं अधिक सक्षम हैं। यह आयोग तो मात्र पर्यवेक्षण करने वाली संस्था है और यह केवल अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने, प्रमाणीकरण करने तथा इन विश्वविद्यालयों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिये है जिन्हें धारा ३ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है तथा जिनको इस प्रकार का अनुदान देना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है और न इस संस्था को उन अधिकारों से कुछ अधिक अधिकार प्रदान करने हैं जो विभिन्न राज्यों में वहां के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अधिनियमों के अन्तर्गत मिले हुए हैं।

अनेक सदस्यों ने यह विचार भी प्रगट किया है कि यह आयोग ग्रामीण विश्वविद्यालयों की ओर विशेष ध्यान दे। मेरा विचार है कि दो दर्जन विश्वविद्यालय तथा सैंकड़ों विद्यालय होने पर भी अनेक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से आये छात्रों से ही भरे रहते हैं भले ही व मध्यम वर्ग अथवा निम्न मध्यमवर्ग के ही हों। यदि आप चाहते हैं कि ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जायें तो यह प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों का कार्य है कि वे यह व्यवस्था करें कि उन विश्वविद्यालयों में सब विषय पढ़ाये जायें तथा उन की स्थिति आदि के सम्बन्ध में वह निर्णय करें। परन्तु यह बात न तो मेरी समझ में आती है और न मैं इस बात से सहमत ही हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत भर में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न अपने हाथ में ले।

कल अनेक सदस्यों ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार प्रगट किये थे। मुझे उन माननीय सदस्यों से सहमत होने में बड़ी कठिनाई होगी जो यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जानी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि प्रान्तीय भाषाओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। परन्तु इसमें एक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक विषय प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाया जाने लगा, तो उन क्षेत्रों के छात्र कहां जायेंगे जो किसी कालिज विशेष के क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं? यदि ऐसा हुआ तो कुछ वर्षों बाद विशेष रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन लागू होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि आपको कम से कम कुछ विद्यालय तो ऐसे मिलेंगे ही जहां केवल उसी क्षेत्र विशेष के छात्र पढ़ते होंगे। मैं यह चाहता हूँ कि छात्रों का आदान-प्रदान हो, वे एक दूसरे से घुल-मिल सकें और एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाय। यदि आप उच्चतर शिक्षा के संबंध में भाषा पर अनुचित जोर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में यह बात समझ में आती है, परन्तु उच्चतर शिक्षा के लिये आपको एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे किसी भी भाग से आने वाले विद्यार्थी किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें —इसमें इस बात का कोई प्रभाव न पड़े कि वे किस भाषा भाषी क्षेत्र से आये हैं।

श्री चट्टोपाध्याय: वह कालिजों में ऐसी कौन सी भाषा लागू कराना चाहते हैं जिससे एक राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें?

श्री अच्युतन: मैं कहूँगा अंग्रेजी या हिन्दी या संस्कृत। कोई ऐसी भाषा होनी चाहिये जो सम्पूर्ण भारत में प्रचलित हो।

योग्य व्यक्तियों शिक्षा-शास्त्रियों और विशेष रूप से, अध्यक्ष महोदय! स्वयं आपको, इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। इस क्षेत्र सम्बन्ध में किसी क्षेत्र के मार्ग में बाधा न होनी चाहिये।

इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे यहां विश्वविद्यालय कालिज तथा सम्बद्ध कालिज हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग जातियों एव सम्प्रदायों क अलग अलग काजिल (विद्यालय) भी हैं। इनमें होड़ लगी हुई है। हर वर्ष नये कालिज (विद्यालय) खोलने के आवेदन पत्रों का तांता लगा रहता है। यह अवश्य है कि ये कालिज (विद्यालय) कम से कम शर्तें पूरी करते हैं और कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रहे हैं। यही समस्या है। हमारे पास बड़ी संख्या में कालिज (विद्यालय) भले ही हों परन्तु एक समय आता है जब स्तर गिरने लगता है। इसलिए अधिकार सीमित होते हुए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह देखना चाहिये कि सभी कालिजों (विद्यालयों) में एक समान स्तर कायम रखा जाय। भर्ती के समय ही आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी कि सारे छात्रों ही को भर्ती न किया जाय वरन् सबसे योग्य छात्र ही भर्ती किये जायें जिससे कि उच्चतर शिक्षा केवल उन्हीं को उपलब्ध हो सके जो उसके योग्य हों।

विधेयक के उपबन्धों से मैं सामान्य रूप से सहमत हूं। मैं आयोग की नियुक्ति से भी सहमत हूं। परन्तु खण्ड ६ में यह उपबन्ध है कि तीसरा वर्ष समाप्त होने पर पहली बार नियुक्त किये गये, आधे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। म इसे आवश्यक नहीं समझता। हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापना कर रहे हैं। इसे कम से कम दस-पन्द्रह वर्ष तक कार्य कर के कोई व्यवस्था तो बना ही लेनी चाहिये। इसलिये कम से कम दस-पन्द्रह वर्ष तक तो आपको आधे सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं ही रखनी चाहिये।

मैं आयोग के अधिकारों और कार्यों से भी सहमत हूं: इस विषय में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

फिर निर्वाचन का भी प्रश्न है। मैं कालिजों (विद्यालयों) तथा शिक्षा-संस्थाओं में निर्वाचन कराने के पक्ष में नहीं हूं—निर्वाचनों के बहुत ही खेदजनक परिणाम होते हैं। उप-कुलपतियों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही नामनिर्देशन किये जाने चाहिये, ऐसे व्यक्ति जो योग्य हों और सब की श्रद्धा के पात्र हों। इसलिये मैं इस संस्था में नामनिर्देशन किये जाने के सिद्धान्त से सहमत हूं।

मेरे पूर्व वक्ता ने इस देश में कुछ संस्थाओं द्वारा उपाधियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया था उसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। इस देश में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन्हें छात्रों को उपाधियां प्रदान करने की मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। ये संस्थाय बहुमूल्य उपाधियां प्रदान करतीं हैं। उनकी अपनी पृष्ठभूमि और परम्परायें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देश को सच्चे अर्थों में सेवा को है और इन्हें विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लाने तथा योग्य व्यक्तियों को उपाधि प्रदान करने का अधिकार देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। ऐसी संस्थाओं में पढ़ने वालों को भी किसी भी प्रकार निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिये तथा ऐसी संस्थायें देश के प्रत्येक भाग में बनाई जानी चाहिये। अनेक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। हमें उन पर गर्व है। मेरे राज्य में भी ऐसी कई एक संस्थायें हैं परन्तु उनके प्रति सौतेली मां जैसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इन संस्थाओं का आदर किया जाना चाहिये तथा हमें यह व्यवस्था कर देनी चाहिये कि इनका स्तर

[श्री अच्युतन]

ऊंचा रहे, इन्हें प्रोत्साहित किया जाय और इनका राष्ट्रीय स्वरूप बना रहे।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह विधेयक अवश्य पारित और लागू किया जाय ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके।

श्री एन० सी० चटर्जी: मुझे आशा है कि सभा के सभी दलों के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता अनिवार्य है। परन्तु साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि शिक्षा की योजना बनाने के लिये जो अभिकरण बनाया जाय उसका संगठन लोकतन्त्रात्मक ढंग से किया जाय। यही हमें निराशा का मुंह देखना पड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे खेद है कि शिक्षा मंत्री मौलाना साहब कल भी विधेयक पर पांच घंटे की बहस के समय अनुपस्थित रहे थे और आज भी यहां नहीं हैं।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव ने सभा में जो वक्तव्य दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें उनकी सदाशयता पर संदेह नहीं है। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन इस प्रकार का है कि यह सहज ही सरकार का अंग बन कर नौकरशाही का ही एक विभाग बन जा सकता है। यदि आप इसके सदस्यों का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इसके नौ सदस्यों में से कम से कम पांच व्यावहारिक रूप से सरकारी अधिकारी ही होंगे। इसीलिये हम इस बात पर आग्रह कर रहे हैं कि इसमें निर्वाचन एवं असरकारी तत्त्वों को अधिक स्थान मिलना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में अनेक तीखे प्रश्न उठाये हैं। यदि आप खण्ड १४ को देखें तो दण्ड संबंधी खण्ड पायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विश्वविद्यालय आयोग के आदेश अथवा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दण्ड दिया जायगा। मान लीजिये कि आयोग यह कहता है कि दक्षिण भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में हिन्दी में शिक्षा दी जानी चाहिये और यदि निर्धारित समय में उक्त विश्वविद्यालय ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो क्या इसके लिये दण्ड दिया जायेगा? मैं स्वंय इस पक्ष में हूं कि हमारी एक राष्ट्र-भाषा होनी चाहिये और हिन्दी को यथा-शीघ्र जन भाषा बनाया जाना चाहिये। दक्षिण भारत में इस सम्बन्ध में अभी बहुत असन्तोष फैला हुआ है। वहां के एक सदस्य ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि विधेयक में शिक्षा के सहयोजन, स्तर निर्धारण आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये और आयोग को विश्वविद्यालय में जिस भाषा में शिक्षा दी जाती है उसमें परिवर्त्तन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इस संबंध में माननीय सभासचिव द्वारा आश्वासन दिये जाने के बजाय केबिनेट मंत्री, मौलाना आज़ाद द्वारा आश्वासन दिया जाना अधिक वांछनीय होता।

खण्ड २० के संबंध में एक बात मुझे और कहनी है कि उक्त खण्ड की भाषा बड़ी अस्पष्ट है। उसका उपयोग 'राष्ट्रीय प्रयोजन' के अतिरिक्त भी किया जाना चाहिये। मेरे माननीय मित्र के अनुसार 'राष्ट्रीय प्रयोजन' का तात्पर्य उस प्रयोजन से है जिसे सरकार सर्वोत्तम समझे। अतः यह कहना कि सरकारी प्रयोजन का तात्पर्य राष्ट्रीय प्रयोजन से है, एक बड़ा संकोर्ण विचार है। यहां पर इस चीज को स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार और आयोग के बीच राष्ट्रीय प्रयोजन के मामले में कोई विवाद उठ खड़ा होने की अवस्था में अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार ही करेगी।

इस कारण मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता था कि सरकार की शिक्षा संबंधी

नीति क्या है या क्या होने जा रही है, जिससे कि हमें अपनी दशा का ज्ञान हो जाये। मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के पूर्णतया पक्ष में हूं। अतः विश्वविद्यालयों और संबधित राज्यों के अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अतः जब हम यह कहते हैं कि हम इस आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों के स्तरों को सहयोजित करने तथा निश्चित करने के लिये कर रहे हैं तो मुझे यह आशंका होती है कि ऐसा करके आप विश्वविद्यालयों और राज्यों की स्वायत्तता का अपहरण कर रहे हैं। साधारणतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्तर निर्धारण करने का क्या अधिकार है? स्तर का निर्धारण तो अकादमीय परिषद् और विश्वविद्यालय की सीनेट को करना चाहिये। यदि इसमें कुछ गलती होगी तो उसके लिये राज्य सरकार तो है ही। हमारे संविधान में विधायिनी शक्तियों और विधायिनी कार्यों में जानबूझ कर विभेद किया गया है। संविधान सभा ने यह निर्धारित किया है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्णरूपेण राज्य का विषय होगी। संसद् को केवल टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा से ही संबंध रहेगा। अतः संसद् केवल इन्हीं के लिये स्तर निर्धारित कर सकती है।

डा० एम० एम० दास: माननीय सदस्य संघ सूची की मद ६६ का उल्लेख करना भूल गये हैं जिसमें यह दायित्व केन्दीय सरकार को सौंपा गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना शक्ति के परे है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सहयोजन का क्षेत्र निर्धारित करना चाहते हैं। वह यह नहीं कहते कि संसद अथवा सभा को सहयोजन करने की शक्ति नहीं है। किन्तु वह जानना यह चाहते है कि वह सहयोजन है क्या?

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं संसद् की शक्ति अथवा प्राधिकार पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, वरन् मैं तो यह कहता हूं कि मान लीजिये कि ऐसा करना शक्ति के परे है, तो फिर आप यह क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा करने में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के क्षेत्राधिकार में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने का भय उत्पन्न नहीं हो जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है ही। स्तर निर्धारण के लिये सीनेट, सिंडीकेट और स्नातकोतर परिषद है ही, फिर यह सब करने की हमें क्या आवश्यकता है? मैं इस सबका वास्तविक उद्देश्य जानना चाहता हूं। मेरी समझ में यह बात भी नहीं आती कि यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से बिना किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप किये लागू कैसे की जा सकेगी। किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाने पर वहां की सरकार उसकी जांच-पड़ताल करेगी।

संयुक्त समिति में एक खण्ड रखा गया है जिसे मैं नहीं चाहता हूं कि वह इसमें रहे। श्री एच० एन० मुकर्जी ने संयुक्त समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करने के लिये सभा से निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को न केवल अंगभूत कालिजों के संबंध में ही वरन् सम्बद्ध कालिजों के संबंध में भी शक्ति होनी चाहिये। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या सभा इसे स्वीकार करेगी? इस आयोग को इतनी अधिक शक्ति दे देने से मुझे यह आशंका है कि इसका परिणाम बहुत ही अवांछनीय निकलेगा। मेरा सुझाव यह है कि आयोग को न केवल विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में वरन् सम्बद्ध कालेजों के संबंध में भी जो अधिकार दिये

[श्री एन० सी० चटर्जी]

जा रहे हैं, वह ठीक नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि शवषेणा कार्य में प्रोत्साहन देने के लिये अनदान देने की आड म आयोग विश्वविद्यालयों को अपने अधीन कर लेगा। अतः आयोग को इतनी अधिक शक्ति देना उचित नहीं है। इससे अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती ह। इससे संभव है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त कर के शिक्षा संस्थाओं को सरकार के प्रत्यक्ष रूप से अधीन लाया जाये। मेरा निवेदन है कि इसके लिये अनमति नहीं दी जानी चाहिये।

मैं श्री मेघनाद साहा तथा अन्य सदस्यों द्वारा ग्रामीण शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का समर्थन करता हूं। बड़े शहरों में आज कल अवांछनीय घटनायें हो रहीं हैं जिनका कारण यह बताया जाता है कि छात्र पथभ्रष्ट हो रहे हैं और विश्वविद्यालय उनको सुधारने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

मैं श्री मेघनाद साहा के संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं। वह एक महान शिक्षा-विद् हैं और विश्व-ख्याति के वैज्ञानिक। उन्होंने भी मुझे यह आश्वासन दिया है कि इस आयोग को जो दुर्वह दायित्व दिया गया है वह तब तक नहीं निभाया जा सकता जब तक कि पूरे समय काम करने वाला एक से अधिक विशेषज्ञ न रखा जाये। अतः मैं भी इसी बात पर जोर देता हूं कि जब तक पूरे समय काम करने वाले एक से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तब तक कोई भी वांछनीय परिणाम नहीं निकल सकते हैं। केवल एक ही व्यक्ति इतने विभिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है। म आशा करता हूं कि इस सिफारिश पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

मन्त्रणा परिषद् के संबंध में मुझे आशंका यह है कि इससे दुहरायन और अतिच्छादन होगा।

अतः मेरा सुझाव यह है कि शहरों में जहां इतने सिनेमाघर और नृत्यगृह आदि हैं वहां शिक्षा का वातावरण उत्पन्न नहीं हो सकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा वर्मिंघम कामर्स विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि यहां भी कामर्स के छात्रों को तब तक स्नातक की उपाधि नहीं दी जानी चाहिये जब कि वे शहर की गन्दी बस्तियों या औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ दिन कार्य नहीं कर लेते हैं। पेरिस विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार का नियम है कि छात्र को, अपने दल के प्रोफेसर के साथ तीन वर्ष के अध्ययन काल में से एक वर्ष शहर की गन्दी बस्तियों में व्यतीत करना पड़ता है।

हम इसी प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, हम भी अपने देश के छात्रों को झूठी आशायें दिलाने वाली उपाधियां लाखों की संख्या में बांटकर जीवन में इधर-उधर भटकने देना नहीं चाहते हैं।

मैं ग्राम्य शिक्षा का जोरदार समर्थन करता हूं। मैंने कलकत्ता में देखा है कि रामकृष्ण मिशन, बेलूर के छात्र परीक्षा में उच्चतम स्थान ग्रहण करते हैं यद्यपि वे रहते शहर से पांच मील दूर हैं। उस मिशन के वातावरण में न केवल गंभीर अध्ययन करके वे प्रथम व द्वितीय स्थान ही प्राप्त करते हैं वरन् अपने चरित्र का सुधार भी करते हैं जो इस उपाधि से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस कारण मैं माननीय मंत्री से विनवेदन करूंगा कि वह कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोलें। श्री चैतन्य की जन्मभूमि नवद्वीप में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहूंगा कि तिरुपति में भी एक प्रथम श्रेणी का संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाये। राज्य पुनर्संगठन आयोग ने सिफारिश की है कि हैदराबाद में एक हिंदी विश्वविद्यालय होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यद्यपि

हैदराबाद राज्य के रूप में नहीं रहेगा फिर भी हैदराबाद नगर में एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोला जायेगा।

अब आवश्यकता इस बात की है कि पुराने घिसे पिटे पाठ्यक्रम के स्थान पर एक नया दृष्टिकोण अपना कर उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाये। आज चारों ओर बेकारी दिखाई दे रही है। डा० बी० सी० राय ने बताया है कि कलकत्ता की अवस्था इस संबंध में बहुत शोचनीय है। वहां लगभग पांच लाख शिक्षित लड़के रोजगार न मिलने के कारण भूखों मर रहे हैं। अतः केवल बी० ए०, एम० ए० या बी० कौम० आदि की उपाधि देने से ही काम नहीं चल सकता है जब तक कि उनको काम दिलाने की व्यवस्था न की जाये। अंग्रेजों की भांति केवल क्लर्क पैदा करने से कोई लाभ नहीं है। अतः अब समय वह आ गया है जबकि इस महा बेकारी को दूर करके युवकों को प्रौद्योगिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि वे जीवन संग्राम में टिक सकें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : अभी जो मैंने श्री एन० सी० चटर्जी की तकरीर सुनी और उन्होंने जो नक्शा खींचा कि हम देश में किस तरह की तालीम चाहते हैं और किस तरह की हम युनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) से उम्मीद रखते हैं, तो मुझे पहला खयाल यह हुआ कि यह जो नक्शा हमारे बिल में दिया हुआ है और जिस तरीके का इन्तजाम बिल में इस युनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का किया हुआ है, यह उससे बिलकुल मुखालिफ है। असल तो यह है कि मैं कुछ अर्से से हाउस में यह देखता हूं कि जब भी कोई बिल हमारे सामने आते हैं तो वह बिलकुल स्कैची होते हैं, उन बिलों का असली मतलब, जान और रूह नजर नहीं, आती और हमको मालूम नहीं होता कि दरअसल गवर्नमेंट (सरकार) का असली मंशा क्या है और किस तरीके से उन चीजों को जो गवर्नमेंट (सरकार) चाहती है उसको अमल में लाये जाने की तजवीज है।

अब इस बिल के अन्दर जो हिन्दुस्तान के लिये इतना जरूरी बिल है और जो कि मेरी निगाह में किसी तरह से भी किसी दूसरे बिल से जो आइन्दा इस हाउस (सभा) में आयेगा, उससे कम इम्पोर्टेंस (महत्व) का नहीं है, हमको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट (सरकार) कितना रुपया खर्च करना चाहती है और किस तरीके से रुपया खर्च करना चाहती है और क्या गवर्नमेंट (सरकार) की मंशा है, यह सब बातें इस बिल (विधेयक) के अन्दर मौजूद नहीं हैं। अब जो रूल्स (नियम) बनेंगे, मुमकिन है उनके अन्दर कोई चीज निकले या न भी निकले। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन (अधीनस्थ विधान) के सवाल पर हमारे स्पीकर साहब (अध्यक्ष महोदय) ने राय जाहिर की हमने डेलिगेटेड लेजस्लेशन (अधीनस्थ विधान) के वास्ते एक कमेटी (समिति) मुकर्रर की कि किस तरीके से पार्लियामेंट (संसद्) डेलिगेटेड लेजिस्लेशन (अधीनस्थ विधान) पर कंट्रोल (नियंत्रण) रक्खे। चन्द एक तजवीजात की गई थीं जिनके कि ऊपर आनरेबुल (माननीय) डा० केसकर ने यह जवाब दिया कि गवर्नमेंट (सरकार) ने सोचा नहीं है कि उस कमेटी (समिति) की जो सिफारिशें हैं, उनको मंजूर करे या न करे। अगर गवर्नमेंट (सरकार) उन चीजों पर सोचना नहीं चाहती और उनको मंजूर नहीं करना चाहती है तो हाउस (सभा) का फर्ज है कि कोई रूल (नियम) बनाने के वास्ते इस तरह का सेक्शन (धारा) न रक्खे और हाउस के अन्दर सारे डिटेल्स (विवरण) आयें ताकि हम को पता लगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनको अमल में लाना चाहती है। इस हाउस का फर्ज यह है कि जो हमारी मंशा है कि देश में हो, तो उसका हम पूरा इंतजाम करें और हर एक रूल को उसकी डिटेल में देखें कि वह दरअसल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हमारी मंशा को पूरा करेगा या नहीं। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन (अधीनस्थ विधान) की कमेटी की जो यह तजवीज है कि सारे रूल्स यहां रक्खे जायें और उनको दबदील करने का अख्तियार हो, अगर उसको गवर्नमेंट मंजूर नहीं करती तो हमारे पास एक ही चारा रह जाता है और वह यह है कि हम हर एक रूल पर डिटेल में यहां बहस करना चाहेंगे और उन पर अपनी राय जाहिर करना चाहेंगे।

इस बिल की अहमियत को मैं खूब समझता हूं। दफ़ा ११ की जो मंशा है, वह इतनी वसीय है कि वह देश की किस्मत का फ़ैसला करने वाली है और मैं समझता हूं कि आयन्दा अगर हमने इस देश के फ़ेस (स्वरूप) को चेंज करना (बदलना) है और अगर इसे नया रंग रूप देना है तो बिला शक़ व शुबहा ऐसे कमिशन (आयोग) के ज़रिये से यह रंग रूप नहीं मिलेगा जैसा कि इस बिल के अन्दर इनविसैज किया (रखा) गया है। इसको देखकर मुझे फिर ताज्जुब होता है कि जब एक इतना ज़रूरी कमिशन है, तो उसके लिये एक मेम्बर साहब ने इंसिडेंट्ली (चलते-चलते) फरमाया था और इसके नोट में भी लिखा है कि ५ करोड़ रुपया है और २५ यूनिवर्सिटियां हैं, कम से कम इतना तो इसका ज़रूर स्कोप (क्षेत्र) वसीय है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं और मैं समझता हूं कि इसका स्कोप (क्षेत्र) बहुत वसीय है क्योंकि टकनालोजीकल, इंडस्ट्रियल (औद्योगिक), लिटरेरी (साहित्यक) और मेडिकल (चिकित्सा) एजूकेशन (शिक्षा) को वहां पर तरक्की दी जायेगी और उन सब चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिये यह रक़म बहुत थोड़ी है और साथ ही हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को भी बढ़ाना पड़ेगा।

जहां तक इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के कम्पोजीशन (रचना) का सवाल है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि उसका कम्पोज़ीशन (रचना) ठीक नहीं है और बेढंगा है और यह नामुमकिन है कि मौजूदा कम्पोज़ीशन से कमिशन अपना काम बखूबी कर सके और अपनी मंशा को पूरी कर सके और उसके कम्पोज़ीशन से मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं है कि यह युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन दरअसल वह काम अंजाम दे पायेगा जो उसके सुपुर्द किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के अन्दर मुझे सबसे कमज़ोर बात जो नज़र आती है वह यह है कि जिस तरीक़े का इसको होना चाहिये था वह नहीं है और इसके अन्दर न जान देखता हूं और न रूह देखता हूं और मैं तो इसके अन्दर फक्त एक मुर्दा हड्डी वाला स्केलेटन (ढांचा) देखता हूं उसके अन्दर शायद एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो होल टाइम (पूरे समय का) हो। ज्वाइंट (संयुक्त) कमेटी भी नहीं चाहती है कि जो इस का हेड या चेअरमैन हो वह होल टाइम हो। इतने बड़े देश में जहां पर यह कमिशन इतना रुपया खर्च करेगा जिसके सुपुर्द यह काम होगा कि वह सारे देश की जो हालात हैं उनको तब्दील कर दे, उस में एक भी आदमी होल टाइम न हो, एक आदमी भी उस के काम के लिये रिस्पान्सिबल (उत्तरदायी) न हो, तो कैसे कमिशन का काम चल सकेगा। डा० मेघनाद साहब ने जो सजेशन (सुझाव) दिया है मैं उसकी ताईद करता हूं। यही एक तरीका है जिससे कमिशन कुछ काम कर सकता है। हम हर एक चीज के अन्दर ग्रेट ब्रिटेन की नकल करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में १६ मेम्बर हैं ऐसे कमिशन के। उसके अन्दर प्रेज़िडेंट (राष्ट्रपति) और वाइस प्रेजिडेंट (उपराष्ट्रपति) दोनों ही आदमी होल टाइम आदमी हैं। हालांकि हमारी और ग्रेट ब्रिटेन के हालात में रात दिन का फर्क है। वहां की यूनिवर्सिटीज़ की उम्रें ७००, ३००, १५० बरस की हैं, हमारे यहां की यूनिवर्सिटीज इतनी पुरानी नहीं हैं, हमारे स्टैंडर्ड (स्तर) इतने

ऊंचे नहीं हैं, हम तो अभी ग्राउन्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी हम इस बात में उनकी नकल नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां कम से कम पांच मेम्बर ऐसे होने चाहियें कि कमिशन के काम के वास्ते जिम्मेदार हों, होल टाइमर्स हों और वह रात दिन सिवा इस कमिशन के और किसी दूसरी जगह काम न करें, मैं नहीं चाहता कि उनके हैंड्स (हाथ) इतने फुल हों अपनी यूनिवर्सिटीज़ (विश्वविद्यालय) में कि वह कमिशन के काम पर पूरी तवज्जह न दे सकें। जैसा मि० चैटर्जी ने फरमाया जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चान्सेलर्स हैं वह खुद अपनी यूनिवर्सिटोज के ही लिये सेल्फ सफिशएन्ट हैं, उनके हैंड्स इतने फुल हैं कि वह इस कमिशन के काम पर जरा भी तवज्जह नहीं दे सकेंगे। इस कमिशन के अन्दर आपने तीन वाइस चान्सेलर रक्खे, इसके बाद आप शिकायत करेंगे कि उन्होंने फलां यूनिवर्सिटी के लिये ज्यादा रुपया रक्खा, फलां यूनिवर्सिटी के वास्ते कम रुपया रक्खा। मेरी राय में यह जरूरी है कि कमिशन के मेम्बर अब्बल दर्जे के एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) हों खुसूसन इंडस्ट्रियल और टेकनिकल एजुकेशन के जिस के बारे में हम रोज शिकायतें सुनते हैं कि फैक्ट्री (कारखाना) तो बन गई लेकिन हमारे पास पर्सनेल (व्यक्ति) नहीं हैं। हमारा पर्सनल कैसे बढ़ेगा। क्या इस तरह के आदमियों से बढ़ेगा जिन में एक भी फुल टाइमर नहीं है। चार, छः महीने बाद एक ज्वायेंट स्टाक कम्पनी की तरह से उसकी मीटिंग होगी, चन्द लोग अपनी रायें देंगे और उसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो जायेगी। किसी भी काम को करने का यह तरीका नहीं है। कुछ असहाब ने कहा कि यहां पर एलेक्शन होना चाहिये। मैं एलेक्शन के उसूल का चाहे कितना ही मद्दाह हूं, लेकिन इस कमिशन में हर्गिज कोई एलेक्शन की बात नहीं मान सकता। कल श्री मोरे साहब ने फरमाया था कि मिनिस्टर्स और हाउस के मेम्बर्स भी तो एलेक्ट हुआ करते हैं। वही एलेक्टेड मेम्बर्स आते हैं और औरों के बर्खिलाफ एलेक्शन का दर्वाज़ा बन्द करना चाहते हैं। मैं मोरे साहब से पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स में से कौन एलेक्टेड होता है कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज एलेक्टेड होता है? वह सब के सब नामिनेशन (नाम-निर्देशन) से आते हैं। जो बेस्ट (सर्वोत्तम) आदमी हैं वह तो शायद एलेक्शन लड़ना पसन्द भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इस कमिशन के मेम्बर्स का रुतबा और काम जो देश के अन्दर है वह किसी भी चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के रुतबे या काम से कम हैसियत का नहीं होगा। यही तो शख्स होंगे जो देश को बनायेंगे। लेकिन उन्हीं के वास्ते आपने लिख दिया कि दो तो गवर्नमेंट आफशियल्स (अधिकारी) होंगे जो एजुकेशनल रिप्यूट (शिक्षा क्षेत्र में विख्यात) के आदमी हों। मैं नहीं जानता कि कौन एजुकेशनल रिप्यूट का आदमी है। मुझे उनमें बहुत ज्यादा एतबार नहीं है जो सिर्फ एकेडेमिक काम करते हैं। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो हमारे वास्ते लिटरेचर पैदा करते हैं वह अव्वल दर्जे के आदमी हैं। यह काम इस तरह का है कि इस कमिशन के हर आदमी को इससे वाकिफ होना चाहिये कि आइन्दा के लिये किस तरह के आदमी बनाने हैं। जैसा श्री चैटर्जी ने फरमाया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, दरअसल इस कमिशन का काम इंडस्ट्रियल और टेकनिकल आदमियों के काम से भी बड़ा है। इसे यह तय करना है कि देश के अन्दर किस तरह के आदमी और किस कैरेक्टर (चरित्र) के आदमी बनें और किस तरह से। यह फैसला करना है जो हजारों की तादाद में आदमी यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, उनके वास्ते क्या किया जाय। अव्वल तो यूनिवर्सिटियों में दाखिला ही बड़ा मुश्किल है, हजारों सिफारिशें ले जाओ तब जा कर दाखिला होता है। दाखिला होने के बाद जो सेकेन्ड और थर्ड क्लास के एम० ए० और बी० ए० होते हैं उनकी जो दुर्गति होती है वह हर एक जानता है। मुझे एक कालेज की मैनेजिंग कमेटी का हेड होने का मौका मिला। ११ पोस्टों के लिये दरख्वास्तें मांगी गई। उनके लिये ११००

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दरख्वास्तें आई । मैं उसी वक्त समझ गया कि कालेज का जमाना खत्म हुआ । लेकिन ताहम वह चलते जाते हैं । इस वक्त सारा काम जो हमें करना है वह फिर वाक्य कोआर्डिनेट करने का है । अगर हम कोआर्डिनेशन चाहते हैं, और हमें ऐसा करना होगा, तो हम को आल इंडिया रिप्यूट के जो बेस्ट आदमी हैं, जो मिनिस्टर से कम नहीं हैं, ऐसे आदमियों को मुकर्रर करना होगा ।

एक चीज अभी श्री मेघनाद साहा ने कही है, मैंने उसके अन्दर यह चाहा है कि कमिशन में एक चेअरमैन हो, चार एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) हों मुख्तलिफ मजामीन के और दो सेक्रेटरी हों । एक सेक्रेटरी फाइनेन्स (वित्त) का और एक एजुकेशन का । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगरै इस तरह से कम्पोजीशन होगा तो बिला शक व शुबहा निहायत अच्छा काम होगा । मैं फाइनेन्स का सेक्रेटरी यों चाहता हूं कि आखिर यह रुपया कहां से आयेगा ? जहां तक स्टेट्स का ताल्लुक है, स्टेट्स को अख्त्यार है, वह यूनिवर्सिटी को रुपया दे सकती हैं, उन को रुपये देने के रास्ते में गालिबन कोई नहीं आयेगा । इस कमिशन से तो सिर्फ सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है । मुझे अफसोस है कि मैं इस बारे में श्री चैटर्जी से डिसऐग्री करता हूं । मैं भी चाहता हूं कि सारी यूनिवर्सिटीज को इंडेपेंडेंस (स्वाधीनता), रहे । जैसे पुराने जमाने में आश्रम हुआ करते थे । हमारी यूनिवर्सिटीज को फुल इंडेपेंडेंस (पूरी स्वाधीनता) रहे, लेकिन इस चीज के अन्दर इतनी इंडेपेंडेंस न रहे कि जो काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) कर रही है उसके लिये वह यह कहें कि वह काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती । इस इन्डेपेंडेंस के देने का नतीजा क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन का कहना अगर न माना गया तो सिर्फ इस कदर असर होगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है उससे यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिलेगा । लेकिन इससे यूनिवर्सिटी के सारे सोर्सेज (श्रोत) खत्म नहीं होंगे । अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन कोई ऐसी डिमांड (मांग) करता है जो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को मंजूर नहीं है तो इससे ज्यादा सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती कि उसको अपनी ग्रांट न दे । वैसे मैं समझता हूं कि हर्गिज ऐसी नौबत नहीं आयेगी कि जिसके अन्दर कभी स्टेट यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की डिस्प्यूट (विवाद) हो । जिस नियत से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन मुकर्रर किया जाता है वह सिर्फ इस कदर है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रुपया उसको दे ताकि हिन्दुस्तान में जो हायर एजुकेशन है उसका इम्प्रूवमेंट (सुधार) हो और उसका ठीक से इंतजाम किया जाय । किसी भी यूनिवर्सिटी के इंतजाम के अन्दर दखल देने का मौका मुझे नजर नहीं आता ।

जहां तक इसके अन्दर कान्टिट्यूशन (संविधान) का सवाल है, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर आप इस के लिये ऐडवाइजरी बाडी (परामर्शदात्री संस्था) भी रक्खें तो बेहतर है । ऐडवाइजरी बाडी से इतना फायदा होता है कि वह दूर से बैठी देखती है, एग्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) पर भी नजर रखती है और जिधर भी कोई बुराई देखती है उसे ठीक करती है । लेकिन यह जो बाडी कायम की जा रही है वह इस किस्म का कमिशन है जिसके लिये यह कहना कि यह सिर्फ ऐडवाइजरी है, दुरुस्त नहीं है । इसका आम काम तो ऐडवाइजरी नेचर (स्वरूप) का है, लेकिन जो रिकमेंडेशन्स (सिफारिश) करने का और सारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोआर्डिनेट (समन्वित) करके स्टैन्डर्ड (स्तर) कायम करने का काम है वह एग्जिक्यूटिव नेचर का है और उसका एक फर्ज यह भी होगा कि रूरल यूनिवर्सिटी बनाये । अभी नवद्वीप संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी जिक्र आया । यह नई यूनिवर्सिटीज होंगी । इनके वास्ते इस कमिशन की खास तौर से जिम्मेदारी होगी कि वह रुपया मुहैया करे । नई यूनिवर्सिटीज

के लिये इस बिल में खास प्रोविजन (उपबन्ध) है जिसके लिये कमिशन का खास तौर से फर्ज होगा। अगर देश की एजुकेशन (शिक्षा) को बढ़ाना है और लोगों के दिमागों को सही रास्ते पर लगाना है तो बिला शक व शुबहा इस कमिशन को फुल पावर्ज होनी चाहियें। इसके काम के लिये रुपये की कमी नहीं होनी चाहिये। जब मैं पांच करोड़ की रकम को देखता हूं और सारे हिन्दुस्तान को देखता हूं तो यह रकम बड़ी कलील मालूम होती है। यह रकम इस काबिल नहीं है जिस से देश का उतना भला हो सके जितनी इस कमिशन से उम्मीद की जाती है। लेकिन जब आप पांच करोड़ रुपया तकसीम करेंगे तो अगर उसमें एक आदमी भी होल टाइमर नहीं रखते जो कि उस रुपये को डिस्ट्रब्यूट करने की जिम्मेदारी ले सके, तो कैसे आप का काम चल सकेगा ?

हमारा आइडिया (विचार) है कि हम कमिशन से इतना काम करने को कहेंगे, वह यूनिवर्सिटीज को जायेगा और देखेगा कि कौन यूनिवर्सिटी क्या काम करती है। इसमें एक आदमी का काम नहीं है। यह जो कमिशन है उसकी सब कमेटीज बनेंगी और वह सब जगह लोकली (स्थानीय रूप से) जा कर काम को देखेंगी और तब अपने फैसले करेंगी। ग्रेट ब्रिटेन जो शायद मुश्किल से यू० पी० के बराबर है वहां के कमिशन में १६ मेम्बर हैं जिनको कि कोई नया काम नहीं करना है। मैं अदब से अर्ज कहूंगा कि अगर आज आप चाहते हैं कि इस बिल से कोई देश का फायदा हो, और इसके ऐक्ट बनने के बाद आप उसका पूरा फायदा उठायें तो आप को इसके कम्पोजीशन (रचना) को तब्दील करना पड़ेगा। बिना इसको किये हुये मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता है।

इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक तरह का कंट्रोल रखने के वास्ते हाउस ने यह प्राविजन किया है कि जो कमिशन के ऐनुअल रिटर्न्स (वार्षिक विवरण) होंगे और जो ऐनुअल बजट (वार्षिक आयव्ययक) होगी वह हाउस के सामने आयेगी और सारा हिसाब किताब हाउस के सामने पेश होगा। जो भी बिल हाउस पास करता है वह पासबां होता है सारे देश का और मैं चाहता हूं, बल्कि हाउस का यह फर्ज है कि वह देखे कि हम ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन बनाया है उसने ठीक काम किया है या नहीं। उसके दो हिस्से होने चाहियें। एक तो यह कि पिछले साल हमने क्या टार्गेट (लक्ष्य) रक्खा था और क्या सोचा था उसको देखा जाय और फिर हाउस की तरफ से यह राय कायम की जाय कि कितना काम पूरा हुआ, और अगर फेल्योर (असफलता) हुई तो क्यों हुई। दूसरा हिस्सा यह हो कि अगले साल हम क्या काम करेंगे। और हाउस के सामने उसकी रिपोर्ट आये। मैं नहीं चाहता कि वह रिपोर्ट उसी तरह से मेम्बर्स के पास पड़ी रहे जिस तरह से हाउस के और जो पब्लिकेशन्स भेजे जाते हैं वह पड़े रहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी रिपोर्ट कमिशन की आये वह हाउस में डिस्कस (चर्चा) हो और यह देखा जाय कि कहां तक काम हुआ है और कितना काम करना और बाकी है। यह नेशनल रिकंस्ट्रक्शन (राष्ट्रीय-निर्माण) का काम है। हमें यही असली काम देश में देखना है कि एजुकेशन का जो असली मंशा है कि यहां के लोगों की पर्सनेलिटी (व्यक्तित्व) को बनाये और देश में हर तरह की तरक्की करे, वह पूरा हो पा रही है या नहीं। इसकी खास पासबां हमारी पार्लियामेंट है इस लिये पार्लियामेंट में दिन मुकर्रर कर के कमिशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाय। चुनाचे इसके बारे में मैंने हाउस की खिदमत में तरमीम भी भेजी है कि इस कमिशन को जो रिपोर्ट आये और जिसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखेगी, उसको यहां पर डिसकस भी किया जाये और उसमें जो खामियां मालूम हों वह मेम्बर लोग प्वांइट आउट करें (बतायें) इससे मेम्बरों को यह देखने का और अपने विचार हाउस के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सामने रखने का मौका मिलेगा कि वह कौन कौन से काम हैं जो कमिशन कर नहीं पाया है और कौन कौन सी कमियां रह गई हैं।

अब जब मैं दफा १२ को पढ़ता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस कमिशन की कितनी ब्रांचिज़ (शाखायें) होंगी और किस किस चीज़ को यह कमिशन देखेगा। इससे तो ऐसा ज़ाहिर होता है कि यह कमिशन केवल लिट्रेरी एजुकेशन (साहित्यिक शिक्षा) की तरफ ही ध्यान देगा लेकिन जिस एजुकेशन की खास जरूरत है और जिस तरफ इस कमिशन को ध्यान देना चाहिये वह है टेकनिकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एजुकेशन (औद्योगिक शिक्षा)। यह चीज़ इससे ज़ाहिर नहीं होती कि क्या यह कमिशन इसकी तरफ भी ध्यान देगा या नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसको एक लाइवली बाडी बनाने के लिये, इसमें रूह फूंकने के लिये, यह जरूरी है कि हम यह देखें कि क्या खून ठीक प्रकार से सर्क्यूलेशन करता (चलता) है या नहीं। यह जरूरी है कि इसकी रिपोर्टस को हाउस में डिसकस किया जाये और इस कमिशन का इस हाउस के साथ एक बहुत नज़दीकी वास्ता हो।

मैं यह समझता हूं कि इस कमिशन को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन का नाम देकर के इसकी अहमियत को कम कर दिया गया है। इसका काम केवल ग्रांट देना ही नहीं है। इसके चार्ज में हमने जो कार्य दिये हैं वह दफा १२ में दर्ज हैं और यह बहुत बड़े काम हैं कि सारे देश की एजुकेशन को यह तरगीब देगा, उसको बढ़ायेगा और इसी तरह के और बहुत से काम करेगा। अगर यही चीज़ है तो ऐसी सूरत में इसका काम केवल रुपया तकसीम करना ही नहीं है, यह रुपया तकसीम करने वाली एजेंसी नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ी एजेंसी (अभिकरण) है और इसको बहुत अहम काम करने हैं। यह तो देश की एजुकेशन (शिक्षा) की देखभाल करने वाला कमीशन है।

मैंने शायद ज्यादा वक्त ले लिया है और अब मैं और ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह देखने के लिये कि जो काम इसके सुपुर्द किया गया है उसको यह ठीक तरह से कर रहा है या नहीं, इसकी जो एनुअल रिपोर्टस हों वह इस हाउस के सामने आयें और यहां पर उनको डिसकस किया जाये ताकि जो खामियां नज़र आयें उनको प्वायंट आउट किया जा सके।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस समय चल रही है और समाप्त होने को है, उसमें आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आज करीब आठ साल गुज़र गये हैं हिन्दुस्तान को स्वतंत्र हुये। जब अंग्रेज़ों से जंग चल रही थी उस वक्त जो सब से बड़ी समालोचना देशभक्त नेता और कार्यकर्त्ता किया करते थे वह शिक्षा पद्धति के बारे में किया करते थे। लेकिन अब जब कि अंग्रेज़ों को यहां से गये हुये आठ वर्ष हो गये हैं इतना अर्सा गुज़रने के बाद भी हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद भी कहते हुये सुने जाते हैं कि अब तक शिक्षा पद्धति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे बढ़कर और देश के लिये कौन सी बात दुर्भाग्य की हो सकती है। देश के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाई जा रही है और उस पर अरबों रुपया खर्च किया जायेगा लेकिन मैं समझता हूं यदि देश का उद्धार करना है तो वह केवल शिक्षा पद्धति में ही परिवर्तन करके किया जा सकता है। आखिर शिक्षा क्या चीज़ है? यह मानवता का विकास करने के लिये एक मात्र साधन है। सब कुछ जानते बूझते हुये भी आठ वर्ष के बाद मैं समझता हूं सरकार ने शिक्षा के बारे में यह पहला कदम उठाया है लेकिन मैं तो इसे भी बिल्कुल गलत रास्ते पर उठाया गया कदम समझता हूं। यह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब बनेगा, इसका जो संगठन होगा उसको अगर आप देखें तो आपको साफ तौर से मालूम होगा कि इसका नामकरण ही गलत है और इसके जैसे काम हैं उनके मुताबिक ही इसका नामकरण होना चाहिये था । कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिये थी जिससे लोगों को आनन्द मालूम होता । आपने इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन रखा है, लेकिन मैं समझता हूं यह अधिक उपयुक्त होता यदि इसका नाम यूनिवर्सिटी कंट्रोल बोर्ड (विश्वविद्यालय नियंत्रण बोर्ड) रखा जाता, यह यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करने वाला बोर्ड होता क्योंकि जो काम इसको सौंपे गये हैं वह इसी प्रकार के हैं । ग्रांट का पता नहीं कितनी ग्रांट मिलेगी । अभी ठाकुर दास जी ने कहा और और दूसरों ने कहा कि इसको पांच करोड़ रुपये का वितरण करना होगा । मैं समझता हूं कि हमारी लगभग दो अरब से ज्यादा आमदनी है उसमे से ज्यादा नहीं तो ५० करोड़ रुपया यानी एक चौथाई तो कम से कम शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता । सरकार कई तरह के खर्च कर रही है और उनमें से बहुत सारे फिजूल खर्च भी हो रहे हैं । यह भी पता नहीं है कि यह जो पांच करोड़ रुपया है यह एक साल के लिय है या कितने सालों के लिये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी आमदनी का एक चौथाई खर्च तो शिक्षा पर खर्च किया जाता ।

अब इस संस्था का जो संगठन है उसको आप देखिये । इसमें तीन वाइस चांसलर होंगे और दो सरकारी अफसर होंगे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे । मैं समझता हूं कि यदि इस तरह की विषमता और भेदभाव चलता रहेगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकेगी । अब वह समय आना चाहिये जब सरकार और जनता में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिये । सरकार को लोगों पर विश्वास करना चाहिये और साथ हीं सरकार को विश्वास का पात्र बनना चाहिये । आप कहते हैं कि कमिशन में दो सरकारी अफसर होने चाहियें जो सरकार का प्रतिनिधित्व करें । मैं पूछता हूं यह किस लिये है । वहां सरकार का क्या लगा हुआ है ? यह तो जनता का काम है और ऐसे लोगों को हीं लिया जाना चाहिये जिन पर लोग विश्वास करते हों । इन सरकारी अफसरों की क्या जरूरत है ? मैं तो कोई जरूरत महसूस नहीं करता । इस बारे में हम लोगों को काफी तजुर्बा है । नामिनेशन (नामनिर्देशन) का क्या अर्थ होता है । नामिनेशन का अर्थ जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी नियुक्तियां हो रही हैं, बहालियां हो रही हैं, यह है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधान मंत्री हैं उनके जो पिट्ठु हों उनको इन पदों पर नियुक्त कर दिया जाये । हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत योग्यता हो लेकिन असली चीज़ यह है कि वह ईमानदार हों, सच्चाई से अपना काम करें और अपनी सारी शक्ति बलिदान करने के लिये तैयार हों न कि सरकार के कहने के मुताबिक काम करें ।

अभी जब यहां पर बहस हो रही थी तो नैशनल परपज़िज़ (राष्ट्रीय प्रयोजनों) का नाम लिया गया था । मैं पूछता हूं कि जब तक देश में इस तरह का पार्टी सिसटम (दल पद्धति) है, दल बन्दी की सरकार चल रही है, तब तक नेशनल परपिज़ का नाम आप क्यों लेते हैं । इसको तो विल आफ दी गवर्नमेंट (सरकार की इच्छा) या विल आफ दी मिनिस्टर (मंत्री को इच्छा) अगर आप कहें तो ज्यादा ठीक होगा । हमें इन हालात में जो कि इस वक्त हिन्दुस्तान में प्रिवेल करते (चलते) हैं, नेशनल परपज़ (राष्ट्रीय प्रयोजन) का नाम नहीं लेना चाहिये । जब तक दलबन्दी या पार्टी सिस्टम यहां पर खत्म नहीं हो जाता और यह चीज़ खत्म नहीं हो जाती कि वह मेरा आदमी तो है, आपको नेशनल परपज़ का नाम नहीं लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस विषय में विशेष रूप से विचार होना चाहिये और यह जो कमिशन बन रहा है इसको पूरा अधिकार देना चाहिये । इस बिल में यह दिया गया है कि इस कमीशन में

बाबू रामनारायण सिंह]

९ आदमी होंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल बेगारी की तरह होंगे। हमारे यहां बेगार चलती है कि कोई आदमी घंटे दो घंटे बेगार कर देता है। हम सारे राष्ट्र का भाग्य इस कमीशन को सौंपने जा रहे हैं क्योंकि किसी को शिक्षा के विषय का समर्पित करना सारे देश के भाग्य का समर्पित करने के समान ही है, ये लोग घंटे दो घंटे के लिये आया करेंगे और किसी विषय पर कुछ निर्णय कर दिया करेंगे। जैसा कि अभी एक मित्र ने बताया, ब्यूरीक्रेटिक मैशिनरी (नौकरशाही व्यवस्था) का कोई सेक्रेटरी ऐसा आया हुआ रहेगा जो सारी चार्जें तैयार कर कमीशन के सामने रख देगा, और उस पर कमीशन के मेम्बर हां करके चले जायेंगे। बस यही होगा। यह तो बिल्कुल बेगार की तरह काम होगा।

मैं तो सीधी बात करता हूं कि जब कोई व्यक्ति या शक्ति सुन्दर लक्ष्य लेकर और सुन्दर मार्ग से भी चलती है तो भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इस सरकार की नीयत भी तो ठीक नहीं है। कहते हैं कि ग्रांट्स कमीशन है और उसका असल काम होगा यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना। न इनकी नीयत ठीक है और न इनका मार्ग ठीक है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिये और उसे देश को अपना मानना चाहिये। सब को आपस में विश्वास करना चाहिये।

यहां पर लोगों ने कहा है कि हिन्दी और संस्कृत और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा होनी चाहिये। बहुत सही बात है। यहां पर लोगों ने एक बात और भी कही है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिये। बहुत सही बात है। यह तो ऐसी बात कही गयी है कि हम समझते हैं कि इसका सारे देश में समर्थन होगा। शुरू में हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही और अब हर एक आदमी यह राय देने लगा है, कि हमारे सारे देश का संगठन समाजवादी ढांचे पर होगा बड़ी सुन्दर बात है। इसी विषय से शुरू क्यों न किया जाय। जैसा मैंने कहा, देश की जितनी आमदनी हो उसका चौथाई हिस्सा शिक्षा विभाग के लिये दिया जाय। उसी में से यूनिवर्सिटीज़ को सहायता मिलनी चाहिये, यह नहीं कि कमीशन को अधिकार दे दिया जाय कि अपनी झोंक के मुताबिक चाहे जिसको दे सकती है। इस धन का वितरण तो सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी ढांचे) के अनुसार ही होना चाहिये। यह देखा जाय कि यह धन सारे देश के विद्यार्थियों पर किस तरह से बांटा जा सकता है। उसी हिसाब से जहां जितने विद्यार्थी हों वहां उतना धन दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस के लिये तो आयोग की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिये। यह काम तो कोई मिनिस्टर या सेक्रेटरी ही कर सकता है।

अभी यहां कहा जा रहा था कि शिक्षा शहरों में केन्द्रित हो रही है। देहात वालों को कोई पूछता नहीं है। किसी किसी ने यहां कहा है कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ भी हों। अच्छी बात है। लेकिन अब तो सोशलिस्टिक (समाजवादी) सिद्धांतों के अनुसार लक्ष्य यह होना चाहिये कि शिक्षा विभाग का सारा रुपया देश के सारे स्कूल और कालिज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर समान रूप से बांट दिया जाना चाहिये और अगर हम ईमानदारी से इस बात को चाहें तो इस प्रकार का वितरण करना कुछ कठिन भी नहीं होना चाहिये।

कभी कभी यहां पर यह आवाज़ भी उठती है कि आजकल के विद्यार्थी ठीक रास्ते पर नहीं हैं। वे लोग मर्यादा का पालन नहीं करते, डिसिप्लिन (अनुशासन) नहीं मानते। मैं पूछता हूं कि इसका गुरू कौन है? हमारे लड़के क्यों बिगड़ रहे हैं। इसकी गुरू हमारे देश की सरकार है। यह मान लेना चाहिये। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारे जो लड़के बिगड़ते जा रहे हैं इसका कारण यह है कि किसी खास दल के लोग उनको उभारते

हैं। किसी किसी ने यह भी चार्ज लगाया है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सब लोग इस बात पर विचार करें। थोड़ा ही पढ़ने के बाद लड़के अखबार पढ़ने लगते हैं। वे जान जाते हैं कि आज देश में जितना कार्य हो रहा है सब दलबन्दी के आधार पर हो रहा है। यहां पर हर एक विषय पर जो वोट लिया जाता है वह दलबन्दी के आधार पर। अगर चांसलर वहाल होंगे तो दलबन्दी के आधार पर, वाईस चांसलर वहाल होंगे तो दलबन्दी के आधार पर, इसी तरह प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी वहाल होंगे वे दलबन्दी के आधार पर। इसीलिये लड़के भी यही सीख जाते हैं और वे भी दलबन्दी के आधार पर सोचने लगते हैं।

एक समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने कहा था कि हिंसा के ज़रिये कोई मामला तै नहीं हो सकता। कितना बड़ा सुन्दर सिद्धांत है? अगर ऐसा है तो फिर यह गोली क्यों चलती है और लड़कों पर गोली क्यों चलती है। पटने में गोली चली, बम्बई में गोली चल रही है। जब हमारे देश के सबसे बड़े नेता के मुंह से यह बात निकलती है कि हिंसा से कोई मामला तै नहीं हो सकता तो फिर क्यों यह गोली चलवायी जाती है। ऐसी अच्छी बात कहते वक्त और ऐसी घोषणा करते वक्त शर्म आनी चाहिये।

मुझे और विशेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना मैं कहे देता हूं कि पुराने ढांचे को जो कि अंग्रेजों के वक्त की गुलामी की बातें हैं उनको हमें भुला देना चाहिये और छोड़ देना चाहिये। हमारे देश में क्या शिक्षा होनी चाहिये इसके बारे में सभी ने कहा है। हमारे देश में संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिये, आयुर्वेद की शिक्षा होनी चाहिये। उसके लिये आपको विधान बनाना चाहिये। हमारे यहां योग विद्या के विश्वविद्यालय होने चाहिये। योग विद्या वह चीज़ है कि जिसकी पढ़ाई और अभ्यास के बाद मनुष्य हर तरह से नीरोग सुखी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हो जाता है। वह शिक्षा हमको देनी चाहिये। हमारे चटर्जी साहब ने कहा कि नदिया में संस्कृत का विश्वविद्यालय हो। मैं कहता हूं कि नालन्दा में हो, बनारस में हो और दूसरी जगहों पर भी हों।

अब इस सरकार के बारे में क्या कहा जाय। पांच छः बरस बाद हमारे देश में अंग्रेजी का कोई चलन नहीं रहेगा, न कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला रहेगा और न लिखने वाला रहेगा। तो मैं पूछता हूं कि आज जो हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है वह किस लिये? उनका जो इतना समय नष्ट हो रहा है, हमारे देश का जो पैसा नष्ट हो रहा है, हमारे देश के नवयुवकों को जो शक्ति नष्ट हो रही है, वह किस लिये? अब जो यह अंग्रेजी की शिक्षा हो रही है वह किस लिये? इसका कौन जवाब देगा? जब इसको व्यवहार में नहीं रखना है तो अंग्रेजी शिक्षा क्यों दी जा रही है? हमारी शिक्षा हमारी प्रांतीय भाषाओं और हिन्दी में होनी चाहिये। अंग्रेजी को तो जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये।

मैं अन्त में एक और बात कह कर बैठ जाऊंगा। श्री मेघनाद शाह का जो संशोधन है उनको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (संसदसचिव) साहब को मान लेना चाहिये। अगर उनको ऐसा करने का अख्तियार न हो तो वे जाकर अपने मालिक लोगों से अख्तियार ले आवें। मैं यहां पर साफ साफ कहूंगा कि इस सरकार के शिक्षा विभाग में मंत्री में या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी में कुछ भी अक्ल और ईमानदारी हो और वह ईमानदारी से बात कर सकते हैं समझ सकते हैं और बोल सकते हैं तो श्री मेघनाद शाह के संशोधन को आंख मूंद कर मान लें। मैं उनसे निवेदन करता हूं, और मैं देश का एक प्रतिनिधि हूं, मुझे हुक्म देने का भी अधिकार है। उनको इतना करना चाहिये। यह देश की बात है, किसी एक आदमी की बात नहीं है कि एक विधेयक विभाग की तरफ से तैयार हो कर आया,

[बाबू रामन रायण सिंह]

कैबिनेट (मंत्रिपरिषद्) में गया कि न गया, और वहां गया भी तो किसी तरफ से पास हो कर आ गया और अब वहां आया है। हमारे भाई ठाकुर दास जी ने कहा था कि य देखना पड़ेगा, वह देखना पड़ेगा। मैं पार्लियामैंट (संसद्) के सदस्यों से कहता हूं कि जब तक सरकार के अधीन यह पार्लियामेंट रहेगी सब तक तो यह सरकार जो कहेगी वह करना ही होगा। लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बरों को वह क्रम बदल देना चाहिये। होना यह चाहिये कि सरकार पार्लियामेंट के अधीन हो। जो कुछ पास होना है यहीं पास हो, और जो यहां पास हो उसके मुताबिक सरकार काम करे। यह नहीं होना चाहिये कि जो कुछ सरकार पार्लियामेंट के सामने लावे उसको पास कर ही दिया जाय और उसको पास करना ही है। यह परिस्थिति अब खत्म होनी चाहिये। हमारे देश में पार्लियामेंट को सारी शक्ति होनी चाहिये और पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली होनी चाहिये कि सरकार उसके मुताबिक चले, न यह कि सरकार के कहने के मुताबिक यह पार्लियामेंट चले।

मैं और अधिक नहीं कहूंगा। मैं यह भी निवेदन किया चाहता हूं और जैसा कि और लोगों ने भी कहा है कि इस बिल का इस प्रकार से संशोधन हो जिससे देश का उपकार हो और जैसा मैंने पहले कहा कि असल में यह यूनिवर्सिटी कंट्रोल बोर्ड है, तो मैं चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी कंट्रोल बोर्ड न होकर यनिवर्सिटी के लिये मदद करने वाला बोर्ड हो जाय। बस, यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधान का स्वागत करने के स्थान पर दक्षिण भारतीयों और विशेश कर तामिल भाषी जनता की ओर से इस का विरोध करता हूं। इस विधान का भारतीय विश्वविधालयों के अधिकांश अपकुलपतियों द्वारा विरोध किया गया है।

डा० एम० एम० दास : यह ग़लत है ; माननीय सदस्य सभा को ग़लत सूचना दे रहे हैं।

श्री वीरस्वामी : संभव है कुछ ने इस का स्वागत किया हो, परन्तु इस देश के शिक्षा विशेषज्ञों ने इस विधान का विरोध ही किया है क्योंकि इस विधान के द्वारा इस समय राज्यों में स्थित स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय निकायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नियंत्रण किया जाने को है। सत्तारूढ़ दल और सरकार विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की इच्छा रखती है, और यह भी सर्व विदित है कि उसने अंगरेजी भाषा के विरुद्ध देश में एक तीव्र द्वेषागनि प्रज्वलित कर दी है। यह विधान प्रादेशिक भाषाओं पर हिन्दी को प्रभुत्व दिलान का एक प्रयत्न मात्र है।

पंडित के० सी० शर्मा : (जिला मेरठ—दक्षिण) : आप अंगरेजी को सहन कर सकते हैं हिन्दी को नहीं।

श्री वीरस्वामी : विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर उन्हें हिन्दी को चालू करने और यथा समय अंगरेजी या प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बाध्य करेगा।

डा० एम० एम० दास : क्या विधेयक में इस का उल्लेख है ?

श्री वीरस्वामी : यह विधेयक में लिखा हुआ तो नहीं है, परन्तु यह उल्लेख अवश्य है कि यह आयोग किसी भी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिये अपेक्षित उपायों का सुझाव देगा और इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को परामर्श देगा। यदि आयोग किसी भी विश्वविद्यालय को हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये बाध्य न करे तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। अर्थात् वह आयोग या विश्वविद्यालय

को हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के लिये बाध्य कर सकती है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

डा० एम० एम० दास: मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम को नीति का विषय बनाने की सरकार की तनिक भी इच्छा नहीं है।

श्री वीरस्वामी: मेरा सुझाव है कि सरकार इस विधान में निश्चित रूप से यह उल्लेख कर दे कि हिन्दी को किसी भी विश्वविद्यालय पर शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं थोपा जायेगा जिसके हम तो मिलनाड के निवासी दक्षिण के ऊपर उत्तर का प्रभुत्व फैल जाने की आशंका से मुक्त हो जायें।

दक्षिण में हाई स्कूलों तथा कालिजों में शिक्षा का स्तर देश में सब से ऊंचा है, परन्तु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि आज हमारी शिक्षा का स्तर अंगरेजों के राज्य काल की अपेक्षा बहुत गिर गया है, और इसका कारण है अंगरेजी के प्रति विद्वेष लोगों से कहा जा रहा है कि आगे चल कर अंगरेजी को वह स्थान प्राप्त नहीं रहेगा जो कि आज प्राप्त है और हिन्दी ही राष्ट्रीय तथा शासकीय भाषा बनेगी। विद्यार्थियों में यह भावना उत्पन्न की जा रही है यदि सरकार हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षा के गिरते हुए स्तर के प्रति कुछ चिन्तत है तो मेरा निवेदन है कि वह अपने हिन्दी के पागलपन को छोड़ दे, अंगरेजी के प्रति फैली रही विद्वेष भावना को समाप्त करे और विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम): हम एक अत्यावश्यक विधेयक पर वादविवाद कर रहे हैं किन्तु न तो यहां मंत्री महोदय ही हैं और न ही उपमंत्री हैं। वास्तव में मंत्री महोदय ने इस विधेयक पर कोई भी भाषण नहीं सुना है। हम लोग खाली बेंचों को अपना भाषण सुना रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप मन्त्री महोदय अथवा उपमन्त्री महोदय को यहां बुला भेजें।

सभापति महोदय: ऐसी शिकायत मैंने पहली बार ही नहीं सुनी है। कई सदस्य पहले भी कह चुके हैं कि जब किसी आवश्यक विषय पर चर्चा हो रही हो तो सम्बन्धित मन्त्री अथवा अन्य मन्त्री को सभा में रहना चाहिये। किन्तु अध्यक्ष के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे कि वह किसी मन्त्री विशेष को सभा में उपस्थित रहने के लिये कह सके: अतः मेरे सामने यही कठिनाई है कि मैं किसी को यहां उपस्थित नहीं करवा सकता।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद): जैसा कि आपने कहा है कि यह विधेयक अत्यावश्यक है और मन्त्री महोदय भी यहां नहीं हैं, अतः मेरा विचार है कि जब तक मन्त्री महोदय नहीं आ जाते तब तक इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाये।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री वीरस्वामी: मैं आशा करता हूं कि सभा सचिव यह बात माननीय मंत्री तक पहुंचा देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वह विधेयक पर खण्डशः वाद विवाद के समय अवश्य सभा में उपस्थित रहें जिससे कि उनको पता लग सके कि इस विषय पर किस भावना से वाद विवाद किया जा रहा है।

अभी कुछ मिनट हुए त्रावन्कोर कोचीन से आने वाले मेरे एक मित्र ने कहा है कि वहां सभी संस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा है कि इससे हमारे विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थीयों से नहीं मिल सकेंगे। दूसरे

[श्री वीरस्वामी]

प्रदेशों से आने वाले विद्यार्थियों और उनमें शिक्षा का माध्यम एक अड़चन बन जायेगा। देश की भलाई के लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी कालिजों में अंगरेजी ही शिक्षा का माध्यम रखा जाये। मैं मजाक नहीं करता हम तामिल भाषी लोग हिन्दी को न तो राष्ट्र भाषा और न ही सरकारी भाषा स्वीकार करेंगे। अतः मैं तामिल भाषियों की ओर से अनुरोध करूंगा कि अंगरेजी ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रहे अथवा जो विश्वविद्यालय अंगरेजी को रखना चाहें उन्हें इस बात की खुली छूट हो। मैं संसद से निवेदन करूंगा कि वह आयोग को कोई ऐसा अधिकार न दे जिससे कि वह हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय को शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखने को मजबूर कर सकें।

राधाकृष्णन आयोग के अनुसार प्रादेशिक आयोग बनायें जायें जो विश्वविद्यालयों को निदेश दें और यह अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालयों को अनुदान देने, उनका निरीक्षण करने तथा उनसे कुछ सूचनायें तथा तथ्यों के आंकड़े आदि इकट्ठे करके उनके विषय में एक प्रतिवेदन तैयार करने के कार्यों तक अपने को सीमित रखे जिससे कि दूसरे देश यह जान सकें कि हमारे विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहे हैं और हम उनमें कैसे शिक्षा के स्तर को सुधार रहे हैं। इसी प्रकार हम विदेशी विश्वविद्यालयों से तथ्य तथा आकड़े लेकर अपने प्रादेशिक विश्वविद्यालयों तक पहुंचा सकें।

आयोग के नौ सदस्य हैं। मेरे मित्र विरोधी दल के उपनेता ने सुझाव दिया है कि सदस्य संख्या १७ होनी चाहियें। मेरा निवेदन है कि इनमें से आधे सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहियें ताकि आयोग पर उनकी सम्मति पर ध्यान देना अनिवार्य हो। यदि उसमें दूसरे लोगों का प्रभुत्व रहेगा तो विश्वविद्यालयों के बारे में निर्णय नहीं हो सकेंगे।

केवल सभापति ही वैतनिक होगा। किन्तु यदि दूसरे सदस्य भी वैतनिक हों तो अधिक अच्छा रहेगा। तब वह आयोग के कार्य में पूरा ध्यान लगा सकेंगे। विधेयक में यह कहा गया है कि एकत्रित की गई सूचनायें उन विश्वविद्यालयों को दी जायेंगी जो उनकी मांग करेंगे। मेरा निवेदन है कि ये सूचनायें सभी को दी जानी चाहियें चाहे वे उन की मांग करें या न करें।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : यद्यपि विधेयक के वर्तमान रूप में सारभूत सुधार किये जा चुके हैं फिर भी इसमें कई मौलिक परिवर्तन किये बिना विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। पिछले दिनों में हुई जागृति और उच्चशिक्षा की लालसा के कारण अनेकों स्कूल और कालेज तथा अन्य संस्थायें स्थापित की गई हैं; किन्तु सरकार उनकी वित्तीय सहायता करने अथवा उनकी उन्नति में कोई विशेष सहायक नहीं सिद्ध हुई है। वर्तमान विधेयक में भी सम्बद्ध कालिजों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन की समस्याओं को छोड़ कर विश्वविद्यालयों के विकास की बात नहीं सोच सकता है। विश्वविद्यालयों की ८० प्रतिशत शिक्षा इन्हीं की द्वारा होती है। देश के कुल चार लाख विद्यार्थियों में से तीन लाख विद्यार्थी इनमें ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आन्ध्र में, और इसी भांति अन्य राज्यों में भी, ३५ कालिजों में से ३२ सम्बद्ध कालिज हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि हमें विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालिजों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। किन्तु इस विधेयक के पर्यालोकन में वही कालिज आयेंगे जिनकी विश्वविद्यालय सिफारिश करेंगे और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। मैं नहीं जानता कि किस सीमा तक सम्बद्ध कालिज इसमें आयेंगे और यह भी कोई नहीं जानता कि विश्वविद्यालय किन आधारों पर कालिजों की सिफारिश करेंगे। इनकी वर्तमान

वित्तीय परिस्थितियां बड़ी नाजूक हैं, जब तक कि सरकार इनकी रक्षा के लिये आगे नहीं बढ़ती है इनको चलाना अथवा जारी रखना बहुत कठिन है ।

सरकार का कहना है कि इन सम्बद्ध कालिजों की संख्या बहुत अधिक है और उसके पास इतना धन नहीं है अथवा सीमित धन है । किन्तु जब हम सम्पूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार के तर्कों से इस समस्या की उपेक्षा नहीं कर सकते । आप इस विधेयक में सभी सम्बद्ध कालिजों के पर्यालोकन का सामान्य सिद्धान्त स्वीकार करलें और फिर कुछ ऐसे उपबन्ध रखें कि दस वर्ष से चल रहे कालिज अथवा १००० हजार से अधिक छात्रों वाले कालिज अथवा अन्य उपकरणों तथा मानदण्डों युक्त कालिज ही इस विधेयक के अन्तर्गत आयेंगे ।

मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस विधेयक में अध्यापकों के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया है जिनके सिर पर इस सारे विधेयक को कार्यान्वित करने का बोझ है । हम इस विधेयक में उनकी कैसे उपेक्षा कर सकते हैं ? केवल खण्ड २६ में उनकी अर्हताओं के विषय में कुछ कहा गया है । उनकी वर्तमान दशा बहुत ही खराब है । मेरे पास एक सूचना है उसके अनुसार १५००० कालिज अध्यापकों में से ६००० को १५० रुपये मासिक से कम वेतन मिलता है, ७००० को २५० रुपये से कम और केवल १५०० को २५० रुपये से अधिक वेतन मिलता है । जब तक इन को अच्छे वेतन नहीं दिये जायेंगे उन्हें अपने परिवार के निर्वाह के लिये कुछ अन्य उपायों की शरण लेनी पड़ेगी । ऐसी परिस्थितियों में एक अध्यापक कैसे पढ़ा सकता अथवा अपने आपको अनुसन्धान कार्य में लगा सकता है ? इसका फल यह होता है कालिजों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है । विद्यार्थियों को निजी शिक्षकों का आश्रय लेना पड़ता है । किन्तु निर्धन विद्यार्थी धनाभाव के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन सम्बन्धी सिफारिशों को सम्बद्ध कालिजों पर भी लागू किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हमारे कालिजों में अध्यापकों की बहुत कमी है । दूसरे देशों में अध्यापकों और विद्यार्थियों में १ और १० का अनुपात है जब कि हमारे देश में —— मैं ठीक ठीक से नहीं कह सकता किन्तु फिर भी——१, और ५० का अनुपात है । कहीं कहीं तो १ और ७० अथवा ८० तक का भी अनुपात है । बिना व्यक्तिगत ध्यान दिये वास्तविक शिक्षा नहीं दी जा सकती है । हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये तथा इस विधेयक में इन बातों को किसी न किसी रूप में अवश्य स्थान देना चाहिये ।

खण्ड २० में 'राष्ट्रीय प्रयोजन' के नाम से एक नीति का उल्लेख है । यह खण्ड इतना अस्पष्ट है कि कोई भी वस्तु इसके अन्तर्गत आ सकती है । राष्ट्रीय प्रयोजन के बहाने दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा सकता है । इस बहाने से शिक्षा का माध्यम भी बदला जा सकता है तथा कुछ विश्वविद्यालयों को भी कब्जे में किया जा सकता है । पिछले कुछ वर्षों से हम यह अफ़वाहसुन रहे हैं कि सरकार उस्मानिया विश्वविद्यालय को एक हिन्दी विश्वविद्यालय बनाने जा रही है । आप हिन्दी को केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के लिये राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं किन्तु इस कार्य के लिये उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिये जाने पर विशाल आन्ध्र की ३ करोड़ ३० लाख जनता प्रबल विरोध कर उठेगी । अतः 'राष्ट्रीय प्रयोजन' शब्द का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया जाना ही श्रेयस्कर है क्योंकि इसका निर्वचन बहुत भ्रमक हो सकता है ।

[श्री गोपाल राव]

खण्ड १४ के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी कालिज अथवा विश्वविद्यालय का अनुदान इसलिये रोक सकता है कि वह उसकी सिफारिशों का अनुसरण नहीं कर रहा है। यह एक प्रकार की धमकी है। अतः इस खण्ड का पुनः प्रारूपण किया जाना चाहिये। यदि किसी विशेष उद्देश्य से किसी कालिज अथवा विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिया जाता है और पीछे से बारम्बार कहने पर भी वह आयोग के अभिस्तावों का पालन नहीं करता है तब अनुदान आयोग उस संस्था के प्रति विशेष कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार इस खंड का प्रारूपण किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं धन के विषय में कुछ शब्द कहूंगा। पिछले वर्ष अनुदान आयोग ने १,२०,००,००० रुपये बांटे थे। किन्तु कार्य बहुत बड़ा है अतः जब तक आयोग के पास १० करोड़ के लगभग रुपया नहीं हो जाता इस विधेयक का सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। रुपये के बिना आयोग को इतने कार्य और इतने अधिकार देने से क्या लाभ है? जिस आयोग को सारे देश की शिक्षा की व्यवस्था करनी है जब तक उसके पास पर्याप्त धन नहीं हो वह अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता है।

श्री एच० जी० वैष्णव : इस विधेयक के उद्देश्य बहुत ही संस्ताव्य हैं किन्तु इन उद्देश्यों के लिये दी गई शक्तियां अपर्याप्त हैं। इस विधेयक के नाम से ही यह प्रगट होता है कि यह धन बांटने वाले आयोग से अधिक और कुछ नहीं है। आयोग विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को मालूम करके यह सिफ़ारिश करेगा कि भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों को विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों के लिये कितना कितना रुपया दिया जाये। किन्तु अगर आयोग को शिक्षा का समन्वय तथा वृद्धि करनी है, उसे अध्यापन के एक उच्चस्तर को निर्धारित करना है, परीक्षाओं तथा अनुसन्धान कार्य के स्तर को उन्नत करना है तब निश्चय ही उसे अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें। खण्ड १२ में इसके जिन कार्यों और शक्तियों का उल्लेख हैं वे अपर्याप्त हैं। यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग को सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करता है अथवा उनका पालन नहीं करता है तो उसके प्रति क्या व्यवहार किया जाये। इसका वर्णन खण्ड १४ में है। किन्तु उसके अनुसार भी अनुदान रोकने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरा निवेदन है विश्वविद्यालय अपने ही ढंग से चल रहे हैं। यदि वे आयोग को किसी योजना को नहीं मानते हैं तो क्या किया जायेगा? तब शिक्षा के स्तर आदि बातों का कैसे परिपालन किया जायेगा? अतः आयोग को और शक्तियां दी जानी चाहियें। यदि कोई विश्वविद्यालय देश तथा शिक्षा के हित में आयोग की सिफारिशों को नहीं मानता है तो आयोग को अपनी बातें मनवाने के लिये कुछ और शक्तियां दी जानी चाहियें अथवा कोई ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिससे कि विश्वविद्यालयों को आयोग के निर्देश मानने के लिये बाध्य किया जा सके।

दूसरे, आयोग न तो कोई अपनी नीति बना सकता है और न ही अपनी किसी नीति का पालन करा सकता है। खण्ड २० इसके मार्ग में एक रुकावट है; ऐसे उच्च उद्देश्य आयोग को राष्ट्रीय उद्देश्य से शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाने का अधिकार होना चाहिये। यदि आयोग का कार्य केवल रुपया बांटना ही है तो यह कार्य किसी भी कार्यपालिका विभाग को दिया जा सकता है। कुछ अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं जो देश भर के विश्वविद्यालयों का दौरा करके उनकी आवश्यकताओं के विषय में सिफारिशें कर सकते हैं। यदि केवल इतना ही उद्देश्य है तो यह विधेयक निरर्थक हो जाता है। अतः मेरे विचार में आयोग को खण्ड १२ में उल्लखित शक्तियों से और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये।

इस के बाद खंड १३ आता है जो निरीक्षण के कुछ अधिकार देता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या ऐसे आयोग को केवल निरीक्षण के अधिकार भी दिये जाने चाहियें ? यदि वह कहीं कोई ग़लती पायें तो उस ग़लती को सुधारने और किसी विश्वविद्यालय विशेष को कतिपय कार्यवाहियां करने का सुझाव देने का अधिकार भी उसे होना चाहिये। ऐसे अधिकारों के न होने की अवस्था में वह बिल्कुल व्यर्थ और लक्ष्यहीन बन जाता है।

समस्त खंड १२ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह आयोग किसी विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने अथवा किसी स्थान विशेष पर विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की सिफ़ारिश नहीं कर सकता है। माननीय सदस्यों ने ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना पर आग्रह किया है, परन्तु खंड १२ के अनुसार इस आयोग को किसी भी विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह इस विधेयक की आधारभूत दुर्बलता है। हम यह जानते हैं कि हमारे देश में हज़ारों विद्यार्थी निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। सम्बद्ध विश्वविद्यालय समुचित ध्यान नहीं दे सकते हैं और पक्षपात आदि भी चलता है। यह आयोग निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने अथवा छात्रवृत्तियां दिये जाने के लिये अनुदान दे सकता है, परन्तु इस विधेयक में इस का कोई उल्लेख नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों की सिफ़ारिश मात्र ही कर सकता है, परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन आवश्यकताओं के आधार पर अनुदानों की शिफ़ारिश की जायेगी। मेरा विचार है कि इस आयोग को समुचित प्राधिकार दिया जाना चाहिये। इसे सहयोजन करने तथा परीक्षाओं के स्तरों को बनाये रखने के लिये पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इन बातों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा और विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध रखे जायेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : 'यूनस्को' की प्रस्तावना में कहा गया है कि युद्ध के कारण, मानव के मन में उत्पन्न होते हैं और उसके मन में शांति के लिये सुरक्षा की भावना का निर्माण किया जाना चाहिये। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ है और विशेष कर विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह किसी न भी नहीं कही है। मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने और विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर बनाये रखने तथा उसमें समन्वय करने के दोनों कार्यों का दायित्व एक ही निकाय को नहीं सौंपा जाना चाहिये। इन में से प्रत्येक कार्य अत्यधिक गंभीर और दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक कार्य के लिये विशेषज्ञों द्वारा पूरा समय दिये जाने की आवश्यकता है और मेरा ख्याल है कि एक ही निकाय, दोनों कार्यों को, एक ही समय में और प्रभावशाली तरीके से नहीं कर सकता है। यहां तक कि राधाकृष्णन आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी गतिविधियां अनुदान देने के मामले तक ही सीमित रखनी चाहियें और शिक्षा स्तर के निर्धारण और समन्वय का कार्य किसी अन्य भिन्न निकाय द्वारा किया जाना चाहिये।

डा० एम० एम० दास : यह जानकारी ग़लत है। मैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का उद्धरण दे सकता हूं। उसमें कहा गया है कि उक्त दोनों कार्य एक ही निकाय के द्वारा किये जायें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं राधाकृष्णन आयोग के प्रतिवेदन का उद्धरण दूंगा।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उसे देखा नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं उस प्रतिवेदन के पृष्ठ ४१२ से उद्धृत कर रहा हूं :

> "परामर्श लेने के मामले में विश्वविद्यालयों द्वारा सदा ही उपक्रम किया जाना चाहिये यदि आयोग ने बिन मांगे परामर्श दिया तो इससे वह सम्बन्ध, जो हम विश्वविद्यालयों के साथ स्थापित करना चाहते हैं, खराब हो जावेगा। यह सम्बन्ध मैत्री का सम्बन्ध है।"

मेरा मंतव्य यही है।

डा० एम० एम० दास : वह केवल आप ही का मंतव्य है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस वाक्य से स्पष्ट है कि जब तक विश्वविद्यालय स्वयं आयोग से परामर्श नहीं चाहते तब तक आयोग द्वारा उन्हें परामर्श नहीं दिया जाना चाहिये। इसके अलावा उसने इस विचार का समर्थन नहीं किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने और शिक्षानिर्णयक के बारे में उन्हें परामर्श देने--इन दोनों कार्यों का दायित्व रहे। मेरा ख्याल है कि ये दोनों कार्य भिन्न-भिन्न हैं।

डा० एम० एम० दास : सदन की जानकारी के लिये, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या कहा है यह मैं उद्धृत करता हूं :

> "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, समन्वय सम्बन्धी कार्य के साथ साथ अनुदान स्वीकार करने का कार्य सौंपना यही एकमात्र हल है।"

आयोग की यह भाषा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस पृष्ठ पर दिया गया है?

डा० एम० एम० दास : यह मैं बाद में बताऊंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४१२ से उद्धरण दिया है। माननीय सभा सचिव का इस बारे में जो दृष्टिकोण है उससे मैं सहमत नहीं होना चाहता। मेरा विश्वास है कि ये दोनों कार्य अत्यधिक महत्व पूर्ण हैं और एक ही निकाय उन्हें संपन्न नहीं कर सकता है। शिक्षा स्तर को बनाये रखना और उसमें समन्वय लाने के कार्य विश्वविद्यालयों को ही सौंपा जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों से इस अधिकार को छीनकर उसे किसी केन्द्रीय प्राधिकारी को देकर हम शिक्षा के स्तर को बनाये रख सकेंगे या इससे हमें अपने कार्य में सहायता मिलेगी इसमें मुझे संदेह है। देश के शिक्षा मंत्रियों को देखकर किसी को ऐसा महसूस होगा कि व सक्षम नहीं हैं अथवा शिक्षा विषयक मामले पर कार्यवाही करने के लिये सुसज्ज नहीं हैं।

श्री के० के० बसु : मंत्री उन विषयों को भी नहीं जानते जिनके लिये उन्हें नियुक्त किया जाता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : शिक्षा विषयक नीतियों के बारे में निर्णय करने का भार हम ....

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : माननीय सदस्य के कथन का क्या अर्थ है यह मैं नहीं समझा हूं।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : माननीय सदस्य द्वारा इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिएं।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरी बात अत्यधिक स्पष्ट थी और मेरा ख्याल है सभी सदस्यों ने उसे समझा है।

श्री के० के० बसु : आप योग्यता प्राप्त शिक्षाशास्त्री नहीं हैं।

सभापति महोदय : शांति, शांति।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केवल अनुदान के प्रश्न पर ही कार्यवाही करनी चाहिये। शिक्षा के स्तर का प्रमापीकरण किसी अन्य निकाय को सौंपा जाना चाहिये। राधाकृष्णन आयोग का कथन है कि इन प्रश्नों पर कार्य करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा संबंधी मामलों के बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकता है। आयोग का ज्ञान और अनुभव किसी अन्य निकाय को दिया जाना चाहिये। इस निकाय को, शिक्षा का स्तर का निर्धारित करने और प्रमापीकरण का भार सौंपा जाना चाहिये। यहां, दुर्भाग्य से, उक्त दोनों कार्य एक ही निकाय को सौंपे गये हैं। ऐसे मामले में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सरकार को अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। दुर्भाग्यवश आजकल विशेषकर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, विश्वविद्यालयों में राजनीति का प्रवेश हो गया है। आजकल विश्वविद्यालयों की प्रत्येक बात विश्वविद्यालय परिषदों द्वारा की जाती है और इस सभा के सदस्य किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के प्रभावांतर्गत होते हैं। किसी परीक्षार्थी का उत्तीर्ण होना या उसे कौनसी श्रेणी मिलती है, परीक्षकों पर कितना प्रभाव डाला जा सकता है, इस बात पर निर्भर होती है। इसीलिये विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। अनुदान आयोग को शक्तियां देकर शिक्षा के स्तर को उन्नत करना असंभव है। जबतक आप नीचे से ऊपर तक सुधार नहीं करेंगे, और जब तक विश्वविद्यालयों में पुनः स्वायत्त शासन स्थापित नहीं होता है तब तक मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के स्तर को उन्नत नहीं कर सकेंगे।

कुछ सदस्यों ने सदन का ध्यान राष्ट्रीय प्रयोजन की ओर आकृष्ट किया। राष्ट्रीय प्रयोजन का क्या अर्थ है ? क्या माननीय मंत्री ऐसा सोचते हैं कि विश्वविद्यालयों को केवल ऐसे ही विषय पढ़ाने चाहियें जो अनुदार और पुरानी परिपाटी की विचार धारा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किये गये हों ? अथवा क्या उनका आशय यह है कि विश्वविद्यालयों को परिवर्तन करने का कार्य भी करना चाहिये ? यदि वह यह चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीय प्रयोजन को निर्धारित करने का दायित्व सरकार पर न छोड़ा जाये। राष्ट्रीय प्रयोजन क्या हो तथा उचित प्रकार की शिक्षा कैसी हो ये बातें विश्वविद्यालयों को ही निर्धारित करनी चाहियें। यह शक्ति उनसे छीनकर हम शिक्षा प्रणाली को नौकरशाही प्रणाली में बदल रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा या किसी भी शिक्षा का आधार स्वाधीनता होनी चाहिये। यदि विश्वविद्यालयो को स्वाधीनता न दी गई और उन्हें स्वायत्तशासन न दिया गया तो मेरा ख्याल है हम उचित प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में आजकल अभिव्यक्ति स्वातंत्र नहीं है जिसके कारण शिक्षक विद्यार्थीयों को कई अच्छी बातें नहीं पढ़ा सकते हैं। शैक्षणिक स्वाधीनता एक महान स्वाधीनता और महान गुण है। यदि आप विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को उन्नत करना चाहते हैं तो यह शक्ति अनुदान आयोग को देकर आप इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

लोगों को शिकायत है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, और यह सच भी है । किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि शिकायत तो सभी करते हैं किन्तु हल कोई नहीं बताता है और न कोई ठीक विश्लेषण ही कर सकता है। मैं यह कहूंगा कि नौकरशाही अधिकारियों या मंत्रियों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप शिक्षा के स्तर के गिरने का प्रमुख कारण है । उसमें और भी पतन होगा और न अनुदान आयोग और न ही आपकी सरकार हमें इस विधेयक के उद्देश्य पूर्ति में सहायता दे सकेगी । मुझे विश्वास है कि अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा गुण स्वाधीनता और केवल स्वाधीनता में ही निहित है । यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को स्वाधीनता दें और उनपर से सभी जातीय प्रभाव हटा लें. . .

सभापति महोदय : यह सब बहुत ही दिलचस्प है किन्तु इसका विधेयक से शायद ही कोई संबंध है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल यही कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों को अधिक स्वाधीनता देकर, न कि उनकी स्वाधीनता छीनकर, हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अनुदान आयोग का कार्य केवल विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तक ही सीमित रहे और शिक्षा के स्तर का समन्वय करने का कार्य किसी अन्य निकाय को सौंपा जाना चाहिये । मेरे ये विचार हैं और यह प्रश्न मैं सदन के विचार पर छोड़ता हूं ।

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के किस पृष्ठ से मैंने उद्धरण दिया था ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को मौका दिया जायेगा और वह उस समय जो कहना चाहें कह सकते हैं ।

विधेयक पर विचार के लिये तीन घंटे दिये गये थे तथा यह समय लगभग समाप्त हो गया है, और अभी माननीय मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर भी देना है । अतएव मुझे दुख है कि मैं अब अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता । जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे कृपा कर के संशोधनों पर अथवा तृतीय वाचन के समय बोलें ।

डा० एम० एम० दास : मेरे प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद हुआ उसे मैंने ध्यानपूर्वक और दिलचस्पी से सुना है। इस सदन के काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हमें उनके विचारों से काफी लाभ पहुंचा है ।

चर्चा के दौरान में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है जिन पर न सरकार द्वारा किन्तु इस सदन द्वारा भी सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक है । मैं इन बातों को एक एक करके लूंगा और उनके बारे में सरकार की विचारोपरांत सम्मति क्या है, यह माननीय सदस्यों को बताऊंगा । सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे विश्वविद्यालयों के स्वायत्तशासन का है और यही चर्चा का प्रमुख अंग रहा है। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर भाषण दिये हैं उनमें मतभेद प्रतीत होता है ; कई वक्ता विश्वविद्यालयों के स्वायत्तशासन के कट्टर समर्थक थे और वे आयोग अथवा भारत सरकार को, केवल धन प्रदान करने के प्राधिकार के अतिरिक्त, कोई अन्य प्राधिकार देने को तैयार नहीं थे। यद्यपि संयुक्त समिति द्वारा विधेयक पर विचारोपरांत उसके उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालयों में पूर्णतम स्वायत्त शासन होगा और वस्तुतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल एक परामर्शदात्री और सिफारिश देने वाली निकाय रह गया है, तथापि मेरे कई मित्र संतुष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि आयोग को अपने कृत्यों का

निर्वहन करने के लिए उसे आवश्यक शक्ति नहीं दी गई है। चर्चा की इस अवस्था में एक या दूसरे पक्ष के तर्कों को दुहराना मेरे लिये आवश्यक नहीं है किन्तु इतना कहना काफी होगा, कि संयुक्त समिति की सामहिक बुद्धि से मार्ग-प्रदर्शन किया जाना सरकार वांछनीय समझती है। यद्यपि आयोग को कोई अधिकार और शक्ति नहीं दी गई है तथापि हम आशा करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय समझदारी से काम लेंगे और मैत्रीपूर्ण और परामर्श से ही कार्य संपन्न होगा।

सदन को इस बात की जानकारी है कि कोई दो वर्ष पूर्व भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा वर्तमान विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग द्वारा दो वर्षों में जो कार्य किया गया है उसे हमने दिलचस्पी से देखा है। देश के विश्वविद्यालयों को अबतक इस आयोग ने साढ़े तीन करोड़ रुपयों का अनुदान दिया है। इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई और न कहीं से कोई शिकायत ही आई है। अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों ने पूर्ण सामंजस्य और एकता के साथ उस महान उद्देश्य—विश्वविद्यालयों की प्रगति—से प्रेरित होकर, कार्य किया है। वर्तमान अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और विश्वविद्यालयों को कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि उनके स्वायत्तशासन का अनुलंघन हुआ है। अतएव, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यद्यपि संयुक्त समिति द्वारा यह आयोग एक अधिकारविहीन निकाय बना दिया गया है, तथापि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया है उसे प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

अगली बात जो मैं लेने जा रहा हूं वह है संबद्ध कालिजों (महाविद्यालयों) का प्रश्न। प्रायः सभी सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, देश के संबद्ध कालिजों (महाविद्यालयों) की दयनीय आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत चिन्ता प्रकट की है। भारत सरकार माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत है। सम्बद्ध कालिजों की अवस्था के सम्बन्ध में कोई विभिन्न मत नहीं हो सकता है। परन्तु सारी बात भारत सरकार की वित्तीय अवस्था के प्रश्न पर आकर समाप्त हो जाती है। प्रश्न केवल यह है कि भारत सरकार कितनी धन राशि व्यय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे सकती है। इन परिस्थितियों में संयुक्त समिति ने बिल्कुल ठीक ही किया है। वित्त की उपलब्धता होने पर सभी सम्बद्ध कालिजों को इसके अन्तर्गत लाये जाने का उपबन्ध है। श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने यह कहा है कि स्वयं विधेयक में ही यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दी जानी चाहिये कि स्नातकोत्तर कालिजों को सर्व प्रथम लिया जायेगा। हमारा कहना है कि इस प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करे, उनको इस विषय में अपने स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया जाये। यदि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर कालिजों को पहले लेना वांछनीय समझें, तो वह ऐसा करें, इस विधेयक में उनको ऐसा करने से रोकने वाली कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि दरवाजा खुला रहे और यदि वित्तीय अवस्था अनुमति दे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम्बद्ध कालिजों को अनुदान देने में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये। हमें आशा है कि भविष्य में भारत सरकार की वित्तीय अवस्था में सुधार हो जायेगा और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक धन दे सकेगी जिससे कि उक्त आयोग देश भर के समस्त संबद्ध कालिजों को विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत ला सके और उनको केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकारी बना सके।

अब मैं आयोग की संरचना की बात को लेता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव

[डा० एम० एम० दास]

दिया है कि आयोग के सदस्यों का चुनाव न किया जाकर निर्वाचन किया जाये। इस प्रस्थापना का औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कहने का मेरे पास पर्याप्त कारण है।

श्री वी० पी० नायर : सन् १९५२ में आप लोक लेखा समिति के सदस्य थे उस समय आपकी विचार धारा बिल्कुल भिन्न थी।

डा० एम० एम० दास : मतभेद तो होता ही है। पहली बात तो यह है कि शिक्षा विषयक मामलों में निर्वाचन प्रणाली को चलाना कोई उत्तम बात नहीं है, इसका विरोध किया जाना चाहिये। राधाकृष्णन समिति ने विश्वविद्यालयों में निर्वाचन प्रणाली के लागू किये जाने के विचार मात्र को ही निन्दनीय बताया है।

दूसरा कारण यह है कि यह एक सामान्य प्रजातंत्रीय सिद्धान्त है कि निर्वाचित व्यक्ति केवल निर्वाचकों के प्रति ही उत्तरदायी होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो धन राशि वितरित की जायेगी वह भारत की संचित निधि से ली जायेगी। इस निधि के समुचित व्ययन के लिये सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी है। आयोग के सदस्य अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और उनको इस धन राशि को व्यय करने का अधिकार होगा। यदि सदस्य अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं तो वह न तो सरकार के प्रति और न ही इस संसद् के प्रति उत्तरदायी होंगे। तब केन्द्रीय सरकार की स्थिति क्या होगी? केन्द्रीय सरकार बहुत ही विषम स्थिति में पड़ जायेगी, उस धन राशि के व्यय में उसका कोई हाथ नहीं होगा और फिर भी उसे इस सदन के प्रति उत्तरदायी समझा जायेगा।

तीसरे इंगलैंड के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो सादृश्य उपस्थित किया गया है वह केवल सादृश्य ही है तर्क नहीं है। उस के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

अब मैं श्री मेघनाद साहा के संशोधन को लेता हूं। मुझे दुख है कि इस समय वह सभा में नहीं है।

हमें याद होगा कि श्री मेघनाद साहा राधाकृष्णन आयोग के एक सदस्य थे। वे इस विधेयक की संयुक्त समिति के भी सदस्य थे। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे बैठकों में भाग नहीं ले सके। हमें विश्वास है कि वे भाग लेते तो उनका योगदान बहुत ठोस प्रकार का होता और संभवतः वे समिति के निर्णयों को भी प्रभावित करते।

श्री मेघनाद साहा ने अपने संशोधन के समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उन में जो बल है उस से इंकार नहीं किया जा सकता। उनके संशोधन के अनुसार सभापति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की श्रेणी के चार विशेषज्ञ होने चाहिये और ये पांचों पूरे समय काम करने वाले सरकारी अधिकारी हों। और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिये, जैसा कि इस विधेयक में है, थोड़े समय काम करने वाले सदस्य रखे जायें। उन का संशोधन तो रखा है जिसके समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु मुझे भय यह है कि मेरे माननीन मित्र यही कहेंगे कि यह तो केंद्रीय सरकार का एक विभाग बन गया। हमारे उपकुलपति और विश्वविद्यालय आधिकारी भी इस पर आपत्ति करेंगे। इसलिये सरकार श्री मेघनाद साहा के सुझाव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती है।

परन्तु मैं अपने माननीय मित्र श्री मेघनाद साहा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उसी दिशा में सोच रही है जैसा कि उन का सुझाव है। श्री मेघनाद साहा को ज्ञात है कि आयोग की सहायता करने के लिये सरकार शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में

विशेषज्ञ तालिकायें बनाने का विचार कर रही है। कुछ तालिकाओं में उन्हें स्वयं आमंत्रित किया गया है और भविष्य में भी वे निस्सन्देह बुलाये जायेंगे।

सरकार का विचार है कि सभापति का पद पूरे समय काम करने वाला और वैतनिक हो। श्री बी० के० दास ने इसी आशय के संशोधन की एक सूचना भी भेजी है। हम इस संशोधन को स्वीकार करने जा रहे हैं।

अभी आयोग का कार्य इतना अधिक नहीं है कि पूरे समय काम करने वाले पांच अधिकारी नियुक्त किये जायें। अभी एक दो वर्ष हम देखें कि काम कैसे चलता है। आगे चलकर यदि सभा को यह जान पड़े कि वास्तव में एक से अधिक पूरे समय काम करने वाले अधिकारी की आवश्यकता है तो सरकार को इसके लिये संशोधन करने में और आयोग की रचना में परिवर्तन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

आयोग के कृत्यों के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों का विचार है कि आयोग का कार्यकार क्षेत्र अनुचित रूप से संकुचित कर दिया गया है। बहुत से माननीय सदस्य--जिन में डा० जयसूर्य भी हैं--विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शक्तियां केन्द्रीय सरकार के हाथ में सौंपने को तैयार हैं। परन्तु सरकार इस के लिये तैयार नहीं है क्योंकि संविधान ऐसा करने में बाधक है। सभा को स्मरण होगा कि शिक्षा का विषय राज्य के अधिकारक्षेत्र में है। इस संसद् को संघ सूची की मद ६६ के सम्बन्ध में ही विधान बनाने का अधिकार है जो कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं के स्तर के समन्वय और निर्धारण के सम्बन्ध में है। इस आयोग के कृत्यों को संकुचित रखने का यही कारण है।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह प्रश्न पूछा है कि स्तर-निर्धारण पर क्यों इतना बल दिया जा रहा है जब कि शिक्षा-प्रसार पर कोई बल नहीं दिया जाता। इस आयोग के क्रिया-कलाप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र का विकास होगा परन्तु इस विधेयक का मुख्य उदेश्य है उस उत्तरदायित्व को पूरा करना जिस का उत्तरदायित्व संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार पर रखा गया है, अर्थात् उच्च शिक्षा की संस्थाओं के स्तर का समन्वय और निर्धारण करना।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने प्रादेशिक भाषाओं विकास का प्रश्न उठाया है और वे चाहते है कि इसके लिये इस विधेयक में एक निश्चित उपबन्ध को स्थान दिया जाये। उन को भय है कि हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम में हस्तक्षेप करे। इस सम्बन्ध में मैं श्री चेट्टियार तथा अन्य मित्रों को, जिन्होंने ऐसा भय प्रकट किया है, याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रवक्ताओं ने यहां तक कि स्वयं प्रधान मंत्री ने अनेक बार कहा है कि भारत के संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में प्रत्येक हमारे देश की भाषा है और एक को हानि पहुंचाकर दूसरी को अधिमान देना भारत सरकार की नीति नहीं है।

भारत सरकार की हार्दिक इच्छा यह है कि इन १४ भाषाओं में से प्रत्येक के विकास के लिये भरसक सहायता दी जाये। श्री चेट्टियार ने और एक प्रश्न यह किया है कि क्या विश्वविद्यालयों की शिक्षा के माध्यम का प्रश्न राष्ट्रीय नीति का विषय बनाया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से और शिक्षा मंत्री के निदेश के अनुसार मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा के माध्यम

[डा० एम० एम० दास]

में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये जाने वाले नियमों में इस बात को स्पष्ट कर देने का विचार किया जा रहा है।

मेरे माननीय मित्र श्री डी० सी० शर्मा ने प्रश्न किया है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों नहीं लेती है। इसके उत्तर में मैं उन से केवल यही कह सकता हूं कि संविधान का एक और पाठ कर के कृपया वे अपनी स्मृति को हरा करलें ।

श्री डी० सी० शर्मा : हम संविधान में कितने ही संशोधन कर रहे हैं और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के सारे संगठन को अपने अधिकार में ले लें। इसके लिये भी तो संविधान का संशोधन किया जा सकता है।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : हां। यह एक अलग बात है। इस सिलसिले में यह बात नहीं आती। अगर आनरेबल मेम्बर चाहते हैं कि इस बारे में कान्स्टीट्यूशन बदला जाये तो वह तरमीम का बिल पेश कर सकते हैं। मगर यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन के सिलसिले में यह सवाल नहीं उठता।

डा० एम० एम० दास : 'राष्ट्रीय उद्देश्य' का तात्पर्य क्या है, इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने संदेह प्रकट किया है। राधाकृष्णन् आयोग ने इस पर जो प्रकाश डाला है वह अनुमान आयोग के प्रयोजन के के लिये पर्याप्त है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन में योजना के अनुसार काम करने के लिये या जहां विभिन्न एकक विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, वे एक समान राष्ट्रीय नीति के अनुसार हों तथा न तो अनावश्यक द्विगुणन होने पावे और न ऐसा हो कि कुछ बातों पर ध्यान ही न दिया जाये, इसके लिये तथा इस का सुनिश्चय करने के लिये कि सभी प्रान्त, राज्य और संघ एक निश्चित सीमा के भीतर काम करें या कुछ न्यूनतम स्तरों का पालन करें, । इस बात की आवश्यकता है कि स्थानीय अगुआई को क्षति पहुंचाये बिना समन्वय करने के लिये कुछ शक्ति केन्द्र के हाथ में रहने दी जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने जो कुछ कहा है उसमें बहुत विरोधाभास है । एक ओर तो उनका कहना है कि सभापति के रूप में पूरे समय काम करने वाले एक वैतनिक अधिकारी और अन्य सदस्यों को रखने से विश्वविद्यालय के हितों को भारी क्षति पहुंचेगी और दूसरी ओर वे डा० मेघनाद साहा के संशोधन का समर्थन भी कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। संभवतः उन्हें डा० मेघनाद साहा के संबंध में ज्ञात नहीं है कि वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के नामिकीय विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विविश्वद्यालों के स्तरों का समन्वय और निर्धारण करने तथा उस प्रयोजन के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(परिभाषायें)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

खण्ड २ पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनके नाम के आगे दी गई संख्या के संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री वी० पी० नायर	२०
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	५

सभापति महोदय : उक्त दो संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री बी० के० दास (कंटाई) : एक संशोधन रखने की सूचना आज दी गई थी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह भली भांति विदित है कि जब तक माननीय मंत्री उसे स्वीकार करने को तैयार न हों, तब तक वह नहीं रखा जा सकता है।

डा० एम० एम० दास : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि ऐसी स्थिति में यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री वी० पी० नायर : मेरा संशोधन बहुत ही सरल है। मैं चाहता हूं कि 'विश्वविद्यालय' शब्द में वे कालिज भी सम्मिलित कर लिये जायें, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। वर्षों से सरकार यह कहती आ रही है कि वह विश्वविद्यालयों को अधिक आर्थिक सहायता देने में असमर्थ है। हमने देखा है कि सरकार ने कुछ अन्य मामलों में काफी बड़ी रकमें दी हैं। टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय को सरकार ने अनुदान और ऋण के रूप में २० करोड़ रुपये दिये हैं और आय-व्ययक में बिना किसी उपयुक्त उपबन्ध के सरकार ने एक भेषजीय सार्थ को ३ करोड़ रुपये दिये हैं। जब सरकार इतनी बड़ी धनराशियां इन मामलों में खर्च कर सकती है, तो फिर यह कहना कि वह विश्वविद्यालयों के लिये अधिक धन का प्रबन्ध नहीं कर सकती, ग़लत है।

मेरे राज्य में ४८ कालिज हैं, जिनमें ६ कालिज मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं और ४२ कालेज त्रावनकोर विश्वविद्यालय से। वर्तमान वर्षों में हमारे राज्य की साम-प्रदायिक संस्थाओंने कालिज खोलने के सम्बन्ध में परस्पर होड़ सी कर ली है। कालिजों के प्रबन्धक धन एकत्र करने के लिये चारो ओर घूमते हैं और उन्हीं विद्यार्थियों को अपने कालिज में प्रवेश देते हैं, जो कालिज के लिये २०० या ३०० रुपये का दान देते हैं। इससे विद्यार्थियों की बड़ी परेशानी होती है। मेरे राज्य के लगभग प्रत्येक गैर-सरकारी कालिज में विद्यार्थियों से इस प्रकार की रिश्वत ली जाती है। जबकि एक सरकारी कालिज में १२० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से फीस ली जाती है, तो इन सारे ही गैर-सरकारी कालिजों में इससे २५ प्रतिशत अधिक फीस ली जाती है। इस ट्यूशन फीस के अतिरिक्त प्रयोगशाला की फीस भी ली जाती है, यद्यपि इन कालिजों में कोई प्रयोगशाला नहीं है और अध्यापकों को वैसे ही पढ़ाना पड़ता है। ऐसी बात गैर-सरकारी कालिजों में ही नहीं, अपितु सरकारी कालिजों में भी है। विद्यार्थियों से खेल की फीस ले ली जाती है, जबकि एक भी खेल का मैदान नहीं होता। इसी प्रकार कुछ गैर-सरकारी कालिजों में पुस्तकालय की फीस ली जाती है, जबकि पुस्तकालय में कुल सो पुस्तकें भी नहीं होती हैं। पांडलम् के एन० एस० एस० कालेज में लगभग १००० विद्यार्थी पढ़ते हैं किन्तु कालिज के अहाते में पानी पीने के लिये एक भी कुंआ नहीं है और विद्यार्थियों को पानी पीने के लिये एक फर्लांग का रास्ता तय करना पड़ता है। गैर-सरकारी कालिजों में ये सारी बुराइयां प्रचलित हैं। मैं यह नहीं कहता कि इन कालिजों ने शिक्षा

[श्री वी० पी० नायर]

के प्रसार में कोई योग नहीं दिया है, किन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि ये सारी बुराइयां अब दूर होनी चाहियें। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिवेन्द्रम् के एक गैर-सरकारी कालिज में खेल कूद विभाग के निदेशक के रूप में एक ऐसे सज्जन की नियुक्ति की गई, जिन्होंने तृतीय श्रेणी में बी० एस सी० पास किया था और बाद को इन्हीं सज्जन को इंटरमीडियेट क्लास का भौतिक-शास्त्र पढ़ाने को दिया गया। यह केवल इसलिये किया गया, जिससे उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियम में बाधा न बनें, क्योंकि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उसे एम० एस-सी०होना आवश्यक था। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से इन मामलों की शिकायत करते हैं, किन्तु यदि उसके बदले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिये मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की परिभाषा में इन कालिजों को भी सम्मिलित कर लिया जाये। यद्यपि विधेयक का क्षेत्र सीमित है, फिर भी उसमें इस आयोग के लिये विश्वविद्यालय के निरीक्षण का तो उपबन्ध किया ही गया है।

डा० एम० एम० दास : इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी।

श्री वी० पी० नायर : यह केवल स्वायत्तता का प्रश्न नहीं। आयोग तो केवल इतना करेगा कि वह विश्वविद्यालय की कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारी को उस संबंध में लिखेगा। वस्तुतः ऐसा करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिससे विद्यार्थियों की परेशानियां दूर हों।

इन सम्बद्ध कालेजों में क्या क्या बुराइयां प्रचलित हैं, इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण और देता हूं। त्रिवेन्द्रम् में एक मेडिकल कालेज है। यह कालेज लगभग ५०,००,००० रुपये की लागत से बना है और इसमें बड़े बड़े प्रसिद्ध सर्जन (शल्य-चिकित्सक) तथा डाक्टर हैं, जो कि संसार भर का भ्रमण कर आये हैं। किन्तु ये लोग गुर्दे में से पथरी निकालने का एक छोटा सा आपरेशन नहीं कर पाये। यह कालेज सरकार द्वारा चलाया जाता है और त्रावनकोर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। बाद को मुझे मालूम हुआ कि उस कालिज में, जहां कि सर्जन और डाक्टर होना सिखाया जाता है, एक योग्य निश्चेतक की कमी थी। मैं नहीं समझ पाता कि एक निश्चेतक के अभाव में जबकि ऐसे कुशल कहे जाने वाले डाक्टर एक छोटा सा आपरेशन करने में डरते हैं, वे और लोगों को अच्छा डाक्टर कैसे बना सकेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बुराई गैर-सरकारी लोगों द्वारा चलाये जाने वाले केवल गैर-सरकारी कालिजों में ही नहीं अपितु प्रत्येक कालिज में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य बहुत ही सीमित है, किन्तु मेरे संशोधन से उसे ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करने का एक छोटा सा अवसर अवश्य प्राप्त हो सकेगा इसीलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार मेरा संशोधन स्वीकार करे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं अपने संशोधन के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाले और रिसर्च (अनुसंधान) करवाने वाले सारे ही कालिज सम्मिलित कर लिये जायें। संयुक्त समिति में श्री नायर के सुझाव पर विचार किया गया था, और सभी ने उसका समर्थन किया था, किन्तु, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, पर्याप्त धन के अभाव में सरकार इस मामले को क्रमशः सुधारना चाहती है। मुझे आशा है कि सरकार सर्वप्रथम स्नातकोत्तर की शिक्षा की ओर ही ध्यान देगी क्यों कि कालिज की शिक्षा का वास्तविक अर्थ स्नातकोत्तर शिक्षा से ही है। इस समय सरकार ३१ विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता दे रही है। इनमें से चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं

और शेष राज्य विश्वविद्यालय हैं। अन्य कालिजों को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सरकार सर्वप्रथम उन्हीं कालिजों को आर्थिक सहायता दे, जहां स्नातकोत्तर शिक्षा दी जा रही है। ऐसे कालिजों की संख्या केवल ५०० है और मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा कर सकेगी। मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : खंड २ में विश्वविद्यालय की जो परिभाषा दी गई है, वह तो ठीक है, किन्तु मैं सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे अधिकार मिलने चाहियें, जिससे वह नये विश्वविद्यालयों के लिये अथवा ऐसे कालिजों के लिये, जो विश्वविद्यालय होने वाले हैं, अधिकार पत्र देने के लिये राष्ट्रपति से सिफारिश कर सके।

परिभाषा के अनुसार विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है, जो एक केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित हुआ है। किन्तु इस परिभाषा में उन कालिजों को नहीं रखा गया है, जो विश्वविद्यालय होने वाले हैं। मेरे विचार में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की यही सिफ़ारिश है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अन्य अधिकारों के साथ-साथ यह अधिकार भी देना चाहिये। किसी कालिज को विश्वविद्यालय बनाने के लिये पहले पहल राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार-पत्र देने का अधिकार देना चाहिये, जिससे वह कालिज एक अन्तर्कालीन विश्वविद्यालय के रूप में काम कर सके।

डा० एम० एम० दास : खंड ३ में यही उपबन्ध किया गया है।

श्री श्रीनारायण दास : मेरे कहने का तात्पर्य यह है यदि किसी कालिज की ओर से कोई आवेदनपत्र प्राप्त होता है, और आयोग उस कालिज को विश्वविद्यालय बनाने के योग्य समझता है, तो उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति से सिफारिश कर सके और राष्ट्रपति उस कालिज के लिये एक अन्तर्कालीन विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के लिये एक अधिकार पत्र दे सके। विधेयक में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि आयोग को यह अधिकार और दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या इस सम्बन्ध में कोई संशोधन है ?

श्री श्रीनारायण दास: मैंने श्री बी० के० दास के संशोधन के साथ ही अपना संशोधन प्रस्तुत किया था, किन्तु आपने उसको स्वीकार नहीं किया।

सभापति महोदय : तब इसकी कार्यान्विति किस प्रकार हो सकेगी ?

श्री डी० सी० शर्मा : मैं श्री वी० पी० नायर और श्री चेट्टियार के सुझावों से सहमत हूं, किन्तु मेरी सहमति के कारण दूसरे ही है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें विश्वविद्यालय के विभाग भी हैं और सम्बद्ध कालिज भी। मैं चाहता हूं कि दोनों के लिये एक ही प्रकार के नियम बनें। यह बड़ा विभेदपूर्ण होगा, यदि हम विश्वविद्यालय के विभागों को तो सहायता दें और सम्बद्ध कालिजों को उससे वंचित रखें। मेरी समझ में विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है और यह उद्देश्य स्नातकोत्तर शिक्षा को ठीक करने से पूरा नहीं होता, अतः विश्वविद्यालय के साथ-साथ सम्बद्ध कालिजों को सम्मिलित करना परमावश्यक है।

इसके अन्य कारण भी हैं। भारत में हम नगर विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अपितु हम चाहते हैं

[श्री डी० सी० शर्मा]

कि ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित हों । जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रामों में स्थित कालिजों तथा अधिक जन संख्या वाले नगरों के कालिजों को सहायता देने का विचार नहीं करता, तब तक भारत में शिक्षा की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता ।

इसके अतिरिक्त, हम आज समाजवादी युग में रह रहे हैं और हम किसी के साथ विभेदपूर्ण बर्ताव नहीं कर सकते । अतः मेरा यह कहना है कि सम्बद्ध कालिज भी अवश्य सम्मिलित कर लिये जायें ।

कई बार इस सम्बन्ध में कहा गया है कि अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाये जायें । शिक्षा मंत्रालय भी इससे सहमत हैं, किन्तु सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है । जब तक सरकार इन कालिजों को विश्वविद्यालयों के समान ही आर्थिक सहायता नहीं देती, तब तक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में कोई भी सुधार नहीं हो सकता । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इन ३८ विश्वविद्यालयों के लिये ही यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्यों हो । इन कालेजों के बिना तो इन ३८ विश्वविद्यालयों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता ।

सभापति महोदय : विधेयक में बताया गया है :

> "... कोई भी ऐसी संस्था, जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय की सिफारिश पर इस अधिनियम के अन्तर्गत उस सम्बन्ध में किये गये विनियमनों के अनुसार आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करे ।"

मेरा प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य होने पर क्या सम्बद्ध कालिज इसके अन्तर्गत आयेंगे या नहीं ?

श्री डी० सी० शर्मा : इससे स्वयं ही सारी बात स्पष्ट हो जाती है और मैं अपने संशोधन के द्वारा चाहता हूं कि "विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक कालिज (संस्था) को सम्मिलित करता है ।" ये शब्द और जोड़ दिये जायें ।

सभापति महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्बद्ध कालिज, यदि वे मान्य हो जाते हैं, इसके अन्तर्गत आयेंगे, या नहीं !

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : केवल वे सम्बद्ध कालिज ही इसके अन्तर्गत आयेंगे, जो विश्वविद्यालय की सिफारिश पर आयोग द्वारा मान्य हो जाते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : जो कुछ होगा, वह इस प्रकार है । कोई विधि कालिज होगा, कोई मेडिकल कालिज और कोई प्राविधिक कालिज और विश्वविद्यालय यह सिफारिश करेगा कि अमुक कालिज को इतना धन दे दिया जाये । मेरा कहना यह है कि यदि वे इसमें सम्मिलित भी हैं, तब भी जो संदिग्धता है, उसे दूर कर ही देना चाहिए । 'सम्बद्ध कालिज' शब्दों को इस प्रकार रखा जाये जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा, जो कि सम्बद्ध कालिजों में दी जाती है और जो विश्वविद्यालय के विभागों में दी जाती है, एक ही समान समझी जाये ।

अतः मेरा संशोधन निरापद है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे ।

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्यों का अपने देश के सम्बद्ध कालिजों की दशा सुधारने के लिये चिन्तित होना उचित है । सरकार इसे जानती है और वह इन सभी संशोधनों को मान लेती यदि उसके पास इन ७०० या ८०० से भी अधिक सम्बद्ध कालिजों को ठोस सहायता देने योग्य रकम सुलभ होती । संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर काफी बहस हुई थी और हम ने यही उचित संभावना उसमें देखी थी कि वित्तीय दशा सुधरने पर विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग इन कालिजों को धन से सहायता करे। वित्तीय दशा सुधरने, और सम्बंधित विश्वविद्यालय की सिफारिश आने पर, आयोग इन सम्बद्ध कालिजों की सहायता कर सकेगा। यही उपबन्ध रखा गया है। और, इससे सहायता का द्वार खुला ही रहता है।

मेरे माननीय मित्र श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने स्नातकोत्तर कालिजों की सहायता के बारे में कहा है। हमने इस का निर्णय आयोग पर छोड़ दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय दोनों मिलकर इसका निर्णय करेंगे। यदि वे इससे सहमत हैं, तो इस सहायता के लिये भी द्वार खुला रखा गया है।

सभापति महोदय : मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

[खण्ड २ पर **श्री वी० पी० नायर** और **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** के संशोधन संख्या २० और ५ सभा के मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ५—(आयोग की रचना)

श्री मात्तन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २९,

"not less than" (से अन्यून) के स्थान पर "not more than" (से अनधिक) रखा जाये।

श्री के० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २९,

"less" (न्यून) के स्थान पर "more" (अधिक) रखा जाये।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	संशोधन संख्या
श्री वी० पी० नायर	२५, ३६
श्री टी० एस० ए० चट्टियार	६
श्री के० के० बसु	२८, २९, ३४, ३५, ३७
श्री मात्तन	३०, ३८
श्रीमती जयश्री	३२
श्री श्रीनारायण दास	७
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	२७, ३१

सभापति महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं। सभी खंडों को निबटाने के लिये यह जरूरी है कि माननीय सदस्य स्वयं संक्षेप में बोलें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : संयुक्त समिति की चर्चाओं में भी इस खण्ड को काफी महत्व दिया गया था। इंगलैंड में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्यता का भार संभालने से पहले उपकुलपतियों को अपने पद से त्याग पत्र दे देना पड़ता है। पर, अपने देश की परिस्थिति में उपकुलपतियों को निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व देना आवश्यक समझा गया है। इस खण्ड में रखा गया था कि तीन उपकुलपति सदस्य बनाये जायें। मैं ने संशोधन रखा है कि कम-से-कम तीन उपकुलपति रखे जायें। श्री मात्तन के संशोधन के अनुसार तीन से अधिक उपकुलपति

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

सदस्य न बनाये जायें। मेरे संशोधन के द्वारा अधिक संख्या बढ़ाने की गुंजाइश तो बनी रहती है, पर हो सकता है कि प्रमुख उपकुलपतियों को इसके लिये समय न मिल सके, और इसके लिये सर्वोत्तम लोग सुलभ न हो सकें। इसलिये, मैं श्री मात्तन का संशोधन स्वीकार करता हूं कि उनकी अधिकतम संख्या तीन रख दी जाये।

अब प्रश्न है सरकारी प्रतिनिधित्व का। मूल खण्ड में रखा गया था कि कम-से-कम दो सरकारी प्रतिनिधि रखे जायें। पर, हमने संयुक्त समिति में इस पर विचार कर के उसे दो की संख्या पर निश्चित कर दिया है। हो सकता है कि इनमें से एक सरकारी प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय और दूसरा शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करे। गैर-सरकारी सदस्यों के बारे में भी एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है; खण्ड ५ में रखा गया है कि आयोग के सदस्यों में से आधे से अधिक गैर-सरकारी होंगे। संयुक्त समिति ने यह स्पष्टतया कह दिया है कि आयोग का अध्यक्ष केन्द्रीय या किसी भी राज्यीय सरकार का स्थाई अधिकारी नहीं होगा। मेरी राय में तो यह बिलकुल उचित है।

चुनाव के बारे में भी अक्सर विवाद उठा है। राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों के हल्कों में चुनाव को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। मेरा भी अनुभव यही है कि इससे बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उचित व्यक्तियों को ही नाम-निर्देशित करेगी।

श्री वी० पी० नायर : अब समय नहीं रहा है, अन्यथा मैं खंड ५(२)(क) में एक संशोधन प्रस्तुत करता। आज सुबह के अखबारों में खबर थी कि सरकार ने आयोग के लिये सर रामस्वामी अय्यर का नाम सदस्यता के लिये नामनिर्देशित किया है। मैं त्रावनकोर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और जानता हूं कि उन्होंने एक स्वयं-नियुक्त उपकुलपति के रूप में विद्यार्थियों को क्या कुछ दिया है . . .

सभापति महोदय : पहली बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई भी संशोधन नहीं आया है; दूसरी यह कि वर्तमान विश्वविद्यालय आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नाम पर यहां बहस नहीं की जा सकती। हां, भविष्य में सारी नियुक्तियां इस अधिनियम के अनुसार ही हुआ करेंगी। माननीय सदस्य को सभा में किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई की चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : यदि हम संशोधनों पर चर्चा कर सकते हैं तो विधेयक के खंडों पर भी ऐसा हो सकता है। और तब, मैं खंड ५(२)(क) में नियुक्त किये जाने वाले उपकुलपतियों की योग्यता में एक बात और जुड़वाना चाहता कि वे "अखिल भारतीय प्रसिद्धि" के व्यक्ति हों।

सभापति महोदय : अब संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें, खास तौर पर जब वह व्यक्ति उनका उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित न हो।

श्री वी० पी० नायर : मैं उपकुलपतियों के बारे में आम तौर से कुछ कहना चाहता हूं। संसद् की सदस्यता पूरा समय खपाने वाला काम है। तीन-चार उपकुलपति संसद् के सदस्य भी हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वे संसद् की सदस्यता को कुछ समय के काम के रूप में लेते हैं, या उपकुलपति के अपने पद को ?

सभापति महोदय : हमने एक विधेयक स्वीकृत किया है कि उपकुलपति साथ ही साथ संसद् के सदस्य भी बन सकते हैं। इसकी जांच-पड़ताल के लिये एक समिति बनाई गई है। इस पर अभी यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि क्या एक आदमी दो काम एक साथ कर सकता है। मैं तो इसके औचित्य पर चर्चा करमना चाहता हूं कि क्या उपकुलपति के काम की जैसी जिम्मेदारी के लिये कुछ ही समय देने वाले व्यक्तियों को रखा जाये। तमाम विश्वविद्यालय हैं जहां के उपकुलपति केवल बैठकों के समय ही पहुंच जाते हैं और उनका सारा भार सहायक उपकुलपति को ही उठाना पड़ता है। वास्तव में, उनका काम ही पूरे समय का है। इसलिये, मैं चाहता हूं कि यदि इस आयोग में उपकुलपतियों को रखना आवश्यक ही है तो ऐसे उपकुलपति चुने जायें जो विश्वविद्यालय में अपना पूरा समय देते हों और राजनीति या धार्मिक मामलों में नहीं उलझे रहते हों।

दूसरी बात यह है कि मैं इस आयोग को और भी अधिक बड़ा बनाना चाहता हूं। अभी इसमें केवल नौ सदस्य रखने का ही प्रस्ताव है। ये सभी सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होने के कारण सरकार की हां म हां मिलाने वाले ही होंगे। मान लीजिये, २५ उपकुलपति सभी तरह से योग्य हैं। स्पष्ट है, कि शिक्षा विभाग के सचिव उनमें से तीन अपने आदमी चुन कर नामनिर्दिष्ट कर देंगे। वे सरकार का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं उनके नाम सोच सकता हूं और मैं ज्यादा गलत साबित नहीं होऊंगा। यह इसलिये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ रकम भी देगी। उसके लिये संसद् के वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री श्यामनंदन सहाय : वैधानिक ही क्यों, पूर्ण अनुमोदन की क्यों नहीं ?

श्री वी० पी० नायर : वैधानिक इसलिये कि सत्तारूढ़ दल जब चाहे इसका अनुमोदन करा सकता है। हम तो यहां भारत की संचित निधि में से निधियों के बंटवारे के लिये अपने मत दर्ज कराने भर के लिये हैं। इसीलिये, मैं सरकार से कहता हूं कि वह इस सभा पर विश्वास रखे और राज्य-सभा से एक तथा लोक-सभा के दो सदस्यों को भी आयोग में रखें। संसद् के सदस्यों में भी काफी प्रसिद्ध शिक्षाविद् मौजूद हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि एक व्यक्ति दो काम ठीक से नहीं कर सकता।

श्री वी० पी०नायर : वे पूरा समय देने वाले दो अधिकारी बन कर वहां नहीं जायेंगे।

सभापति महोदय : आयोग की सदस्यता में आश्रयदाता अधिकार भी शामिल हैं।

श्री वी० पी० नायर : हम कई आयोगों में शामिल हो रहे हैं। संसद् के सदस्य सभी आयोगों में रखे गये हैं। इसी को क्यों अलग रखा गया है। यदि यह तय किया गया है कि संसद् का कोई भी सदस्य इसमें नहीं रखा जायेगा, तो दूसरी बात है।

मेरे प्रस्तुत किये गये अन्य संशोधनों में, मैंने यह सुझाव रखा है कि आयोग के सभापति, उपसभापति और सचिव को इसमें पूरा समय देने वाले अधिकारियों के रूप में होना चाहिये। इस सबसे मेरा उद्देश्य यह है कि यह आयोग सरकार और सरकारी सचिवों से पूरी तरह स्वतंत्र रहे। मैंने यह भी सुझाव रखा है कि आयोग अपना सभापति स्वयं चुने, उसे सरकार नामनिर्देशित न करे। यदि सरकार किसी उपकुलपति को सभापति नामनिर्देशित करती है तो स्वभावतः वह अपने विश्वविद्यालय के लिये अधिक अनुदान स्वीकृत कराने का प्रयास करेगा। इसी डर से, मैं ने सभापति के चुनाव की बात रखी है। और, मेरे संशोधन कोई-बहुत उग्र भी नहीं। उन्हें बड़ी आसानी से शिक्षा उपमंत्री मान सकते हैं। पर, इनके मान लेने से लाखों-करोड़ों शिक्षकों और विद्यार्थियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भारत सरकार ने पुराना रवैया छोड़ दिया है और वह अब

[श्री वी० पी० नायर]

औपनिवेशिक ढंग की शिक्षा को बरकरार नहीं रखना चाहती। जनता के मस्तिष्क पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि अब भारत सरकार विश्वविद्यालयों की शिक्षा के कायाकल्प का काम योग्य व्यक्तियों को सौंप रही है। इन संशोधनों को मान लेने का आयोग पर भी उत्तम प्रभाव पड़ेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ९ सदस्य होंगे। मैं ने प्रस्ताव रखा है कि ९ के स्थान पर १२ रखे जायें। कौन संख्या सब से अच्छी है, इसका निर्णय यह सभा करेगी। राधाकृष्णन् आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ५ की संख्या सर्वोत्तम होगी। उक्त आयोग ने यह भी कहा है कि यह संख्या किसी भी दशा में ७ से अधिक नहीं होनी चाहिये। संख्या का निर्णय मनमाना विषय है।

मेरे ये संशोधन रखने का कारण यह है कि इस आयोग को दो मुख्य कार्य सौंपे गये हैं। प्रथम तो उसको विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के प्रश्न का निर्णय करना है, जिनकी संख्या ३० से अधिक है। दूसरे उसको विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर निर्धारित करना है। इस आयोग को सौंपे गये कार्य तथा उत्तरदायित्व बहुत से हैं। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस आयोग की सदस्यता संख्या न तो बहुत छोटी होनी चाहिये और न बहुत बड़ी। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि ९ की संख्या पर्याप्त है। मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर तथा डा० साहा ने भी यह सुझाव रखा है कि सदस्य संख्या १२ से अधिक न बढ़ाई जानी चाहिये। परन्तु मैं ने मध्य मार्ग अपना कर सदस्यता की संख्या रखी है और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें।

दूसरे संशोधन द्वारा मैं ने यह सुझाव रखा है कि इस आयोग में संसद् के दो सदस्य भी होने चाहियें। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि संसद् के सदस्य इस आयोग में अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेटियार : उन पर रोक नहीं लगाई गई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह ठीक है। उपखंड (ग) के अन्तर्गत संसद् के सदस्य आयोग में सम्मिलित किये जा सकते हैं। परन्तु मेरा उद्देश्य यह है कि इस सम्बन्ध में स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो जाये और संख्या भी निश्चित हो जाये। मैं आशा करता हूं कि मेरा सुझाव स्वीकृत किया जायेगा।

मैं एक बात और कहूंगा कि आयोग की रचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें शासकीय तत्व अधिक न रहे। मैं ने विधेयक में रखी गई संख्या को नहीं बदला है। सरकार के विभागों में से केवल दो सदस्य लिये जाने चाहियें, एक वित्त विभाग से और दूसरा शिक्षा विभाग से। गैर-सरकारी तत्व का प्राधान्य होना चाहिये।

अस्तु, मैं चाहूंगा कि मेरा संशोधन मान लिया जाये क्योंकि मेरे विचार से मेरा सुझाव विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था से अधिक अच्छा है।

श्री मात्तन : मेरा संशोधन बहुत सीधा-सादा है। २९वीं पंक्ति में "उपकुलपतियों में से कम-से-कम तीन सदस्य" के स्थान पर मैं चाहता हूं कि "अधिक-से-अधिक तीन सदस्य" कर दिया जाये।

मैं यह अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उपकुलपतियों का बहुत सम्मान करता हूं। केवल एक अपवाद को छोड़ कर जिसको मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति चरित्र का प्रमाणपत्र नहीं देगा।

मेरा तात्पर्य यह है कि उपकुलपतियों को आयोग में इसलिये नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि वे अनदानों के लिये प्रार्थी होने के कारण हितबद्ध पक्ष के होते हैं।

सभासचिव ने अपने भाषण में कहा कि ग्रेट ब्रिटेन का आयोग एक आदर्श आयोग है। मैं समझता हूं कि उनके विचार से हमारा आयोग भी अच्छा होगा। ऐसा न होने का एक ही कारण हो सकता है कि उसके सदस्य मनुष्य होने के नाते गलतियां कर सकते हैं। दूसरे एक अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड भी है जिससे आयोग चाहे तो सलाह ले सकता है।

मुझे प्रसन्नता होगी यदि तीनों को ही समाप्त किया जा सके परन्तु यदि ऐसा न भी हो फिर भी कम-से-कम तीन से अधिक तो उनकी संख्या होनी ही नहीं चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री यह प्रावधान रखेंगे कि इस तरह चुने गये उपकुलपति उत्तम चरित्र के व्यक्ति होंगे ?

श्री मात्तन : मैं कहता हूं कि वे कुख्यात न हों। इतना ही पर्याप्त है, अन्यथा चरित्र का प्रश्न तो बड़ा कठिन है।

सब से अधिक विचलित करने वाली चीज आयोग के सचिवालय के सम्बन्ध में है। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अनियमितताओं के सम्बन्ध में नोट लिखा जाना है कि वह अनुदान की अपेक्षा नहीं करता ऐसी स्थिति में यदि उपकुलपति आयोग में होगा तो सचिवालय के लिये विश्वविद्यालय के विरुद्ध लिखना अत्यन्त कठिन होगा।

मैं समझता हूं कि इस समय आयोग में ४ उपकुलपति हैं जिनमें से तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के हैं। ५ करोड़ रुपये के अनुदान में से आधे से अधिक भाग तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही मिल जाता है।

डा० एम० एम० दास : उन्हें पोषण अनुदान सीधे केन्द्र से मिल रहा है। जहां तक विकास अनुदानों का सम्बन्ध है, वे उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दे रहा है।

श्री मात्तन : और तीन ही उपकुलपति आयोग में हैं। तीन तक तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा कहना यह है कि उनमें से अधिक से-अधिक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का होना चाहिये। वह अमुक व्यक्ति कौन हो यह एक भिन्न विषय है। बद्धहित पक्षों को निर्णायक बनाने का अर्थ होगा वादार्थी को न्यायाधीश बनाना जो कि बहुत अनुचित है। माननीय सभासचिव ने इंगलैंड के आयोग को आदर्श आयोग बताया। तो वह स्वयं उसका अनुसरण क्यों नहीं करते ? इंगलैंड के एक शिक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि आयोग में उपकुलपतियों को रख कर सरकार भारी भूल कर रही है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैं ने उन्हें उद्धृत भर किया है।

अस्तु, मैं आशा करता हूं कि यदि सचिवालय को निष्पक्ष बनाना है तो उपकुलपतियों की संख्या तीन से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के एक से अधिक उपकुलपति नहीं रखे जायेंगे।

श्री डी० सी० शर्मा उठे—

सभापति महोदय : मैं इस खण्ड को ५ बजे तक समाप्त कर देना चाहता हूं। अतः माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि खण्ड १२ पर कार्य कर के शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार की सत्ता को जन्म देना चाहता है · क्या वह एक विमर्शी निकाय चाहता है ? यदि ऐसा है, तो अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड अथवा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् इस प्रयोजन के लिये विद्यमान हैं। क्या वे कार्यकारी निकाय चाहते हैं ? तो मैं यही कहूंगा कि उसके लिये यह स्वरूप ठीक नहीं। उसका ठीक स्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया था। उस मार्ग से हट कर देश की विश्वविद्या-

[श्री डी० सी० शर्मा]

लय-शिक्षा को क्षति पहुंचाई गई है । मेरी राय से इस निकाय में न्यायिक सत्ता वाले व्यक्ति होने चाहियें ।

उसमें तीन उपकुलपति रखे जाने वाले हैं जो कि एक नये अधि-उपकुलपति वर्ग का निर्माण करेंगे । एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जिसके पास वितरित किये जाने हेतु रुपया होता है वह अपने आप को कभी नहीं छोड़ता । यदि उपकुलपति धन का वितरण करेगा तो मानव होने के नाते वह अपने विश्वविद्यालय को कैसे भूलेगा ? वह बड़ी भयंकर भूल की है शिक्षा मंत्रालय ने । मैं उपकुलपतियों का सम्मान तो करता हूं परन्तु यह नहीं चाहता कि उन्हें इस आयोग में रखा जाये । उनका स्थान अन्यत्र है ।

जहां तक खण्ड ५ के उपखण्ड (२)(ख) का सम्बन्ध है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं । जहां तक खण्ड (२)(ग) का सम्बन्ध है, वह प्रावधान किया गया है कि आयोग में शिक्षा-क्षेत्र के दो प्रसिद्ध विद्वान भी होंगे । परन्तु शिक्षा क्षेत्र का विद्वान किस को माना जायेगा ? यदि स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को माना जाता है तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि हम इस आयोग को विशेषज्ञों का निकाय बनाना चाहते हैं कि शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति निर्मित कर सके । इसलिये "शिक्षा क्षेत्र के विद्वान" लिख देने से काम नहीं चलेगा । मैं कहूंगा कि आयोग में ७ ही सदस्य होने चाहियें । सभापति पूर्णकालिक व्यक्ति होना चाहिये । दो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होने चाहिये । शेष चार व्यक्ति ऐसे होने चाहियें जो न केवल उत्तर या दक्षिण भारत में प्रसिद्धि प्राप्त हों वरन् शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हों ।

यह ठीक है कि मैं निर्वाचन के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं । कुछ माननीय सदस्य इसके विरुद्ध हैं यद्यपि वे स्वयं यहां पर निर्वाचित हो कर आये हैं । मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी यदि ये व्यक्ति निर्वाचित हों ।

परन्तु यदि आप निर्वाचन नहीं चाहते तो फिर एक विशेषज्ञों का निकाय बनाना चाहिये जो समांग हो तथा विरोधी हितों का संयोग न हो । इस आयोग की सच्चाई में कमी मत आने दीजिये । उपकुलपतियों के रखने से लोग यह कहेंगे कि यह तो आपसी बटवारा है ।

इसलिये मैं मंत्री जी से आयोग की रचना में परिवर्तन करने की प्रार्थना करूंगा ताकि कोई उसके सदस्यों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी न कर सके ।

थोड़ी देर में सभा की आज की बैठक समाप्त होगी । इसलिये मैं माननीय सभा-सचिव से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में विचार करें, अपने सहयोगी से सलाह मशविरा करें तथा अगले दिन यह प्रस्ताव रखें कि आयोग की रचना सभा की इच्छा के अनुकूल हो ।

श्री के० के० बसु : मैं संक्षेप में सभा का ध्यान आयोग की नियुक्ति के तरीके की ओर आकर्षित करूंगा । मैंने इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन रखे हैं । प्रथम संशोधन द्वारा मैं सदस्यों की संख्या बढ़ा कर १५ कराना चाहता हूं जिसमें से ५ उपकुलपति हों जो अपने वर्ग में से निर्वाचित किये जायें । ८ व्यक्ति शिक्षा-जगत में ख्याति प्राप्त हों जिनमें से ४ संसद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायें व अन्य ४ किसी भी प्रकार के निर्वाचक गणों द्वारा निर्वाचित किये जायें । हमारे देश में ३०-३५ उपकुलपति हैं और वे सरलता से ५ को इस आयोग में काम करने के लिये निर्वाचित कर सकते हैं । कहा गया है कि निर्वाचन से उपकुलपतियों में फूट पैदा होगी । परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता कि उपकुलपति इतना नीचे गिर सकेंगे । इसलिये मैं नहीं चाहता कि उपकुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें । यह सत्य है कि शासन में कुछ व्यक्ति ऐसे हों

जो शिक्षा में रुचि रखते हों परन्तु वैसे हमारा शासन सिविल सर्विस के व्यक्तियों से परिपूर्ण है । इसलिये मैं महसूस करता हूं कि उपकुलपतियों का नामनिर्देशन सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये ।

मैंने यह भी सुझाव रखा है कि ८ व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त हों, जैसे प्रोद्योगिकी, समाजशास्त्र, प्राचीनशास्त्र आदि । इन ८ में से आधे सदस्य विशेषरीति से नामनिर्देशित होने चाहिये और शेष ४ संसद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने चाहियें । श्रीमान्, मैं एक समिति का सदस्य हूं जिसके आप सभापति हैं । उसमें आपने यह सुझाव रखा है कि ऐसे निकायों में संसद् के सदस्य नहीं निर्वाचित किये जाने चाहियें । परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं । प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के विकास के साथ संसद् के सदस्यों को अपना सारा समय अपने निर्वाचकों की सेवा में लगाना होगा । अस्तु संसद् के सदस्य इस आयोग में कार्य नहीं कर सकेंगे । परन्तु वे दूसरों को इस कार्य के लिये निर्वाचित कर सकते हैं । सरकार द्वारा नामनिर्देशन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि कभी कभी जो उपकुलपति नियुक्त किये जाते हैं, वे उसके योग्य नहीं होते। अस्तु मैं महसूस करता हूं कि इस विषय में इस प्रभुत्व सम्पन्न संसद् को ही अधिकार दिया जाना चाहिये । कम-से-कम कुछ प्रतिशत सदस्य संसद् द्वारा चुने जाने चाहियें । अन्यथा सरकार जिनको नामनिर्देशित करेगी वे ६ वर्ष तक कार्य करेंगे और हमारी कोई आवाज वहां नहीं चलेगी और इस प्रकार प्रादेशिक हितों की हानि होगी ।

निर्वाचन करने में आपत्ति भी क्या हो सकती है क्योंकि उपकुलपति की नियुक्ति की रीति भी तो यही है कि पहले तीन चार व्यक्तियों की एक तालिका निर्वाचित की जाती है और फिर उसमें से उपकुलपति एक को नाम-निर्देशित करता है । इसलिये यह तर्क व्यर्थ है कि निर्वाचन से फूट पैदा होगी । मैं तो एक कदम आगे रख कर यहां तक कहूंगा कि आयोग का सभापति भी एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिये। इस निकाय में देश के ख्याति प्राप्त व्यक्ति ही आयेंगे । क्या वे अपना सभापति स्वयं नहीं निर्वाचित कर सकेंगे ? मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं ।

डा० एम० एम० दास : मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये सुझावों को बहुत रुचि से सुना । जब मैं उनके भाषण सुन रहा था तो मुझे ईसप की एक कहानी का स्मरण हो आया जो मैं ने बचपन में पढ़ी थी । इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करना चाहता है वह किसी को प्रसन्न नहीं कर पाता । मैं अपने को बड़ी बूरी स्थिति में पा रहा हूं । प्रत्येक सदस्य की एक अपनी योजना है । विभिन्न वक्ताओं ने अपने सुझाव रखे हैं; उनमें से प्रत्येक की रचना के सम्बन्ध में भिन्न योजना है । यही नहीं, यदि आप विमति टिप्पण का अवलोकन करें तो आप संयुक्त समिति के सदस्यों के सुझाव भी पायेंगे । श्री एच० एन० मुखर्जी का कहना है कि १७ सदस्य होने चाहियें जिनमें से १० विश्वविद्यालयों के गवेषणाकर्ताओं तथा अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किये जायें, आदि-आदि । श्री मेघनाद साहा की अपनी योजना है । मेरे पूर्व जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिये उन सभी की अपनी एक योजना है ऐसे असमंजस में मैं संयुक्त समिति का सुझाव स्वीकार करना अधिक अच्छा समझता हूं ।

जहां तक इस खण्ड पर रखे गये विभिन्न संशोधनों का सम्बन्ध है, सरकार उनमें से केवल एक को स्वीकार करना चाहती है अर्थात् श्री के० सी० सोधिया के संशोधन संख्या २ को । मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उसे रखा है या नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं उसे रख चुका हूं ।

डा० एम० एम० दास : वह संशोधन इस प्रकार है :

"पृष्ठ २, पंक्ति २९,
"Less"

["न्यून"] के स्थान पर "More" ["अधिक"] रखा जाये ।"

उसी अर्थ के और भी संशोधन रखे गये हैं परन्तु यह सर्व प्रथम मालूम होता है ।

सभापति महोदय : तो संशोधन संख्या २ स्वीकार किया जाता है ।

मैं संशोधन पर सभा का मत लूंगा । प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २९,
"Less" ["न्यून"] के स्थान पर "More" ["अधिक"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या २६ बिल्कुल वैसा ही है जैसा संशोधन संख्या २, जिसे सभा ने स्वीकृत कर लिया है और सलिये वह अवरूद्ध हो जाता है ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपने संशोधन संख्या ७ को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सभापति महोदय : अब मैं खंड ५ पर रखे गये अन्य समस्त संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २५, ६, २८, २९, ३०, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, २७ और ३१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

इस के पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

पटल पर रख गये पत्र ५९१९–२१

(१) बर्मा संघ तथा भारत सरकार के बीच वित्तीय , करार की एक प्रतिलिपि

(२) प्रशुल्क आयोग अधियत्र, १९५१ के धारा १६ के उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक प्रतिलिपि

(क) निशास्ता उद्योग पर रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग (१९५५) का प्रतिवेदन

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १२ (२)/ टी० बी० /५५, तारीख १२ नवम्बर, १९५५

(ग) ग्लूकोज़ उद्योग पर रक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग (१९५५) का प्रतिवेदन

(घ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १२ (३)/ टी० बी० /५५, तारीख २२ नवम्बर, १९५५

(ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १२ (३)/ टी० बी० /५५, तारीख २२ नवम्बर, १९५५

(३) चलचित्र अधिनियम १९५२ की धारा ८ उपधारा (३) के अधीन चलचित्र (विवाचन) में कतिपय अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२८१ तारीख ११ अक्टूबर १९५५ की एक प्रति

(४) औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम १९४८ की धारा ४३ की उपधारा ३ के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों १९४८ के सामान्य विनियमों तथा भारत के औद्योगिक वित्त निगम के औद्योगिक वित्त निगम (बंध पत्र जारी करना) विनियमों १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या १८ ५५, तारीख ११ अक्टूबर १९५५ की एक प्रति

कार्य मंत्रण समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५९२१

कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन ५९२१–२२

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

सूचना तथा प्रसारण मंत्री की ओर से वाणिज्य मंत्री ने ४ अप्रैल १९५५ को सभा में आकाश वाणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये

तसम्भ

आश्वासन के अनुसरण में एक वक्तव्य दिया तथा सभा-पटल पर निम्नलिखित विवरण रखे :

(क) आकाशवाणी में प्रोग्राम एसिसटेंटों की छंटनी

(ख) न्यूज सर्विसेज डिविजन में समाचार पत्र सम्पादक के स्थान पर आकाशवाणी के एक पदाधिकारी का चुनाव

(ग) एसिसटेंट इंजीनियरों का अपने पुराने पदों पर भेजा जाना

(घ) टेकनिकल एसिसटेंट के पदों के लिये इन्टरव्यू लिये गये उम्मीदवारों का एसिसटेंट इंजीनियरों के पदों के लिये चुनाव

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि ५९२२-२३

५ सितम्बर, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करते हुये उद्योग मंत्री की ओर से वाणिज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया

विधेयक पर विचार--- ५९२३-६०१०

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड २ से ५ स्वीकृत हुये। खंडवार विचार असमाप्त रहा।